पंचम माला, खंड 38, अंक 38
Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 38

बुधवार, 17 अप्रैल, 1974/27 चैत्र, 1896 (शक)
Wednesday, April 17, 1974 / Chaitra 27, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is a translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 38—बुधवार, 17 अप्रैल, 1974/27 चैत्र, 1896 (शक)
No. 38—*Wednesday, April* 17, 1974/*Chaitra* 27, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
711	आसाम और मेघालय के बीच सीमावर्ती गांवों के स्वामित्व के बारे में विवाद	Dispute over ownership of Border Villages between Assam and Meghalaya .	1–8
713	देश में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	Telecommunication Training Centres in the Country .	8–9
714	जन जातीय कल्याण विभाग	Tribal Welfare Departments .	10–11
715	असैनिकों में से भर्ती किए गए भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को स्वतन्त्रता सेनानियों के रूप में पेंशन देना	Grant of Freedom Fighters' Pension to Ex-I.N.A. Personnel recruited from Civilians	11–13
717	गुजरात में पांचवीं योजना में गहन औद्योगिकरण	tensive Industrialisation in Gujarat in Fifth Plan .	13–15

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
9.	कलकत्ता और बम्बई के मेट्रो सिनेमाघरों का सरकार द्वारा अपने साथ में लिया जाना ।	Taking over Metro Cinemas in Calcutta and Bombay by Government . .	15–18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
709	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा इंधन की खपत के बारे में अध्ययन	Study on Fuel Consumption by N.P.C.	18–19
712	औद्योगिक विकास मंत्रालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का भरा जाना	Filling of vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Ministry of Industrial Development .	19

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
716	पश्चिम जर्मनी के सहयोग से उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Collaboration with West Germany	19
718	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन	Changes in the Fifth Five Year Plan	20
719	सूरत, गुजरात में आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र की स्थापना	A.I.R. Broadcasting Station at Surat, Gujarat . .	20
720	देश में आपात स्थिति समाप्त करना	Revocation of Emergency in the Country . .	20
721	जयपुर में टेलिफोन सेवा	Telephone Service in Jaipur .	20–21
722	भविष्य विज्ञान सम्बन्धी विशेषज्ञ तालिका	Expert Panel on Futurology	21–23
723	पांचवीं योजना में आयुर्वेद का विकास	Development of Ayurveda in Fifth Plan	23
724	बम्बई में हुई एक बैठक में अर्थ शास्त्रियों द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए सुझाए गए उपाय	Measures for Removal of Poverty suggested by Economists in a meeting at Bombay . .	23–24
725	चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) में ग्राम्य उद्योगों सम्बन्धी परियोजना	Rural Industries Project in Chittoor (Andhra Pradesh) .	24
726	उदार लाइसेंस प्रक्रिया के परिणामों का मूल्यांकन	Assessment of the Results of Liberalised Licensing Procedure	24–25
727	रायपुर तथा ग्वालीयर में लघु उद्योग सेवा केन्द्र	Small Industries Service Centres at Raipur and Gwalior	25
728	विकास खण्ड मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities in Development Block Headquarters .	25
729	खादी की बिक्री पर छूट	Rebate on the Sale of Khadi .	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
6969	अखिल भारतीय महापौर परिषद् की ओर से ज्ञापन	Memorandum from All India Council of Mayors . .	26
6970	"कर्व आन कम्प्यूटर मोनोपली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item on Curb on Computer Monopoly . . .	26–27
6971	हिन्दुस्थान पेपर कारपोरेशन में सेवा-निवृत्त अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of retired Officer in Hindustan Paper Corporation	27
6972	भारत और पोलण्ड के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता	Agreement between India and Poland for Scientific and Technical Cooperation .	27–28

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6974	उपग्रह छोड़ना	Launching of a Satellite .	28
6975	पांचवीं योजना की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विती के लिए मध्य प्रदेश सरकारी द्वारा बनाया गया 'सैल'	Cell created by Madhya Pradesh Government for Implementation of various Schemes in Fifth Plan	28
6976	मध्य प्रदेश में कोसा कपडा उद्योग का विकास	Development of Kosa Cloth Industry in Madhya Pradesh	29
6977	मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना	Setting up of Public Sector Industries in M.P. . .	29
6978	मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के आर्थिक विकास में असन्तुलन	Imbalance in Economic Development of Mahakoshal area of M.P.	29
6979	चौथी योजना के दौरान बिहार के बगवों में डाक सुविधाएं	Postal facilities in the villages of Bihar during Fourth Plan .	30
6980	संसद् भवन के डाकघर के कर्मचारी	Staff employed in Parliament House Post Office . .	30
6981	महाराष्ट्र की संकटग्रस्त कपड़ा मिलों में कन्ट्रोलर की नियुक्ति	Appointment of Controllers in Sick Textile Mills, Maharashtra	30–31
6982	बिहार में पाकिस्तानी पारपत्रधारी पाक राष्ट्रिक	Pak Nationals holding Pakistani Passports in Bihar .	31
6983	राजस्थान में दीर्घकालीन 'बीजाधारी' पाक राष्ट्रिक	Pak Nationals holding long term visas in Rajasthan . .	31–32
6984	केरल में रोजगार प्रधान परियोजनाओं के लिए धनराशि	Funds for employment oriented projects in Kerala .	32
6985	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के व्यय	T.A. and D.A. Expenses of Directors and other Senior Officials of R.V.I.C. . .	32
6986	दिल्ली में हिप्पीयों से बरामद एक रिवाल्वर और चरस	Recovery of a Revolver and Charas from Hippies in Delhi	32–33
6987	औषध नियंत्रक की सलाह पर ड्रग तथा फार्मास्यूटिकल के लाइसेन्स देना	Drug and Pharmaceutical Licences on the advice of Drug Controller	33–34
6988	औद्योगिक विकास मंत्रालय में तदर्थ नियुक्तियां	Ad Hoc Appointments in Ministry of Industrial Development	34
6989	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Employees of Central Sericultural Research Station Berhampore, West Bengal . . .	34–35

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6990	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल में नियुक्तियां	Appointments in Central Sericultural Research Station, Berhampore, West Bengal .	35
6991	केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को वेतन और मजूरी का भुगतान	Payment of Salaries and Wages to Employees of Central Sericultural Research Station, Berhampore, West Bengal	35
6992	शरतल्लाई (केरल) टेलीफोन केन्द्र	Shertallai (Kerala) Telephone Exchange	35–36
6993	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा रिगल बिल्डिंग की दुकानों को नया रूप देना	Renovation of Regal Building Shop by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . .	36
6994	नासिक जिले के आदिवासी क्षत्रों में डाक घरों की शाखाएं खोलना	Branch Post Offices in Tribal Areas of Nasik District .	36–37
6995	कोटरा से स्वरुपगंज तक टेलीफोन लाईन	Telephone Line from Kotra to Swaroopganj . . .	37
6996	राज्यों को धन का आबंटन	Allocation to States .	37–38
6997	बेमाग इंजीनियरिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, थाना और जे० स्टोन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता में निदेशक	Directors in Bemag Engineering and Manufacturing Company Private Limited of Thana and J. Stone and Co. of Calcutta	38–39
6998	जाति प्रथा	Caste System . . .	39
6999	दिल्ली के कुतुब रोड और सदर बाजार में यातायात का रुक जाना	Blocking of Traffic on Qutab Road and Sadar Bazar, Delhi	39–40
7000	राजस्थान नहर परियोजना के लिए अधिक धन के आवन्टन हेतु राजस्थान द्वारा किया गया अनुरोध	Request made by Rajasthan for Allocation of more funds for Rajasthan Canal Project	40
7001	काश्मीर में मोहरा बिजली घर को उड़ाने का प्रयास	Blowing up of Mohra Power House in Kashmir . .	40–41
7002	पांचवीं योजना की क्रियान्वित आरम्भ करने के लिए बिजली की कमी	Power shortage for Launching Fifth Plan	41–42
7003	कोयले की कमी के कारण बम्बई में सीमेंट कारखानों के श्रमिकों की जबरन छुट्टी	Cement Workers Laid Off in Bombay due to shortage of coal	42
7004	कोरापुट, उड़ीसा में डाक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project Allowance to Postal Employees in Koraput, Orissa	42

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7005	नमक आयोग द्वारा जोनल योजना का पालन	Compliance of Zonal Scheme by Salt Commissioner .	42–43
7006	नमक का निर्यात	Export of Salt .	43
7007	बिहार सरकार द्वारा सेना का उपयोग	Utilisation of Military by Government of Bihar . .	44
7008	सहायक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Ancillary Industries	44–45
7009	अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार खादी ग्रामोद्योग आयोग का ग्रामीण उद्योग आयोग में स्थानान्तरण	Transfer of KVIC to Rural Industries Commission following the recommendations of Asoka Mehta Committee .	45
7010	सेन्ट्रल ग्लास सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता का 'सिरेमिक कैन्डल' का विकास	Development of a Ceramic Candle by Central Glass and Ceramic Research Institute, Calcutta . . .	45–46
7011	राजस्थान नहर के लिए मांगी गई केन्द्रीय सहायता	Central Assistance Sought for Rajsthan Canal . .	46
7012	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशालाएं खोलना	Opening of Primary Schools under the Scheme for Providing employment to educated unemployed . . .	46–47
7013	पैट्रोल की बचत के बारे में राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम की सिफारिशें	Recommendations made by N. R.D.C. for petrol saving .	47
7014	कलकत्ता-बंगलोर ट्रंक लाइन	Calcutta-Bangalore Trunk Line	47–48
7016	शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास अनिर्णित पड़ा हुआ भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामला	Corruption case against officials of Education Ministry lying pending with C.B.I. . .	48
7017	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित न भरे गए रिक्त स्थान	Unfilled vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Department of Science and Technology	48–49
7018	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित न भरे गए रिक्त स्थान	Unfilled vacanies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	49
7019	अन्तरिक्ष विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित न भरे गए रिक्त स्थान	Unfilled vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Department of Space	49–50
7020	राज्यों को पांचवीं योजना के आबन्टनों में कटौती	Cut in Allocation to States for Fifth Plan. . . .	50

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7021	सीमेंट फक्टरी तथा सम्बद्धकारखाने लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए अनिर्णीत आवेदन	Pending applications from U.P. for setting up Cement factories and allied factories .	50–51
7022	बांकीपुर जेल, पटना में श्री आनन्द मूर्ति द्वारा किया गया अनशन	Fast undertaken by Shri Anand Murti in Banktipur Jail, Patna	51
7023	देश में जन आन्दोलन के बारे में समाचार प्रसारण तथा वार्ताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for news broadcast and talks in regard to mass agitations in the country .	51–52
7024	पटना में सर्चलाईट इमारत के नष्ट होने के बारे में 'सर्चलाइट' के सम्पादक का वक्तव्य	Statement of the Editor of 'Searchlight' regarding destruction by Searchlight building in Patna	52
7025	बिहार में पुलिस की गोली द्वारा मारे गए व्यक्तियों को मुआवजे का प्रस्ताव	Proposal to give compensation for the persons killed in Police firings in Bihar . . .	52
7026	पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों के लिए आबन्टित राशि	Allocation made for registered educated unemployed . .	52–53
7027	दिल्ली क्लाथ मिल्स के मालिकों द्वारा पाकिस्तान की सुरक्षा निधि में अधिक धन दिया जाना	Donation of more funds in Defence Fund of Pakistan by Proprietor of Delhi Cloth Mills	53
7028	पटना के मुख्य डाकघर में पुलिस का प्रवेश	Entry of Police in G.P.O., Patna	53–54
7029	संसद् सदस्यों तथा विधान मण्डलों के विधायकों को स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to freedom Fighters amongst M.Ps. and M.L.As.	54–55
7030	धनबाद में बेकार पड़ा आक्सीजन संयंत्र	Idle Oxygen Plant in Dhanbad	55
7031	आन्ध्र प्रदेश से प्रकाशित उन दैनिक पत्रों और पत्रिकाओं के नाम तथा उनकी संख्या जिन्होंने अखबारी कागज के कोटे के लिए आवेदन पत्र दिए	Number and names of the new Dailies and Periodicals published from A.P. who have applied for News print quota	55–56
7032	चित्तूर-हैदराबाद ट्रंक लाइन	Chittoor-Hyderabad Trunk Line	56
7033	आनुषंगिक उद्योग के रुप में लौह तथा इस्पात उद्योग	Iron and Steel Industry as Ancillary Industry . .	56–57
7034	रेडियो तथा टेलीविजन के लिए लाइसेन्स शुल्क	Radio and Television Licence Fees	57

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7035	विभिन्न राज्यों से नक्सलवादियों के लाल साहित्य का पकड़ा जाना	Seizure of Red Literatures of Naxalites from different States	57–58
7036	सीमेंट निर्माताओं द्वारा विलंब से सीमेंट कोटा देने के कारण सीमेंट का अभाव	Scarcity of Cement due to delay in releasing Cement quota by manufacturers . . .	58–59
7037	खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लोक वस्त्र योजना चलाने का प्रस्ताव	Lok Vastra Scheme by KVIC	59
7038	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में सरसो के तेल की बिक्री	Sale of Mustard Oil in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	59–60
7039	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में एक कार्यालय की स्थापना	Setting up of an office in Kerala by Zoological Survey of India	60
7040	डाक तार विभाग में विभागेतर कर्मचारी	Extra Departmental Employees in P. & T. Department . .	60
7041	दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्मित 'न्यू ग्लिम्सेज आफ दिल्ली' नामक वृत्त चित्र	Documentary "New Glimpses of Delhi" Produced by Delhi Administration . . .	60–61
7042	वस्तुओं की खपत पर प्रतिबन्ध	Restraints on consumption of goods	61
7043	गुजरात में बिजली की कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट	Set back to industrial production in Gujarat due to power cut	61
7044	गुजरात में क्रासबार टेलीफोन सिस्टम	Cross bar Telephone system in Gujarat	61–62
7045	गुजरात में कागज की कमी	Shortage of Paper in Gujarat	62
7046	आसाम के योजना मंत्री द्वारा राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तुत योजना का प्रारुप	Draft plan for Backward Classes of Assam submitted by the States Planning Minister .	63
7047	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण का उपयोग	Utilisation of Loan by National Industries Corporation .	63–64
7048	परिष्कृत चमड़े का उत्पादन	Production of finished leather	64
7049	पश्चिम बंगाल के पिछडे जिलों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industry in Backward District in West Bengal	64

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7050	लघु उद्योग संघटन द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक अध्ययन	Techno-Economic Survey by Small Scale Industries Organisation . . . 65
7052	भारत बैरल का पुनः खोला जाना	Reopening of Bharat Barrel . 65
7053	खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में गुम साडियां	Missing Saris in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . 65–66
7054	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के मैनेजर के विरुद्ध जांच	Enquiry against Manager, Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi 66
7055	वर्ष 1974-75 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए कम धन राशि का नियतन	Low Allocation for Minimum Needs Programme during 1974-75 66
7056	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से दक्षिण भारतीय संगीत का प्रसारण करने का प्रस्ताव	Proposal to Relay South Indian Music from Delhi Station of A.I.R. . . 66
7057	पांचवीं योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों को धनराशि का आबन्टन	Allocation of Funds to States for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Fifth Plan . . . 67
7058	बिजली घरों की राख से सस्ती ईंटों का बनाना	Manufacture of Less Expensive Bricks with Ash from Power Houses 67
7060	आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रसारित खाद्यान्न मूल्य सूची में गेहूं के मूल्य न बताना	Non-coverage of the Prices of Wheat in the Food grains Price List Broadcast by AIR, Bhopal 67–68
7061	मध्य प्रदेश की औद्योगिकरण योजना	Scheme for Industrialisation of M.P. 68
7062	एकाधिकार गृहों को लाइसेन्स जारी करना	Issue of Licences to Monopoly Houses 68
7063	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हत्या के मामलों की जांच	Murder cases investigated by C.B.I. 68–69
7064	रुपनारायणपुर में ताम्र मण्डित तारों के निर्माण के लिए संयंत्र	Plant for manufacture of copper Mounted Wire at Rupnarainpur 69

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7065	देश में हस्तचालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना	Conversion of Manual Exchanges, in the country into Automatic Exchanges	69
7066	गुजरात में उन नगरों के नाम जहां कर्फ्यू लगाया गया था	Names of the Towns in Gujarat where Curfew was Imposed.	70
7067	पश्चिम बंगाल में सीमेंट का संकट	Cement Crisis to West Bengal	70
7068	समाचार पत्रों की लागत की जांच के लिए नियुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of the committee appointed to enquire into the News paper Costs . .	70–71
7069	उड़ीसा में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान डाकघरों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Orissa during First Year of Fifth Plan	71
7070	उड़ीसा में चौथी योजना में डाकघरों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Orissa during Fourth Plan .	71
7071	वर्ष 1974–75 के लिए पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना को फिर से तैयार करना	Recasting of Annual Plan for West Bengal for 1974-75 .	71
7072	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया खरीद के लिए ऋण	Loan for Hire Purchase by N.S.I.C.	72
7073	बलिया (उत्तर प्रदेश) में ग्लास फैक्टरी के अवशेष	Remains of Glass Factory Found in Balia (U.P.). .	72–73
7074	1974–75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धन का नियतन	Allocation to States under Minimum Needs Programme in 1974-75	73
7075	पांचवीं योजना के दौरान बिहार में सरकारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Public Sector Industries in Bihar during Fifth Plan	73
7076	राज्यों में कारखाने	Factories in States . . .	73–74
7077	मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Flood Relief in M.P. . .	74
7078	खनिज विकास के लिए प्रयोगशाला	Laboratory for Mineral Development . . .	74

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7079	पश्चिम बंगाल में एककों के लिए राजसहायता देने के विलम्ब	Delay in disbursing subsidy for units in West Bengal .	74–75
7080	पांचवीं योजना में पूर्वोत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों और शेड़ों के लिए धन का नियतन	Allocation of Fund for Industrial Estate and Sheds in North Eastern Region in Fifth Plan	75
7081	केरल कागज परियोजना में विलम्ब	Delay in Kerala Paper Project	75
7082	आधुनिक दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	Setting up of an advanced Telecommunication Training Centre	76
7083	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा आरम्भ की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनायें	Projects of Science and Technology taken up by National Committee on Science and Technology . . .	76–77
7084	सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान के अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र	Pending applications from Rajasthan for setting up of Cement Industries . . .	77
7085	सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र	Pending applications for setting up of Cement plants . .	77
7086	वर्ष 1970–71 और 1971–72 में प्रगति दर	Growth rate during 1970-71 and 1971-72 . . .	78
7087	दीर्घावधि बीजा पर भारत में ठहरने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals Staying in India on Long Term Visas .	78
7088	महाराष्ट्र में पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सैल	Cell for Development of Hilly and Backward Areas in Maharashtra	78–79
7089	सीमेन्ट का वितरण	Distribution of Cement	79–80
7090	मंत्रालयों में सचिवों तथा स्वशासी निकायों में अध्यक्ष के पदों पर प्रौद्योगिकी विज्ञों को नियुक्त करना	Appointment of Technocrats as Secretaries in Ministries .	80
7091	गरीबी का हटाया जाना	Elimination of Poverty . .	81
7093	तमिलनाडु में औद्योगिक उत्पादन . . .	Industrial production in Tamil Nadu	81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7094	तमिलनाडु में रेशम का उत्पादन एकक	Sericulture Unit in Tamil Nadu	81–82
7095	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Delhi	82
7096	श्रेणी 1 की सेवाओं के पदों पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा	Upper age Limitfor competitive examinations conducted by UPSC for appointment to Class I Services . . .	82–83
7097	इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का भाग	Share of Public and Private Sectors in Electronics Industry	83–84
7098	चौथी योजना में खाद्य उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्धी में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति	Achievement of targets in food production and Industrial production in Fourth Plan	84
7099	डाक तार विभाग सांस्कृतिक समारोह	Cultural meet of P. & T. Department	84–85
7100	मशीनों के किराया-खरीद के लिए नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त आवेदन पत्र	Applications for hire purchase of machines received by N.S.IC. Ltd. . . .	85–86
7102	पद्मश्री का पुरस्कार लेने से इन्कार किया जाना	Refusal of Award of Padma Shri	86
7103	हिप्पियों के आवागमन पर रोक	Ban on Movement of Hippies .	87
7104	तोड़फोड़ करने और तोड़फोड़ सम्बन्धी गतिविधियों के कारण जम्मू और कश्मीर में पकड़े गए राजनीतिक गुप्तचरों की संख्या	Number of Political spies held in Jammu and Kashmir for sabotage and subversive activities	87
7105	औद्योगिक उत्पादन के लिए भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ का सुझाव	Suggestions of FICCI for Industrial Production . .	87
7106	चौथी योजना के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता	Idle capacity in Public and Private Industry during Fourth Plan . . .	88
7107	बेरोजगार डाक्टर, इंजीनियर, कुशल एवं अकुशल श्रमिक	Unemployed Doctors, Engineers, Skilled and Unskilled Labourers . . .	88–91

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7108	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Class I Officers selected by U.P.S.C. . .	91
7109	दिल्ली पुलिस में वायरलेस आपरेटरों के लिए पदों का चयन	Selection to Posts of Wirelss Operators in Delhi Police .	91
7110	परमाणु खनिज डिवीजन, बिहार से लापता वैज्ञानिक	Missing Scientist from Atomic Minerals Division, Bihar .	91–92
7111	औद्योगिक विकास	Industrial Growth . .	92
7112	दिल्ली में टेलीफोनों का स्थानान्तरण	Shifting of Telephones in Delhi	92
7113	पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सैल	Cell for Development of Hill Areas in Fifth Plan . .	93
7114	जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सीमेंट कारखाने	Cement Factories in J. & K. Himachal Pradesh, Punjab and Haryana	93
7115	हिमाचल प्रदेश में वायरलैस टेलिग्राफ सर्किट	Wireless Telegraph Circuits in H.P.	94
7116	हिमाचल प्रदेश में एस० ए० एक्स० टेलीफोन केन्द्रों के लिए स्वीकृति	Sanction of SAX Telephone Exchanges in H.P. . .	94–95
7117	मण्डी और धर्मशाला में टेलीफोन केन्द्रों को स्वचालित बनाना	Automation of Telephone exchanges at Mandi and Dharamsala . . .	95
7118	पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक एककों में पूंजी निवेश	Capital investment in Industrial Units of Backward Areas .	95–96
7119	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जापान में आयात की गई मशीनें	Machinery imported by N.S.I.C. from Japan. . . .	96
7120	कच्चे माल के अभाव में उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries for want of raw Material . .	96–97
7121	औद्योगिक उत्पादन	Industrial production . .	97
7122	जम्मू तथा कश्मीर में कागज तथा लुगदी परियोजना	Paper and pulp project in Jammu and Kashmir . .	97

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7123	'ब्रौड बैंड माइक्रोवेव' व्यवस्था	Broadband Microwave Network	97–98
7125	योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय से पूर्व सेवा निवृत्ति की मांग	Pre-mature retirement sought by Senior Officers of Planning Commission . . .	98
7126	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध जांच	Enquiry against Managing Director of N.I.D.C. . .	98
7127	सौराष्ट्र (गुजरात) में कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories in Saurashtra (Gujarat) . .	98–99
7128	गुजरात में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बेरोजगार इंजीनियरों से आवेदनपत्र	Applications from unemployed Engineers for setting up of Small Scale Industries in Gujarat	99
7129	गुजरात में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in Gujarat	99–100
7130	गाजियाबाद में दूर संचार प्रशिक्षण स्कूल	Telecommunication Training School in Ghaziabad . .	101
7131	कूच-बिहार पश्चिम बंगाल में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Cooch Behar, West Bengal . . .	101
7132	स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना का मापदण्ड	Criteria for Installation of Automatic Telephone Exchange	101
7133	टेलीफोन कनेक्शनों की मांग	Demand for Telephone Connections . . .	101–102
7134	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	National Museum of Natural History	102
7135	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्ना द्रमुक द्वारा पेश किये गये ज्ञापन में उल्लिखित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच	Stage of Inquiry of charges of corruption contained in a Memorandum submitted by C.P.I. and A.D.M K. .	102
7136	बिहार के विभिन्न स्थानों पर डाक तथा तार औषधालयों की स्थापना	Opening of P. & T. Dispensaries at various places in Bihar .	103
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	दिल्ली हवाई अड्डे पर वातानुकूलन संयत्रों को अचानक बंद कर दिये जाने का समाचार ।	Reported abrupt stopping of air conditioning Plant of at Delhi Airport—	
	श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P.M. Mehta . .	103–104
	श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R.K. Khadilkar .	103–104

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2093 का कथित गुमराह करने वाला उत्तर	Alleged Misleading Answer to U.S.Q. No. 2093, dated 6-3-74	107–111
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	112
सदस्यों की गिरफतारी (सर्वश्री अटलबिहारी वाजपेयी और भारत सिंह चौहान)	Arrest of Members. (Sarvashri Atal Bihari Vajpayee and Bharat Singh Chowhan)	112–113
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
एक सौ तेईसवां और एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन	Hundred and Twenty third and Hundred and Fourteenth Reports. . .	113
बिहार और गुजरात की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Situation in Bihar and Gujarat—	
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	114–115
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	
(एक) हिन्दुस्तान मोटर्स के एक तिहाई साम्य पुंजी शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए अमरीका की जनरल मोटर कम्पनी को कथित अनुमति दना	Reported permission to General Motor Company of U.S.A. to take over one third of Equity shares of Hindustan Motors . .	116–119
(दो) पाठ्य पुस्तकों के निर्यात में कथित घोटाला	Alleged Racket in TextBooks Export	119
अनुदानों की मांगें, 1974–75—	Demands for Grants, 1974-75—	
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय—	Ministry of Petroleum and Chemicals—	
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta .	121–122
श्री राज कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . .	122–124
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	124–125
श्री डी० डी० देसाई	Shri D D. Desai .	125–126
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya.	126–127
श्री गेन्दा सिंह	Shri Genda Singh . .	127–128

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	. 128–130
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	. 130–131
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K.S. Chavda .	. 131–132
डा० कैलाश	Dr. Kailas	. 132–133
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary .	. 133–134
श्री हुकुम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	134
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	134–135
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	Forty First Report	135
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
जाली कार परमीट कान्ड—	Forged Car Permit Case—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	. 135–136
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai .	. 137–138, 139 & 140

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 17 अप्रैल 1974/27 चैत्र, 1896 (शक)
Wednesday, April 17, 1974/Chaitra 27, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम और मेघालय के बीच सीमावर्ती गांवों के स्वामित्व के बारे में विवाद

*711. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मेघालय और आसाम की सरकारों के बीच कुछ सीमावर्ती गांवों के स्वामित्व के बारे में विवाद पैदा हो गया है ;

(ख) क्या हाल ही में आसाम के ग्वालपाड़ा और दारंग जिलों में गारो व्यक्तियों के गांवों पर कब्जा करने के लिये मेघालय से कुछ 'स्वयं सेवक' भेजे गये थे ; और

(ग) इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिये भारत सरकार ने यदि कोई प्रयत्न किया हैं तो वे क्या हैं?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) असम व मेघालय दोनों राज्यों की सिमायें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संसद द्वारा निर्धारित की गई है। यद्यपि असम व मेघालय सरकारों के बीच सीमावर्ती गांवों के स्वामित्व के लिए कोई विवाद नहीं है तथापि असम के कामरुप तथा ग्वालपाड़ा जिलों के गारों और गारो नेशनल जोनल कौंसिल आफ़ एक्शन, असम द्वारा गारो लोगों से बसे गावों को असम से मेघालय में स्थानान्तरित करने के लिये मांग की गई है ।

(ख) सरकार को असम में ऐसे गांवों पर कब्जा करने के लिए मेघालय से स्वयं सेवक भेजे जाने की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) भारत सरकार असम व मेघालय राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए है जो कि शांति व व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। असम के मुख्य मंत्री ने असम में भाषाई अल्प संख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आश्वासन भी दिया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इस उत्तर से आश्चर्य हुआ है, क्योंकि आज और कल के समाचार-पत्रों में ये शीर्षक दिये हुए थे : "मेघालय-असम पुलिस का लांगपित में आमने-सामने सोना"। मेरे पास सभी बातों को पढ़ने का समय नहीं है। इस समाचार में बताया गया कि वह स्थान जिस का मैंने उल्लेख किया है सीमावर्ती गांव है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस के बारे में दोनों राज्य सरकारों के बीच विवाद है, क्योंकि दोनों ने अपनी पुलिस उसी क्षेत्र में भेजी थी। मैं यह जानना पसंद करूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मेघालय सरकार प्रत्यक्ष रुप से या वह अपनी मौन आज्ञा से गारो राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से 762 वर्ग मील के क्षेत्र को असम से मेघालय को स्थानांतरित किये जाने की मांग कर रही है, जिस में 316 ग्राम है और जिसकी लगभग 65,000 की आबादी है जैसा कि उन्होंने दावा किया है। यह असम के ग्वालपाड़ा कामरूप जिलों में है। क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि जनवरी से इस क्षेत्र में कई झड़पें हो चुकी है। वहां प्रदर्शन, गिरफ्तारियां आदि हुई है और पुलिस द्वारा गोलियां भी चलायी गयी है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मौतें भी हुई है। क्या यह भी सच है कि इस के लिये तुरन्त उकसाकर का कारण उन क्षेत्रों के, जहां गारो तथा अन्य आदिवासी लोग बसे हुये हैं, स्कूलों में असमिया को शिक्षा के माध्यम के रूप में लांगू करना है? यदि हां, तो श्रीमान् जी मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को देखते हुए कि जहां तक मैं समझ सका हूं असम के उसी प्रकार के जिन्हे सीमा विवाद कहा जा सकता है मिजोराम, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ भी विवाद है और इस क्षेत्र के सामजिक महत्व को देखते हुए भी, क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये पहल करेगी कि केन्द्र के तत्वावधान में दोनों सरकारों के बीच चर्चा के द्वारा कोई शान्तिपूर्ण समाधान ढुंढा जा सके?

श्री उमा शंकर दीक्षित : श्रीमान् जी मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या कुछ क्षेत्रों को मिलाने के लिये मेघालय ने असम के गारों लोगों के किसी वर्ग को उकसाया या प्रेरित किया है। माननीय सदस्य द्वारा बतायी गई ग्रामों की संख्या ठीक ही है। किन्तु, जैसा कि मैंने कहा है कि इस मामले को उठाया गया है और गारो राष्ट्रीय परिषद द्वारा एक दृष्टिकोण अपनाया गया है और वे इसी के लिये जोर दे रहे हैं। किन्तु श्रीमान् जी, मैं उनके साथ इस बात के लिये सहमत हूं कि इस बारे में कार्यवाही करने की आवश्यकता है और हमें इस भावानात्मक स्थिति को और अधिक खराब नहीं होने देना चाहिये। श्रीमान् जी, कठिनाई यह है कि एसा कोई सधन क्षेत्र नहीं है जो मेघालय के साथ लगा हुआ हो और इस प्रश्न पर कई बार गहराई से विचार किया जा चुका है और गुण-दोष के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि इस प्रकार स्थानांतरित किये जाने से किसी समस्या का समाधान करने की बजाय अधिक जटिलताये पैदा हो जायेंगी। स्थानांतरण से असामिया भाषी, बंगला भाषी, हिन्दी भाषी, गारो भाषी तथा अन्य लोगों के साथ और भाषायी अल्पसंख्यक पैदा हो जायेंगे। अतः यह ऐसी सरल और वैध मांग नहीं है जिसे सीधे ही स्वीकार किया जा सकता हो और सरकार का रवैया इस के बारे में अनावश्यक रूप से अनुचित हो। यह एक जटिल समस्या है। भावात्मक रुप से यह कहना सही है कि गारो लोग उत्तेजित है और मेरे विचार में इस मामले में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूर ही आवश्यकता है और मेरे विचार में हमें प्रयास करना होगा और देखना होगा कि इस के बारे में स्थिति को सुधारने के लिय क्या किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वास्तव में इन स्कूलों में असमिया को शिक्षा का माध्यम बनाने के विरूद्ध आन्दोलन का प्रश्न है, तो मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि असम सरकार भाषायी अल्प संख्यकों को कुछ आश्वासन दे। किन्तु मैं उनका ध्यान 31 मार्च के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि ?"अन्तोनिहित परस्पर विरोध के लिये राज्यपाल

में निहित धारणा ही जिम्मेदार है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यद्यपि जो कुछ भी उन्होने कहा है, वह तकनीकी रूप से सही है कि सीमाओं का निर्धारण और निपटान किया जा चुका है, क्या वह इस तथ्य से अवगत है कि राज्यपाल जो वही व्यक्ति हैं, जो असम का राज्यपाल और मेघालय के राज्यपाल है, दोनों विधान सभाओ में अपने अभिभाषणों मे परस्पर विरोधी वक्तव्य दे रहा है, यह आश्चर्यजनक बात है।

असम विधान सभा के बजट सत्र का उद्घाटन करते हुये राज्यपाल ने कहा था :—

"यद्यपि कामरूप और ग्वालपाड़ा जिलों और मिकिर पहाड़ी जिले के खण्ड एक और दो की सीमा के समीप के क्षेत्र के कुछ उपखण्डों का मेघालय में शामिल किये जाने की मांग बार-बार की गयी थी, तथापि मेरी सरकार का यह विचार है कि अतीत मे सक्षम अधिकारियों के स्पष्ट निर्णय को देखते हुये, उस संबंध में मूलतः किसी प्रकार के स्थानांतरण किये जाने की गुंजाइश नहीं है"।

वही राज्यपाल महोदय मेघालय विधान सभा में अपने अभिभाषण में कहते हैं :—

"असम और मेघालय के बीच सीमा और कुछ क्षेत्र विवाद का विषय रहे हैं।—जयन्ती और मिकिर पहाड़ी क्षेत्रो में सीमा के बारे में वर्षों से लगातार तनाव बना हुआ है और मिकिर पहाड़ियों के खण्ड एक और दो के संबंध में समझौता अभी होना है।"

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके द्वारा बतायी गयी जटिलताओ को उसी व्यक्ति द्वारा जो दोनो राज्यों के राज्यपाल है, दोहरी भूमिका निभाकर बढ़ाया नहीं जा रहा है? यह क्षेत्र सामरिक महत्व का है और हमारे देश की सुरक्षा भी इस क्षेत्र पर निभर करती है। हम जानते हैं कि कुछ भारत विरोधी शक्तियों एवं पृथकतावादी शक्तियों द्वारा जो सदैव मतभदों को उकसाने का प्रयत्न करती रहती है, प्रयास होते रहते है, ताकि विभिन्न समुदायों के बीच झड़पे करायी जा सके। असम में दुर्भाग्यपूर्ण भाषायी दंगों के दौरान सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य वास्तव में सार्वजनिक रूप से यह कहते रहे है कि इसके पीछे सी० आई० ए० का हाथ था। व इसी प्रकार की और भी कई बातें कहते रहे है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह जानते हैं कि एम० आर० ए० अर्थात् मारल रीआरमामेंट का, जो एक सर्वविदित अमरीकी संगठन है, जिस के बारे में यह विचार किया जाता है कि उसका संबंध सी० आई० ए० से है? मेघालय में एक बहुत सी मजबूत आधार बना हुआ है और मेघालय सरकार का एक प्रमुख मंत्री एम० आर० ए० का पूर्णकालिक सदस्य और संयोजक है यदि हां, तो क्या यह शंका करने का कारण वही है कि इस सीमावर्ती क्षत्र में गड़बड़ पैदा करने के लिये जानबूझ कर षड़यंत्र किया गया है? क्या मैं आपकी अनुमति से उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को स्मरण करा सकता हूं कि केवल एक मास पूर्व ही असम विधान सभा में शिकायतें की गयी थी कि प्रसिद्ध अथवा बदनाम श्री पीटर बुलरे के नेतृत्व में कलकत्ता में अमरीकी वाणिज्य दूत के अधिकारिय का एक दल असम, गया और असम सरकार ने इस पर आपत्ति की थी। हम ने केन्द्र को याद दिलाया था कि इससे पूर्व भी एक अवसर पर असम सरकार की पूर्व सूचना दिये बिना उसने केन्द्र को बताया था कि एसे लोगों को उस क्षत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और फिर भी उसे इस मामले में सूचित नहीं किया गया है। इन सभी बातों को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्र से इस क्षेत्र मे इन गतिविधियों के खतरे से विशेष रूप से जागरूक है और यदि हां, तो सरकार इन्हें रोकने के लिये क्या करना चाहती है?

श्री उमा शंकर दीक्षित : जहां तक स्कूलों में असमिया भाषा का संबंध है, इस मामले के बारे म कुछ विवाद उठ खडा हुआ है। विभिन्न परीक्षण किये गये हैं। भाषा को

पढ़ाने के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, मैं इस प्रश्न पर शीघ्र विचार करूंगा और देखूंगा कि क्या वर्तमान आन्दोलन का किसी प्रकार से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इसके साथ कोई संबंध है और इसे इसके द्वारा बिगाड़ा गया है।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ विदेशी शक्तियां की यह प्रवृति रही है कि सीमा के विवाद कभी भी हल न हो पायें। इसके लिये ये शक्तियां काम करती रही हैं। अतः यह सुनिचित करने के लिये निरन्तर सतर्कता बरती गयी है कि उन शक्तियां का नियंत्रण न हों जाये। यह बात सभी जानते हैं कि सरकार का एक मंत्री एम० आर० ए० से संबंधित है।

दूसरी सूचना, जो माननीय सदस्य ने दी है, से भी मैं इंकार नहीं कर रहा हूं कि जब कभी सी० आई० ए० से संबंधित कोई विशेष व्यक्ति किसी स्थान की यात्रा करता है, तो उसकी यात्रा के तुरन्त, पश्चात् कुछ घटनाओं की सूचना मिलती है। मैं इस प्रकार की असाधारण शक्तियों का श्रेय उस व्यक्ति को देने के लिये तैयार नहीं हूं कि उस के द्वारा इतने कम समय की यात्रा से इस प्रकार के असाधारण परिणाम निकलेंगे। जहां तक सीमावर्ती क्षत्रों में अधिक जटिलताओं को पैदा करने वाली किसी ऐसी गतिविधि को रोकने के लिये सतकता, जागरूकता की आवश्यकता का संबंध है, हमें पूरी तरह समझा दिया गया है और ऐसी गतिविधियो को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

साझे राज्यपाल के बारे में पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में, वह अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कार्य नहीं कर रहे थे और न ही वह अपना विशेष उत्तरदायित्व निभा रहे थे। एक मामले में उन्होंने असम के मुख्य मंत्री के परामर्श पर कार्य किया था और दूसरे मामले में उन्होंने मेघालय के मुख्य मंत्री के परामर्श पर कार्य किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसी क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा निभायी जाने वाली यह भूमिका वांछनीय है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं विस्तृत रूप से इस मामले पर विचार किये बिना कोई मत व्यक्त नहीं कर सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेन्ट भी होते है। इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यपाल को क्या निदेश दिये गये थे ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं उस क्षेत्र का हूँ जिसका इस से संबंध है। मैं इसके बारे में बहुत ही दुखित हूं और मैं यह चाहता हूं कि स्थिति को सामान्य बनाया जाये। माननीय गृह मंत्री की बात को ध्यान में रखते हुए मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्यपाल की स्थिति उन के द्वारा दिये गये परस्पर विरोधी वक्तव्यों के कारण समूचे क्षेत्र में पूरी तरह खराब हो गयी है क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति से सांविधानिक उपबन्ध जानने की अपेक्षा नहीं की गयी है जिसके द्वारा राज्यपाल विभिन्न विधान सभाओं में पूरी तरह परस्पर विरोधी वक्तव्य दे सकता है। इस के अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्रथम तो यह कि इस तथ्य को देखते हुये कि यदि इस प्रकार के विवादों को नहीं निपटाया जाता है, तो न केवल इससे एक जादू की पिटारी ही खुल जायेगी, अपितु इससे विदेशी तथा देशीय विघटनकारी शक्तियों को अपना काम करने का अवसर मिल जायेगा, सरकार इस समस्या को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

इसके अतिरिक्त मुझे यह मालूम हुआ है कि भारत सरकार ने गारो राष्ट्रीय परिषद को उनकी मांग के संबंध में कोई उत्तर भेजा है। क्या वह हमें इस उत्तर का सार अथवा विषयवस्तु बताने की कृपा करेंगे?

गारों लोगों की एक शिकायत यह भी है कि मेघालय में सांविधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत उन्हें अनुसूचित जनजाति से संबंधित समझा जाता है और असम में उन्हें "अन्य अनुसूचित पिछड़े वर्गों" के रूप में समझा जाता है, हालांकि असम सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजातियों के सभी लाभ प्रदान कर दिया हैं। क्या सरकार का विचार उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन या संविधान में संशोधन करने का है, ताकि सांविधानिक असंगतियों को दूर करने के लिये असम में इन लोगों को अनुसूचित जनजातियों के लाभ दिये जा सकें ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इस उत्तर के पाठ के बारे में नहीं जानता जो माननीय सदस्य के अनुसार जारी हुआ था। इस समय जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं हुआ है। जहां तक स्थिति का स्थिरीकरण करने की आवश्यकता का संबंध है, मैं माननीय सदस्य के साथ पूरी तरह सहमत हूं और यदि वह किन्हीं विशेष उपायों का सुझाव दे सकते हैं, तो हम उन पर भी विचार करेंगे। इस समय हमारी स्थिति यह है कि हम ऐसी फूट डालने वाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं जिससे और विरोध पैदा हो, चाहे यह भाषा के आधार पर हो अथवा अन्य किसी कारण से। मेरा अपना विश्वास यह है कि वर्तमान आन्दोलन उस व्यवहार के, जो गारों लोगों के साथ किसी एक या दूसरे क्षेत्र में हो रहा हो, प्रति असंतोष के कारण हो रहा है। यदि असंतोष के इन कारणों को दूर कर दिया जाये, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विश्वास है कि ऐसे आन्दोलनों के जारी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप को यह मालूम नहीं है कि कोई उत्तर भेजा गया है अथवा नहीं ?

उमाशंकर दीक्षित : मुझे इस के बारे में मालूम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको यह मालूम नहीं है, तो क्या आप कृपा करके इस ओर ध्यान देंगे ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या उनका विचार संविधान में संशोधन करने का है जिससे असम के गारो लोगों को अनुसूचित जनजातियों के लाभ प्रदान किये जा सकें ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : हम ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है, किन्तु हम उस पर विचार करेंगे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हम माननीय मंत्री के वक्तव्य को गम्भीरता से कैसे लें कि सरकार स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहती है जब कि दिसम्बर, 1972 में दिये गये ज्ञापन पर कोई विचार नहीं किया गया और उसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है ?यह ठीक या गलत हो सकता है, किन्तु ज्ञापन में बताया गया है कि मेघालय सरकार इन लोगों के द्वारा ध्यान अपने कुप्रबन्ध अथवा कुप्रशासन से हटाना चाहती है। ऐसा क्या कारण है कि भारत सरकार ने इतने समय तक उस ज्ञापन पर विचार नहीं किया ? मैं इस प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहता कि ज्ञापन अथवा वह धारणा ठीक अथवा गलत है। क्या भारत सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह शीघ्र कार्यवाही करे ताकि ऐसी स्थितियां कोई गम्भीर रूप धारण न कर लें ? क्या सरकार अन्तर्राज्यीय विवादों के निपटान के लिए किसी तंत्र के बनाने के बारे में विचार कर रही है, जो किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाने के तुरन्त पश्चात कार्यवाही कर सके ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : जब कोई निर्णय लिया जाता है, तो सभी संगत बातों पर विचार किया जाता है। जहां तक अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सम्बन्ध है, भारत सरकार की मुख्य-धारणा यह है कि उसका विचार किसी प्रकार के परिवर्तन करने का नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप ने ज्ञापन के संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यदि उस नीति को बदलने का विचार नहीं किया गया है, तो पहले अपनायी गयी नीति पर दृढ़ रहने के अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या आप ने कोई मूल्यांकन किया है अथवा कोई मूल्यांकन करने जा रहे है, कि ये सभी बातें मेघालय सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप हुई ह ताकि राज्य के मामलों में अपने कुप्रबन्ध से ध्यान हटाया जा सके ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह मेघालय सरकार की कार्यवाही के संबंध में व्यक्त किया गया एक मत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह कृपा करके मूल्यांकन करेंग ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं उनकी धारणा के संबंध में मत व्यक्त करने में असमर्थ हूं ।

श्री वसन्त साठे : आज प्रात: 'पेट्रियट' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कामरूप जिले का जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक ने इस समाचार का खंडन किया है कि असम से पुलिस बल भेजा गया था अथवा वह मेघालय की पुलिस के आमने-सामने थी, जैसा कि कल समाचार मिला था । अत:, इस से पूर्व समाचार का खंडन होता है । कुछ समय पूर्व कुछ तथाकथित असम के सीमावर्ती क्षत्रों से गारों जनजातियों के लगभग 1500 'स्वयंसेवकों', द्वारा प्रदर्शन किये जाने का समाचार मिला था । मेघालय सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों को गारो पहाड़ियों से मेघालय ले जाया गया था । उस प्रदर्शन में गोली चलायी गयी थी और एक व्यक्ति मारा गया था । उस व्यक्ति का शव प्राप्त करने के लिये किसी ने भी दावा नहीं किया है । यदि यह प्रदर्शन असम में रहने वालों लोगों का उपद्रव था, तो स्पष्ट रूप से असम में रहने वाले लोगों द्वारा इस शव को प्राप्त करने का दावा किया गया होता । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस शव को प्राप्त करने के लिये दावा नहीं किया गया ? इससे यह संदेह होता है कि वह बाहरी व्यक्ति था । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस किस सीमा तक प्रोत्साहन दिया गया है, क्या यह हो सकता है कि मेघालय की ओर से यह ध्यान हटाने वाली एक चाल हो ?

राज्यपाल के सम्बन्ध में, राज्यपाल एक शरीर में दो व्यक्तियों के रूप में अपनी तथाकथित सांविधानिक हैसियत में परस्पर-विरोधी वक्तव्य देने की बजाय बीच-बचाव तथा समझौता कराने वाली भूमिका क्यों न अदा करें ? उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिये ? उन्हें इसका निपटान क्यों नहीं करना चाहिये ? उन्हें बातों का निपटान क्यों नहीं होने देना चाहिये ? क्या इन बातों की सूचना भारत सरकार की दी गयी थी ? इस अशान्ति को पैदा होने से राकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी थी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : सूचना और रिपार्टों में, जो समय-समय पर राज्यपाल द्वारा भजी जाती रही हैं, गारो लोगों की मांगों से संबंधित घटनाओं के बारे में सरकार को सूचित किया जाता रहा है । माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्हें आश्चर्य है कि सरकार इस मामले का निपटान नहीं कर सकी है । यह इतना सरल मामला नहीं है कि राज्यपाल ने केवल एक निर्णय ही लेना होता है और इसका हल करना होता है । यह एक जटिल मामला है जहां भावनाओं का संबंध होता है । जहां तक वास्तविक सूचना का संबंध है जिसे माननीय सदस्य ने पूछा है, मुझे सूचना दी जानी चाहिये ।

श्री समर गुह : इस से पूर्व स्थिति इस सीमा तक बिगड़ जाये कि दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लग और दोनों राज्यों की सशस्त्र पुलिस के बीच इस प्रकार के झगड़े होने लग क्या सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त न्यायाधिकरण की नियुक्ति करेगी और यह कहेगी कि ऐसे विवाद ग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में उच्चशक्ति प्राप्त इस न्यायाधिकरण का निर्णय मान्य होगा ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : किसी न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया है, किन्तु भारत सरकार गम्भीरतापूर्वक इस प्रश्न पर विचार करेगी और वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्थिति बिगड़ते न पाये ।

श्री समर गुह : यदि आप दोनों राज्यों को एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय के लिये सहमत कर सके, तो इस मामले का निपटान किया जा सकता है । आप एक न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिये सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं ?

श्री बी० के० दासचौधरी : यह भली भांति स्पष्ट हो गया है कि असम और मेघालय की सीमाओं के बीच सीमा विवाद इतना अधिक बढ़ गया है कि भारत सरकार को तुरन्त तथा अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है और माननीय मंत्री ने भी यही कहा है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास ऐसी कोई सूचना है कि मेघालय पहाड़ियों के भीतर असम सीमा से निष्कासित गारों लोगों के नामपर पहले ही राहत शिबिर चालू किये गये हैं, क्या उन्हें इस बात की सूचना भी मिली है कि उन राहत शिबिरों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये मेघालय सरकार ने मेघालय के तथा अन्य लोगों को उदारता से चन्दा देने के लिये दबाव डाला है, क्या उसे यह भी मालूम है कि असम के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई गड़-बड़ के, चाहे यह राजनीतिक हो अथवा दूसरी हो, तथा भाषायी गड़बड़ के नाम पर भी पूरी तरह इस बात को जानते हुये भी कि, मेघालय सरकार ने कुछ लोगों को राज्यों में आने के लिये प्रोत्साहन दिया, इन मामलों का निपटान असम सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। इन सभी बातों को देखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री एक जांच समिति की नियुक्ति करेंगे जो विस्तत रूप से विचार करेगी कि क्या मेघालय सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिये किये गये दावे न्यायसंगत हैं अथवा इन्हें केवल मेघालय सरकार के दोषों तथा बुराइयों को छिपाने के लिये सी० आई० ए० अथवा एम० आर० ए० के साथ सांठ-गांठ करके किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक जांच समिति नियुक्त की जाएगी और उसे यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : ऐसी समिति की नियुक्ति नहीं की जायेगी, अपितु हम तथ्यों का पता लगाने के लिये जांच करना पसंद करेंगें, ताकि हम उपयुक्त कार्यवाही कर सकें।

श्री बी० के० दासचौधरी : गारो राष्ट्रीय परिषद द्वारा चालू किये गये राहत शिबिरों के बारे में उन्हें क्या कहना है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मुझे इस बारे में मालूम नहीं है।

श्री बीरेनदत्त : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो सरकार को गारो लोगों को अनु-सूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से रोकती है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस पर विचार करना होगा। हम ने उस पर विचार नहीं किया है।

श्री तरुण गोगोई : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या मेघालय सरकार ने केन्द्रीय सर-कार को किसी सीमा विवाद के होने के बारे में सूचित किया है और यदि हां, तो विवादग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं और क्या दोनों सरकारों के बीच मामले का निपटान करने के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करने की बजाय राज्यपाल द्वारा निभायी गयी परस्पर विरोधी भूमिका से अधिक जटिलतायें पैदा हो गयी हैं और राज्यपाल द्वारा दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित करने की बात को देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा मामले का निपटान करने के लिये भूमिका निभाये जाने के बारे में राज्य-पाल को क्या परामर्श दिया गया है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने पहले ही बता दिया है कि दोनों सरकारों ने हमारे साथ इस मामले पर चर्चा नहीं की है। एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष द्वारा कोई मांग नहीं की गयी है। जैसाकि मैंने कहा है कि गारो राष्ट्रीय परिषद ने इस मामले को उठाया था और कुछ आन्दोलन भी किया गया था। मैंने इस मामले में भारत सरकार की स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री तरुण गोगोई : इस मामले का निपटान करने के लिये निभायी जानेवाली भूमिका के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यपाल को क्या परामर्श दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर आधा घंटे से विचार कर रहे हैं। हमें इस से अधिक समय इसे नहीं देना चाहिये। सदस्यों ने अनेक विस्तृत, संगत तथा तर्कसंगत प्रश्न पूछे हैं और मंत्री महोदय ने कई बार कहा है कि उन्हें सूचना की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा है—यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल

है--कि वह इन मामलों की जांच करेंगे । मुझे आशा है कि उनके द्वारा की जाने वाली जांच में सदस्यों द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों पर विचार किया जायेगा और जांच के पश्चात् सभा के समक्ष इसके प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सत्र की समाप्ति से पूर्व इसे पेश किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यथाशीघ्र इसे पेश किया जाना चाहिये, क्योंकि उस क्षेत्र में घटनायें हो रही है । इस बारे में कई बातों पर विचार करना होगा । हमें इसे ऐसे ही नहीं लेना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस मामले में, इस बीच राज्यपाल को बदल दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उठायी गयी प्रत्येक बात की जांच की जायेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह इस बात को और उकसा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बर्मन ।

श्री बी० के० दासचौधरी उठे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने अगले प्रश्न को पूछने के लिये कहा है ।

देश में दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

***713. श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ; और

(ग) क्या इस प्रकार के एक केन्द्र की उत्तर प्रदेश में स्थापना की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 38 प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनमें प्रतिवर्ष अधिक से अधिक लगभग 13,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता है ।

(ग) लखनऊ में सर्किल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर में जिला प्रशिक्षण केन्द्र और मेरठ में एक क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र पहले से ही काम कर रहे हैं ।

Shrimati Savitri Shyam : Mr. Deputy-Speaker, Sir, keeping in view of the increased National and International activities, there is no corresponding speedy expansion of Telecommunications in our country and there has been no modernity and even efficiency has not been increased. In such a big country, the total number of Training Centres, which are functioning at present is 38 only in which there is provision of imparting training to 13,000 people. May I know from the Hon. Minister what is the cadrewise number of personnel who have been trained elaborately in these Centres during the last five years and whether they meet the requirement fully for which they were trained ?

I also want to know whether proper arrangements have been made in the Hostels for boarding and lodging of the trainees ?

Prof. Sher Singh : Mr. Deputy-Speaker, Sir, there has been much expansion of Telecommunication, because at the time when our country became independent there were only 15 thousand Telephone connections in the country but at present

16 lakhs Telephone connections have been given. It means that there has been 100 per cent expansion, but it is correct that there should be more expansion and as a result of the expansion in Fifth Plan, another 7½ lakhs telephone connections would be provided.

So far as training is concerned, we have expanded this also and at present 38 centres are functioning in the country where 13,000 people are being trained. I have not got the figures of last 5 years, but some 12,405 people were trained during 1973-74.

So far as the question of providing Hostel accommodation is concerned, there are hostels in places like Jabalpur, Nagpur etc. and in some places the centres have been opened in rented buildings. We have allocated Rs. 13 crores in this plan for the construction of buildings after acquiring land at some places.

Shrimati Savitri Shyam: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to know whether the instructors, who were sent to these and other Tele-Communications Centres and also other people, who were sent for training under the Colombo Plan during the last five years, have been posted at these centres for imparting the same subject for which they have been trained or whether they have been posted some where else?

Secondly, whether 3 centres are sufficient for a big state like U.P.?

Prof. Sher Singh: 12 persons are sent for getting training under the Colombo Plan. Some times less than 12 persons are sent for training, but approximately 12 persons are sent for getting training and they are only sent for that type of training which is not being imparted in this country and they are posted for that work only for which they are trained.

So far as the question of the number of Training Centres in U.P. is concerned, we propose to open 2 more centres in U.P., i.e. one in Gaziabad and the other is Naini in addition to the existing 3 training centres, there would be 12 batches in Ghaziabad and 6 batches in Naini. There are 25 trainees to 45 trainees in a batch.

Shri Hukam Chand Kachwai: The Hon'ble Minister has stated in reply to the main question that 13 thousand people are being trained. I want to know, whether keeping in view of the requirements of the country Government propose to increase the number of trainees.

I would like to know in which States the new centres are going to be set up and how many more centres are going to be set up.

Prof. Sher Singh: As I have stated that we are going to set up centres at some places. One centre will be set up in U.P., one in Punjab and another will be set up in Rajasthan. Similar centres will be opened at other places also where they are required. It is proposed to open more batches at the existing centres such as we are thinking to open six batches at Kanpur where there is two batches. We are thus expanding it in this way and will expand according to requirement.

श्री एम० एस० संजीवीराव : सौभाग्यवश भारत माइक्रो वेव उपकरणों समेत दूर संचार के सभी तरह के उपकरणों की योजना बनाने, उनका निर्माण करने, स्थापित करने तथा देखभाल करने की स्थिति में है, संयुक्तराष्ट्र के प्रतिवेदन के अनुसार अफ्रीका तथा मध्य-पूर्व के देशों को लगभग 30 लाख डालर मूल्य के उपकरणों की आवश्यकता है तथा हमने उन देशों में अच्छा निर्यात किया है और युगांडा जैसे देशों ने भी हमारे दूरसंचार इंजीनियरों की माँग की है। इस पृष्ठभूमि में मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वे दूरसंचार के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही कर रहे हैं ?

प्रो० शेर सिंह : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम दूर संचार के केन्द्रों की संख्या बढ़ा रहे है तथा हम इन उपकरणों का निर्यात अन्य देशों, विशेषकर मध्य-पूर्व के देशों आदि को कर रहे हैं।

जनजातीय कल्याण विभाग

*714. **श्री गिरीधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के शीर्षक के अन्तर्गत राज्य जनजातीय कल्याण विभागों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : अनुसूचित जन जातियों के लिए आबंटित की गई राशि इस प्रकार है :—

	चौथी पंचवर्षीय योजना	पांचवीं पंचवर्षीय योजनाय (अस्थाई),
	(रुपये करोड़ों में)	
केन्द्रीय क्षेत्र . . .	39.19	32.00
राज्य क्षेत्र	34.00	71.00

इसके अतिरिक्त पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय क्षेत्रों के संयुक्त विकास के लिए संबंधित राज्यों को 200.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित किये जाने की सम्भावना है ।

श्री गिरधर गोमांगो : पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रुपये देने का है । परन्तु यहां प्रतिवेदन में पिछड़े क्षेत्र के लिए केवल 255 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में यह राशि 39.19 करोड़ रुपय थी जबकि पांचवी योजना में यह केवल 32 करोड़ रुपये है । प्रत्येक वर्ष प्रत्येक योजना में यह आबंटित धन राशि कम की जा रही है, केन्द्रीय क्षत्र और राज्य क्षेत्र दो क्षेत्र हैं—केन्द्रीय क्षेत्र समूचे राष्ट्र के कार्यक्रम के लिए है और राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के लिए है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए क्या पांचवीं योजना में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राशि के आबंटन में वृद्धि की जाएगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने आंकड़े दिए हैं । अस्थायी आधार पर पांचवीं योजना की छोटी राशि 32 करोड़ की तुलना में चौथी योजना में 39.19 करोड़ रुपये की राशि मेरे विवरण के साथ पढ़ी जाये । इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना के दौरान जनजाति क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु संबंधित राज्यों को 200 करोड़ रुपये आबंटित किए जाएंगे ।

पांचवीं योजना में नया दृष्टिकोण अपनाया गया है । अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए एक नई-नीति बनाई गई है और इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों के लिए उपयोजनाएं बनाने तथा उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विशेष योजनाएं भी बनाने का विचार है । इन योजनाओं को देखते हुए और सभी विभिन्न विभागों और विकास शीर्षकों को देखते हुए जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया उपबंध पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक होगा ।

श्री गिरधर गोमांगो : मेरा दूसरा प्रश्न यह है । भारत सरकार ने जो नई नीति अपनाई है वह यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजाति विकास खंड को समेकित बिकास एजेंसी में बदला जाये । इतना ही नहीं जनजाति के विकास के लिए जनजाति विकास एजेंसियों और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं । मंत्री महोदय ने बताया है कि इसके अतिरिक्त जनजाति क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए 200 करोड़ आबंटित किए जाएंगे । पांचवी योजना में जनजाति क्षेत्रों के लिए उपयोजनाएं तैयार करने तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाने का विचार है । मेरा प्रश्न है कि क्या उपयोजना आदि के लिए अलग से 200 करोड़ रुपयों की राशि आबंटित की गई है अथवा जनजाति क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए यही आबंटित धन राशि है ?

श्री राम निवास मिर्धा : जनजाति विकास खंड केवल वर्तमान वर्ष के लिए चालू किए जा रहे है। हमारा विचार अगले वर्ष से क्षेत्रीय विकास के लिए एक नई योजना नीति अपनाने का है तथा इस उद्देश्य के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं। पांचवीं योजना में जोर इस बात पर होगा कि मुख्य साधन सामान्य बजट से आने चाहिए और निश्चय ही जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रमों को समूचे रूप से आम योजना से पर्याप्त सहयोग मिलेगा और जो मैंने आंकड़े दिए हैं वह केवल अनुपूरक हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : The money which is allocated to state Governments for the upliftment and development of Scheduled castes and Scheduled tribes is not spent in full by them for the purpose and that is spent on other unimportant works, for example, they have not spent Rs. 5 crores allocated in the last five years plan, for electrifying 20 thousand villages. Only Rs. 3 crores or Rs. 3½ crores, were spent for electrification and the rest was spent on other works. I want to know what action you take when the state Governments do not spend the money allocated to them for the upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for this purpose? Do you ask them to supply the detailed statement of the expenditure in this connection?

Shri Ram Niwas Mirdha : We take it for granted that State Governments are as much anxious to develop these areas and to uplift these people as we are. That is why in the state sector the amount has been increased to Rs. 74 crores in fifth plan from Rs. 34 crores in fourth plan.

So far as the particular question of the hon. Member regarding the electrification of villages is concerned, I can answer provided a separate notice is given for it.

श्री डी० बसुमतारी : क्या यह सच है कि योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विकास के लिए विभिन्न मार्ग सुझाये गए है? जहां तक जनजाति विकास खंडों का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने श्री गोमांगो के उत्तर में कहा है कि जनजाति विकास खंड केवल एक वर्ष तक चलेगा। मैं मंत्री महोदय और संसद के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जनजाति विकास खंडों के नाम पर राशि सामान्य क्षेत्र में दी जाती है। जनजाति विकास खंडों के नाम पर केवल अन्य लोगों को लाभ पहुंचा है, जनजातियों को नहीं। राशि का केवल 25 प्रतिशत भाग जनजाति के लोगों की भलाई के लिए पानी की सप्लाई, शिक्षा आदि पर व्यय किया जाता है। मंत्री महोदय से समय-समय पर यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि इस मामले को देखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचें? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी योजना है जिसके द्वारा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की आबंटित राशि जनजाति के लोगों के विकास पर ही व्यय की जाए।

श्री राम निवास मिर्धा : जनजाति खंड आरम्भ करने का एक मापदंड यह है कि उस क्षेत्र में कम से कम 66 प्रतिशत जनजाति के लोग रहते हैं। यह कहना सही नहीं है कि जनजाति क्षेत्रों के लिए केवल 25 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई तरीके हैं कि क्या राशि ठीक प्रकार से व्यय की गई है या नहीं और यदि कोई विशेष मामला सामने लाया जायेगा तो हम उस पर विचार करेंगे।

असैनिकों में से भर्ती किए गए भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को स्वतन्त्रता सेनानियों के रूप में पेंशन देना

***715. श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिकों में से भर्ती किये गये आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पेंशन दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और अब तक कितने व्यक्तियों ने इस प्रकार की पेंशन प्राप्त की है ;

(ग) क्या 'रानी झांसी' यूनिट के सैनिकों तथा 'भारतीय स्वतंत्रता लीग' के सदस्यों को भी पेन्श मिली है ; और

(घ) असैनिकों में से भर्ती किये गये आजाद हिन्द फौज के आवेदकों को पेंशन देने की वांछनीयता पर विचार करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमान्, पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर ।

(ख) अब तक ऐसे व्यक्तियों से 9036 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं और 917 को पेंशन प्रदान करने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ग) जी हां, श्रीमान्, पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर ।

(घ) पात्रता की शर्तों का उल्लेख करने वाली योजना की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 6719/74]

श्री समर गुह : यह सर्वविदित है कि दो श्रेणियों के लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे । एक श्रेणी ब्रिटेन की स्थल सेना में नियमित कर्मचारी थे और दूसरी श्रेणी उन असैनिक कर्मचारियों की थी जो दक्षिण पूर्व एशिया में रहते थे । इन असैनिक कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है— नियमित स्थल सेना, प्रशासन तथा गुप्त सेवा । यह भी सर्वविदित है कि नेताजी द्वारा किए गए आह्वान के उत्तर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि "सब कुछ बलिदान करके फकीर बन जाओ", दक्षिण पूर्व एशिया में हजारों लोगों ने अपना काम छोड़ दिया था तथा आजाद हिंद फौज को अपनी सम्पत्ति दान कर दी और आजाद हिन्द फौज में भरती हो गए । क्या यह सच है कि आजाद हिंद फौज के तीसरी डिवीजन के अधिकांश सैनिक कर्मचारी नागरिकों से लिए गए थे ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि आजाद हिंद फौज के कर्मचारियों को, जो तीसरी डिवीजन में थे, नजरबंदी शिबिरों में बुरी तरह से सताया गया और जब युद्ध में जापान पीछे हट गया तब आजाद हिंद फौज के इन्हीं लोगों ने समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के जीवन को बचाया ?

एक मापदंड यह निर्धारित किया गया था :—

"ऐसा व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जप्त कर लिया गया है अथवा कुर्क कर लिया गया है और बेच दी गई है"

एक और मापदण्ड है :—

"वह व्यक्ति, जिसको राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण अपनी नौकरी, असैनिक अथवा सैनिक, अथवा रोजगार के साधनों से हाथ धोना पड़ा है" ।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि इन दो नियमों के संदर्भ में क्या सरकार उन असैनिक व्यक्तियों को पेंशन देने पर विचार करेगी जो आजाद हिंद फौज के नियमित सेना अथवा प्रशासन अथवा गुप्त सेवा में शामिल हुये थे ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि आजाद हिंद फौज में शामिल होने वाले भूतपूर्व असैनिकों की समस्या कुछ जटिल है । वर्तमान मापदंड के अनुसार कुछ मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा । इन सभी बातों पर गौर करने के लिए हमने श्री शाहनवाज खां की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है जो इस मामले की जाँच करेगी तथा सिफारिश करेगी कि क्या किया जाना चाहिए । समिति ने आजाद हिंद फौज के भूतपूर्व असैनिकों को एक प्रश्नावली भेजी है जिसमें उन्होंने कुछ सूचनाएं यथा राष्ट्रीयता आजाद हिंद फौज में शामिल होने की तिथि, रैंक, कहां कार्य किया, कम्पनी के नाम आदि की जानकारी मांगी है । इस प्रश्नावली का परिचालन किया गया है और जब उनका उत्तर आ जायेगा तब यह समिति इसकी जाँच करगी और अपनी सिफारिशें देगी ।

श्री समर गुह : भूतपूर्व असैनिकों के साथ कठिनाई यह है कि वे अपने डिवीजन अथवा सेना के रैंक के बारे में प्रमाणपत्र देने में असमर्थ है । दस्तावेज या तो नष्ट हो गए है अथवा ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अखिल भारतीय आजाद हिंद फौज समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू थे और बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री अध्यक्ष बने और अब प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अध्यक्ष हैं, द्वारा जारी किया गया अथवा अस्थायी आजाद हिंद सरकार के जीवित मंत्री अथवा किसी असैनिक अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र वैध दस्तावेज माना जायेगा ? क्या आनन्द मोहन साहा और देब नाथ दास जैसे व्यक्तियों को समिति में शामिल किया जायेगा, भारतीय स्वतंत्रता लीग के किसी सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया । कम से कम असैनिक व्यक्तियों में से आनन्द मोहन साहा जैसे व्यक्ति को उस समिति में शामिल किया जाना चाहिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि दस्तावेज मिलने में कठिनाई हो रही है । लेकिन मेरे विचार में माननीय सदस्य तथा सदन इस बात को स्वीकार करेंगे कि समिति का सिफारिश करने से पहले संतुष्ट होना आवश्यक है । मेरे विचार में समिति को उच्च शक्ति प्राप्त है । श्री शाहनवाज खां इसके सभापति हैं तथा श्री मोहन सिंह संसद-सदस्य इसके सदस्य हैं । आजाद हिन्द फौज के आंदोलन को सैनिकों तथा असैनिकों में नहीं बांटा जाना चाहिए । चूंकि यह समिति उच्चशक्ति प्राप्त है इसलिए सिफारिश देने का काम हमें उसी पर छोड़ देना चाहिए ।

श्री समर गुह : जिन लोगों ने नियमित सेना में से इसमें भाग लिया था उनके बारे में ब्यौरा मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी परन्तु असैनिकों के बारे में ब्यौरा मिलने में कठिनाई है । सभी पर विचार किया जाना चाहिए ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : शाहनवाज समिति को मंत्री महोदय द्वारा भेजे गए आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सदस्यों के नामों के अतिरिक्त, क्या सदन को इस समय यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि श्री आनन्द मोहन सहाय और देबनाथ दास जैसे लोगों को भी अनुदान दिया जाएगा चाहे उनका नाम शाहनवाज समिति को भेजा गया हो अथवा न भेजा गया हो ।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इस बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन फिर भी आजाद हिन्द फौज आंदोलन में सहयोग देने वाले विख्यात व्यक्तियों का उचित ख्याल रखा जाएगा ।

श्री एस० एन० बनर्जी : क्या सरकार 'रायल इण्डियन नेवी' विद्रोह की क्रान्तिकारी भूमिका से अवगत है ? क्या उनको स्वतन्त्रता सेनानी मानकर उचित लाभ दिया जाएगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रधान मंत्री ने उन्हें अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों की तरह मानने का निर्णय पहले ही किया हुआ है ।

गुजरात में पांचवीं योजना में गहन औद्योगिकरण

*717. **श्री डी० डी० दसाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पांचवीं योजना में तेज गति से गहन औद्योगीकरण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो खनिजों के निकाले जाने और उद्योगों की स्थापना के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) पांचवीं योजना में ग्रामीण और हथकरघा उद्योगों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

पांचवीं योजना के दौरान बाकी देश के साथ गुजरात का भी तेजी से तथा सघन औद्योगीकरण करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं । अपनी पांचवीं योजना प्रारूप में, गुजरात सरकार ने खनिजों की खोज के लिए 12.00 करोड़ रुपये, बड़े तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए 45.30 करोड़ रुपये तथा हथकरघा उद्योग सहित ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए 7.70 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है । बहरहाल, राज्य योजना परिव्यय के आकार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । केन्द्रीय क्षेत्र में तेल की खोज और उत्पादन तथा तेल पाइप लाइनों पर विनियोजन करने के अलावा, कोयाली रिफायनरी के विस्तार, बड़ौदा में पेट्रो-रसायन कम्प्लेक्स और सहकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजना के लिए 211 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने विवरण में बताया है कि राज्य औद्योगिक संयंत्र को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ कठिनाईयों का उल्लेख किया है । औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता और विशेषकर तेल तथा पेट्रो-रसायन क्षेत्रों में हुए बड़े परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अत्यधिक कमी तथा कमी को दूर करने और हाल ही में राज्य में असंतोष फैलाने वाली बेरोजगारी की समस्या पर विचार करेंगे ?

श्री मोहन धारिया : जसा कि मैंने पहले बताया है, जहां तक हम अपने देश में अधिक अशोधित तेल का उत्पादन कर सकते है, उस सीमा तक कुछ व्यवस्था भी करनी होगी और वर्तमान तेल संकट के संदर्भ में इन मामलों पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में इस सुझाव पर विचार किया जाएगा ।

श्री डी० डी० देसाई : वर्तमान समस्या उद्योगों की निर्धारित क्षमता को बनाए रखने की है । हाल ही में हुई जबरी छुट्टी या कारखाने के बन्द होने से हुई कमी का कारण स्थानीय कच्चे माल अथवा बिजली की सप्लाई कम होना है । वर्तमान उद्योगों की पूर्ण-निर्धारित क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और बिजली की बढ़ी हुई मात्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है ? क्या औद्योगिक विनियोजन में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बिजली का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा ?

श्री मोहन धारिया : सरकार वर्तमान क्षमताओं के कम उपयोग से पूरी तरह अवगत है । कच्चे माल, बिजली की कमी तथा परिवहन सम्बन्धी कठिनाईयों आदि सहित इसके कई कारण हैं । इन सब बातों पर विचार किया गया है और इसी कारण वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना में पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

श्री डी० डी० देसाई : आर० एफ० ओ० जैसे बिजली पैदा करनेवाले संयंत्र ईंधन की कमी के कारण आंशिक रूप से कार्य कर रहे हैं । यही मुख्य समस्या है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य के योजना परिव्यय के आकार को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है । इस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन है । इसलिए वर्तमान प्रशासन योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगाएगा? क्या सरकार इस बारे में भी सजग है कि लगातार बिजली कटौती के कारण, धुवारन को आर० एफ० ओ० से सप्लाई तथा साबरमती संयंत्रों को कोयले की सप्लाई में कमी के कारण औद्योगिक व्यवधान पैदा हुआ है और उत्पादन में कमी हुई है तथा रोजगार की भी हानि हुई है ? क्या सरकार पांचवीं योजना के दौरान गुजरात राज्य में औद्योगीकरण के सामान्य प्रश्न पर विचार करते समय इन कारणों को भी ध्यान में रखेगी ?

श्री मोहन धारिया : सदन को यह पता है कि जहाँ तक पांचवीं योजना का सम्बन्ध है, मूल्यों में वृद्धि तथा हाल ही के तेलसंकट के कारण इसको अन्तिम रूप देने में अधिक समय लेना पड़ रहा है। इस बारे में कई प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयत्नों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सहायता और इसके आकार का निर्णय किया जाएगा। इस सीमा तक यह सच है कि पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने में और समय लगेगा। लेकिन जहाँ तक वार्षिक योजना का सम्बन्ध है, यह 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अतः, विवरण में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर तथा इसको अन्तिम रूप देने के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

कलकत्ता और बम्बई के मेट्रो सिनेमाघरों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

अ० सू० प्र० संख्या 9. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और बम्बई के मेट्रो सिनेमाघरों को अपने हाथ में लेने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा शीघ्र ही मेट्रो सिनेमाघरों को अपने हाथ में न लिये जाने की स्थिति में उनके कर्मचारियों की गम्भीर आशंकाओं की उन्हें जानकारी है ; और

(ग) इस बारे मे सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) विदेशी मालिकों से बम्बई तथा कलकत्ता के मेट्रो सिनेमाघरों को अधिग्रहण करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया है और बातचीत करने के लिए एक समिति बना दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेट्रो सिनेमा के अमरीकी स्वामित्व को एक स्विस कम्पनी को हस्तान्तरित करने के बारे में मन्त्री महोदय द्वारा कुछ सप्ताह पहले संसद में व्यक्त की गई गलतफहमियों को दूर कर दिया गया है और क्या कानूनी स्थिति अब स्पष्ट हो गई है और सरकार सिनेमाओं के असली मालिक से मेट्रो सिनेमा का अधिग्रहण करने के लिए, उप समिति के माध्यम से, मामले पर आगे कार्यवाही कर रही है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि बार-बार हमें भिन्न भिन्न कहानियां बताई जाती रही है। एक बार हमें यह बताया गया कि एक विदेशी मालिक दूसरे विदेशी को स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं कर सकता। फिर हमें यह बताया गया कि विधि-मन्त्रालय ने यह निर्णय दिया है कि हस्तान्तरण बिल्कुल सही हुआ है। फिर यह बताया गया कि सरकार इसका अधिग्रहण कर रही है। फिर मन्त्री महोदय ने सदन को बताया कि कुछ कठिनाइयों के कारण सरकार इसका अधिग्रहण नहीं कर सकती। सारा मामला काफी दुरूह हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीकियों से सम्भवतः स्विस मालिकों को, जिनमें एक भारतीय बेनामीदार भी शामिल है, स्वामित्व के हस्तान्तरण का कार्य पूरा हो गया है और कार्यवाही की जा रही है जिससे कि अधिग्रहण हो सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : ट्रेमार्सा नामक स्विस कम्पनी और एम० जी० एम० के मालिकों के बीच तथाकथित समझौते के बारे में माननीय सदस्य के अन्तिम प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब वे इस कम्पनी की बिक्री के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते थे, तब हमने यह बात रिजर्व बैंक के ध्यान में ला दी थी। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने भारतीय कम्पनी अर्थात् प्राइवेट मालिकों द्वारा शेयर खरीदे जाने के लिए मंजूरी नहीं दी है। इसलिए अब हम यह आशा करते हैं कि विदेशी मालिकों के हित में... (**व्यवधान**)...ही यह बात होगी अगर वे उसे हमें बेच दें। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, जिसका सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस आशय के समाचारों को ध्यान में रखते हुए, जो मुझे कर्मचारी यूनियन से प्राप्त हुए है कि कलकत्ता में कार्यरत वर्तमान अधिकृत अथवा अनधिकृत प्रबन्धकों ने अगले वर्ष से सिनेमा के पट्टे का नवीकरण न करने की धमकी दी है, मेट्रो सिनेमा के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने और सिनेमा के विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? इस आशय की भी खबरें है कि सुरक्षित निधि का गबन किया जा रहा है अथवा विदेशी एजेन्सियों के माध्यम से उसे गायब किया जा रहा है और इसी प्रकार की अन्य बातें की जा रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि शीघ्र ही अन्तरिम व्यवस्था की जाए जिससे सिनेमा उद्योग और कर्मचारियों के हितों में उसका अधिग्रहण उचित प्रकार से हो सके?

श्री आई० के० गुजराल : मैं यह समझता हूं कि जब कर्मचारी कलकत्ता उच्च न्यायालय में गये, तो अदालत ने एक अन्तरिम आदेश दिया, जिसके अनुसार कलकत्ता के मेट्रो सिनेमा का संचालन करने के लिए श्री गणेश चन्द्र दास, श्री एस० के० राय और श्री जी० मेन्जीज को नियुक्त किया। चूंकि उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और उस आदेश को अन्तिम रूप भी दे दिया गया है, इस प्रश्न पर यह समिति विचार करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह समिति अब अस्तित्व में नहीं है। अब ये तीन अधिकारी वहां नहीं हैं।

श्री आई० के० गुजराल : मुझे दी गई जानकारी यह है कि अन्तरिम आदेश 24 सितम्बर 73 को दिया गया था और उस आदेश को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा तो उस अदालत ने कहा था जिसमें मुकदमा चल रहा था। जब उन्होंने अपील की, तो अफसोस की बात है कि अपीलीय न्यायालय में वे हार गये। रोक आदेश तो है, परन्तु समिति को हटा दिया गया है। (**व्यवधान**)

श्री आई० के० गुजराल : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं इसकी छानबीन करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे इसकी जानकारी है। मैंने इस मामले में पैरवी की थी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं मामले के तथ्यों से कतई वाकिफ नहीं हूं। परन्तु मन्त्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि स्वामित्व की सही स्थिति क्या है। क्या अमरीकी कम्पनी मेट्रो सिनेमा की अब भी मालिक है? अगर वे अपनी इच्छा के विरुद्ध मालिक बने हुए हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मेट्रो सिनेमा के अमरीकी मालिकों से शेयरों का अधिग्रहण करने और अगर सरकार चाहती है, तो उसका संचालन करने के मार्ग में क्या बाधायें हैं? अगर यह सम्भव नहीं है, तो उनकी खुली नीलामी कर दी जाये।

श्री आई० के० गुजराल : किनकी नीलामी कर दी जाये?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यही तो परेशानी है। वह हमारा सवाल ही नहीं समझे। शेयर रजिस्टर विदेशी मुद्रा अधिनियम के अधीन रखा जाता है और शेयर रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर हस्तान्तरित नहीं हो सकते। अब यह अनुमति दी नहीं गई है। मैं यह मान लेता हूं कि मालिक अभी भी अमरीकी कम्पनी

है। अगर ऐसा है, तो वे अपनी मर्जी के खिलाफ मालिक बने हुए हैं। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्य पर शेयरों का हस्तान्तरण करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है और उसके बाद सरकार सिनेमा का स्वयं संचालन कर सकती है अथवा शेयरों को जनता में नीलामी से बेच सकती है।

श्री आई० के० गुजराल : जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछना शुरू किया, तभी उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें ब्यौरे की जानकारी नहीं है। ब्यौरा इस प्रकार है कि मेट्रो सिनेमा एक स्विस कम्पनी को बेचा जा रहा था, जिसके बारे में इस सदन में कुछ आरोप लगाये गये थे। वित्त मन्त्री ने यह कहा कि वे इस प्रकार के सौदे की अनुमति नहीं देंगे और सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय से यह पूछा गया कि क्या उक्त मन्त्रालय इस सिनेमा को अर्थात् इस सम्पत्ति को खरीदने की इच्छुक है, जिसके उत्तर में हमने "हां" कहा। इसलिए, एक वार्ता समिति गठित की गई। जब वार्ता समिति गठित की गई, तो एम० जी० एम० ने एक समय स्वामित्व को बेचने का प्रस्ताव किया और सौदे को अन्तिम रूप देने के लिए एक प्रतिनिधि भी भेजा। बाद में वे इससे मुकर गये और फिर वे उनसे बातचीत करना चाहते थे, जिनसे पहले से बातचीत चल रही थी। रिजर्व बैंक ने प्राइवेट पार्टी के साथ सौदा करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए हमें उम्मीद है कि वास्तविक मालिकों से बातचीत करना सम्भव हो सकेगा, परन्तु इस समय मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि आगे किस प्रकार का सौदा होगा। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गत 20 दिसम्बर को दूसरे सदन में प्रश्नों का उत्तर देते हुए, मन्त्री महोदय ने यह कहां बताते ह कि केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने एक समिति गठित की है, जो कम्पनी के प्राधिकरण के तरीके के बारे में कार्यवाही कर रही है। इसका यह अर्थ हुआ कि इस कम्पनी का अधिग्रहण करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, अब प्रक्रिया के बारे में विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कम्पनी का अधिग्रहण करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और अधिग्रहण की कीमत के बारे में भी दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि अब मामला किस स्थिति में है, क्या अधिग्रहण सम्बन्धी मूल निर्णय कर लिया गया है और केवल प्रक्रिया तथा बिक्री मूल्य आदि पर ही चर्चा हो रही है और क्या उन्हें इस बात की जानकारी है, जैसा कि श्री मुकर्जी ने कहा कि सिनेमाओं के पट्टे के नवीकरण न होने के पूर्वानुमान में, जिस जगह सिनेमा स्थित है, उसके मालिकों-प्लेबियन प्रापर्टीज लि० ने, जो एक विदेशी कम्पनी है, इस बात की घोषणा की है कि वे उस स्थान पर बहुमंजिले होटल या दुकानों या इसी प्रकार की किसी अन्य इमारत का निर्माण करना चाहेंगे ; इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में शीघ्रता की जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि प्रक्रिया के बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही पूरी हो।

श्री आई० के० गुजराल : मेरे द्वारा वह वक्तव्य देने के बाद, जैसा कि मैंने अभी कहा कि विदेशी कम्पनी, स्विस कम्पनी जो ब्रिटेन स्थित प्रवर्तन शाखा की एजेन्सी से मूलत: बातचीत करने और हमें बेचने के लिए सहमत हो गई थी, अपने वायदे से मुकर गई। उन्होंने पहले के मालिकों या पार्टियों से बातचीत करने का प्रयास किया और इस बात को सदन में भी उठाया गया था। रिजर्व बैंक ने उसके लिए अनुमति नहीं दी। इसीलिए अब हमें स्विस कम्पनी से फिर से बातचीत करनी है कि क्या वे हमें इसकी बिक्री करना चाहेंगे। अब यही मुद्दा है और हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। जहाँ तक प्लाट के पट्टे का सम्बन्ध है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करूँगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पिछली बार सदन में यह कहा गया था कि ये गुप्ता बन्धु, स्विस कम्पनी से जिसके वास्तविक अस्तित्व की भी जानकारी नहीं है, प्राप्त मुख्तारनामे द्वारा मेट्रो सिनेमा का प्रबन्ध और नियन्त्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये गुप्ता बन्धु अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर और बदमाश हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गुप्ता बन्धुओं के बारे में अपनी धारणा बदल दी है ? सरकार इन अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों और बदमाशों के साथ मेट्रो सिनेमा की खरीद के बारे में क्यों बातचीत कर रही हैं ? अनुच्छेद 31 के अधीन बिना मुआवजा अदा किये सरकार प्रबन्ध अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ? मुकदमा चलते हुए भी सरकार कर्मचारियों की मदद क्यों नहीं कर रही ?

श्री आई० के० गुजराल : जिस व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया है, उसके साथ सरकार बातचीत नहीं कर रही है। इस स्थिति में भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पहले हमने बेचने वाली पार्टी से यह कहा था कि किसी प्रतिनिधि को भेजे जिसके साथ हम बातचीत कर सकें, परन्तु उस समय कोई समझौता हुआ नहीं। हम उनके साथ फिर से बातचीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 के अधीन अधिग्रहण करने में कठिनाई यह है कि विधि मन्त्रालय ने यह सलाह दी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बारे में कुछ कठिनाइयां हैं। हम इस मामले पर फिर से बातचीत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने कहा था कि आप मुझे समय देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा था कि मैं आपको समय दूंगा या श्री सोमनाथ चटर्जी को।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने एक पार्टी के दो सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं अब ध्यानाकर्षण को ले रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सारे मामले से सम्बन्धित हूं। यह मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। क्या आप सरकार को परेशानी से बचाना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को किसी परेशानी से नहीं बचाना चाहता। मैं सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अनुचित है। मैंने पूरे प्रश्न काल में एक भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। ध्यानाकर्षण।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा ईंधन की खपत के बारे में अध्ययन

***709. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कहने पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने ईंधन की बचत करने के लिए मार्च, 1974 में ईंधन की खपत के बारे में अध्ययन किया है ;

(ख) क्या परिषद ने, यह भी सिफारिश की थी कि सार्वजनिक वाहनों के रूप में चलने वाली टैक्सियों तथा वाहनों की एक निश्चित संख्या 'मल्टीपल-फेअर प्लाइंग सिस्टम' के लिए निर्धारित की जाए ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के केन्द्रीय सरकार के कहने पर "ईंधन की खपत को किस प्रकार कम किया जाय" (हाऊ टु रेड्युस फ्युअल कन्जम्शन) के सम्बन्ध में एक प्रलेख तैयार किया था।

(ख) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा की गई शिफारिशों में एक शिफारिश शहरों और कस्बों में टैक्सियों के लिये मल्टीपल किराया पद्धति अपनाने के सम्बन्ध में थी ।

(ग) शिफारिशें सरकार के विचाराधिन है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का भरा जाना

*712. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षित बहुत से रिक्त पदों को 1972 में नहीं भरा गया तथा उन्हें अगले वर्ष के लिये आरक्षित कर दिया गया ; और

(ख) इन रिक्त पदों (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अनसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित जिन रिक्त स्थानों को 1972 में नहीं भरा गया था तथा जिन्हें अलगे वष के लिये सम्मिलित कर लिया गया था वे निम्नप्रकार हैं :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
श्रेणी 1 और 2 (राजपत्रित) . . .	..	..
श्रेणी 2 (अराजपत्रित)	4	4
श्रेणी 3 . . .	6	15
श्रेणी 4	..	..

पश्चिम जर्मनी के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

*716. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की अनेक फर्मों ने हमारे देश में उद्योगों की स्थापना में सहयोग करने की रुचि जाहिर की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना अधिकांशत: उन उद्यमकर्ताओं के पहल और उद्यम पर निर्भर करता है जिन्होने विदेशी सहयोग की मोटी शर्तों पर विदेशी सहयोगों से बातचीत कर ली है और तब वे अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करते है। इस समय पश्चिमी जर्मनी की फर्मों से विदेशी सहयोग के 48 प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावों में कुछ उद्योग गाड़ियों के सहायक सामान, इलैक्ट्रानिक पुर्जे कास्टिक सोडा, क्लोरीन, टेक्स्टाइल मशीनरी, मुद्रण मशीनरी, ड्रायविंग स्टीम टरबाइन, सीमेंट निर्माण मशीनरी तथा सहबद्ध उत्पादों के सम्बन्ध में हैं । वर्तमान नीति तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

Changes in the Fifth Five Year Plan

*718. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri Narendra Singh:

Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5598 on 3rd April, 1974 regarding postponement of finalisation of Fifth Plan and state:

(a) the broad outlines of the changes proposed to be made in the revised Fifth Plan; and

(b) the time by which the revised plan will be ready?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) As stated earlier, exercises are undertaken in the Planning Commission to determine what adjustments may be necessary in the draft Fifth Five Year Plan. It may not be possible to indicate the broad outlines of changes or the exact time for finalisation, at this stage.

सूरत, गुजरात में आकाशवाणी प्रसारण केन्द्र की स्थापना

*719. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों मे प्रसारण सेवा उपलब्ध करने सम्बन्धी प्रस्तावों की आकाशवाणी की पांचवीं योजना के प्रस्ताव में शामिल किया गया है। ये प्रस्ताव अभी योजना आयोग से मंजूर हो कर नहीं आए हैं।

देश में आपात-स्थिति समाप्त करना

*720. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात-स्थिति समाप्त करने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो आपात-स्थिति कब तक समाप्त कर दी जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) आपात-स्थिति समाप्त करने के प्रश्न की लगातार समीक्षा की जा रही है। किन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि यह आपात-स्थिति कब तक समाप्त कर दी जायेगी।

Telephone service in Jaipur

*721. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the telephone service in Jaipur city of Rajasthan has not been working properly and satisfactorily for the last one year;

(b) whether many memoranda were submitted to the circle Manager of Jaipur area by the Rajasthan Chamber of Commerce but no action has been taken on them; and

(c) if so, the facts in this regard and the efforts being made by Government in this direction?

The Minister of Communications (Shri K. Brahmananda Reddy): (a) No Sir, the telephone Service in Jaipur City has been generally satisfactory during the last year.

(b) and (c) Only one memorandum was submitted by the Jaipur Chamber of Commerce in May, 1973. It was duly replied to by the District Manager Telephones Jaipur in the meeting itself. No memorandum was received from the Rajasthan Chamber of Commerce. A statement is laid on the table of the House indicating the points raised by the Jaipur Chamber of Commerce in their memorandum and the action taken. [*Placed in Library. See L.T.* 6720/74.]

भविष्य विज्ञान सम्बन्धी विशेषज्ञ तालिका

*722. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी आंकलन की वर्तमान प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने तथा इस क्षेत्र में भारत को आधारभूत आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करने के लिए एक भविश्य-विज्ञान संबंधी विशेषज्ञ तालिका गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रुप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां । विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा भविष्यिकी संबंधी एक पैनल का गठन किया गया है ।

(ख) इस पैनल के विचारार्थ विषय, इसकी सदस्यता तथा पैनल द्वारा निर्धारित अध्ययन के क्षेत्रों का एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

भविष्य की सम्बन्धी विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति (एन० सी० एम० टी०) का पैनल

(क) पैनल के विचारार्थ विषय : इसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(1) प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा निर्णय करने की वर्तमान पद्धतियों तथा भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता का पुनरीक्षण करना तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संबंधी प्रतिवेदन तैयार करना ।

(2) भारत सरकार के विभिन्न संगठनों के नीति निर्माताओं के लिए पृष्ठभूमी के रुप में काम आने के हेतू चुने हुये क्षेत्रो में भविष्य के संभावित दृष्टिकोणों को व्यक्त करने वाले भावी अनुसंधान के प्रायोगिक क्षेत्रों में मोनोग्राफ/प्रतिवेदन तैयार करना ।

(3) भारत के विश्वविद्यालयों तथा उच्च अध्ययन के अन्य संस्थानों में भविष्य के संबंध मे बोध/औत्सुक्य को प्रोत्साहित एवं अनुप्रणित करना और भविष्यिकी के क्षेत्र में विशिष्ट परियोजनाओं पर "भावी अनुसंधान" करना ।

(ख) विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के भविष्यिकी सम्बन्धी पैनल के सदस्य :

1. डा० बी० डी० तिलक,
   सदस्य, एन० सी० एस० टी०, निदेशक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना . . . . अध्यक्ष
2. डा० अशोक खोसला,
   वरिष्ठ विशेषज्ञ (ओ ई पी सी) . . सदस्य
3. डा० आर० सी० निगम,
   वरिष्ठ विशेषज्ञ (ओ ई पी सी) . . . सदस्य
4. डा० पी० के० रोहतगी,
   भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, बंगलौर . . . सदस्य
5. प्रो० जे० टी० पानीकर,
   उप निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पवई, बम्बई–76 सदस्य
6. श्री जे० सी० कपूर,
   3 सी०, रश्मी, कार्मिचाँल मार्ग, बम्बई–26 . . सदस्य
7. श्री भरत के० बन्सल,
   वरिष्ठ विशेषज्ञ (ओ ई पी सी) . . सदस्य
8. श्री वी० राव ऐयागरो,
   वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एन सी एस टी . . सदस्य
9. डा० रजनी कोठारी,
   निदेशक, विकासशील समाजों का अध्ययन केन्द्र, 29, राजपुर मार्ग, दिल्ली–6 . . . सदस्य
10. डा० डी० के० रंगानाकर,
    संपादक 'इकोनोमिक टाइम्स' बेनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, पो० बा० सं० 213, डा० दादा भाई नौरोजी मार्ग, बम्बई–400001 . . . . सदस्य
11. डा० जे० सी० कृष्णय्या,
    प्रोफेसर, सूचना प्रणाली तथा संचालन अनुसंधान, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, वरद्रापुर, अहमदाबाद–380015 . . सदस्य
12. डा० एम० एस० आयंगर,
    द्वारा डी–11/4, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला क्वार्टर्स, डा० के० एस० कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली–60 . . सदस्य
13. डा० एस० सी० सेठ
    अवर सचिव, भारत सरकार, एन सी एस टी, टैक्नीलीजी भवन, नई दिल्ली–110029 . . . . सदस्य-सचिव

(ग) विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के भविष्यिकी सम्बन्धी पैनल द्वारा निर्धारित अध्ययन क्षेत्र : भारत में 1985 के निकटतम भविष्य तथा 2000 ई० में संभावित भविष्य के संदर्भ में गठन तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है :—

(1) ऊर्जा उत्पादन तथा आवश्यकताएं,

(2) आवास,

(3) परिवहन तथा संचार,

(4) नगर विज्ञान तथा गंदी बस्तियों की समस्याएं,

(5) भारत की ग्रामीण जीवन पद्धति तथा ग्रामीण विकास,

(6) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के दलों के विशेष संदर्भ में सामाजिक सांचों का अध्ययन,

(7) खाद्य एवं

(8) प्रबन्ध ।

पांचवीं योजना में आयुर्वेद का विकास

*723. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ; और

(ख) क्या योजना आयोग में आयुर्वेद के विकास के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने हेतु कोई सलाहकार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सभा पटल पर प्रस्तुत पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारूप (भाग–2) के अध्याय 10 में जैसा बताया गया है, पांचवी योजना में आयुर्वेद सहित होम्योपैथी और देशी चिकित्सा पद्धतियों का विकास पर कुल 28.07 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है । फिलहाल आयुर्वेद के बारेमें अलग से आवंटन की सूचना उपबन्ध नही है ।

(ख) योजना आयोग के स्वास्थय प्रभान में प्रमुख के पद का एक अधिकारी इसका सर्वोच्च अधिकारी है और आयुर्वेद तथा अन्य देशी चिकित्सा प्रणालियों सहित इस क्षेत्र का काम देखता है ।

बम्बई में हुए एक बैठक में अर्थ शास्त्रियों द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए सुझाए गए उपाय

*724. **श्री वी० मायावन :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित पांचवी पंचवर्षीय योजना पर विचारविमर्श करने के लिए हाल में बम्बई में कुछ विख्यात अर्थशास्त्रियों की एक बैठक हुई थी; और

(ख) क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि पांचवीं योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर करना होना चाहिए ; और

(ग) उनके द्वारा दिए गए अन्य सुझाव क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) मार्च 1974 को बम्बई में हुई व्यापार अर्थशास्त्रियों की एक बैठक में अधिकांश भाग लेनेवालों द्वारा यह सुझाव दिए जाने की सूचना मिली है कि पांचवी योजना का मुख्य उद्देश गरीबी को दूर करना होना चाहिए ।

(ग) भाग लेने वालों द्वारा दिए गए कुछ अन्य मुख्य सुझावों में शामिल हैं— उद्योगों के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर बल दिए जाने में कमी, जनसाधारणा के लिए रोजगार के अवसरो में वृद्धि करना, पांचवी योजना के आकार को बढ़ाना, एक कुशल वितरण प्रणाली की स्थापना करना तथा जिला आयोजन प्रणाली को अपनाना आदि ।

चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) में ग्राम्य उद्योगों सम्बन्धी परियोजना

*725. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के शेष पिछड़े जिलों में ग्राम्य उद्योगों संबंधी परियोजनाओ को लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों के लिए क्या कार्यक्रम है ; और

(ग) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में चित्तुर जैसे जिलो पर, जो कृषि तथा औद्योगिक तोर पर पिछड़े हुए हैं, इस परियोजना को लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता के बारे म विचार करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) फिलहाल सरकार के समक्ष ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम का विस्तार करके औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को जिन्हें रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रयत्न करने के लिये चुना गया है इसके अन्तर्गत लाने सम्बधी कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु पाचवी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाने के लिये चुनी गई सभी 57 परियोजनायें योजना आयोग पिछड़े घोषित किये गये जिलों के लिये है ।

(ग) चित्तुर जिला पांचवी योजनावधि में ग्रामीण उद्योग परियोजनायें स्थापित करने के लिये चुने गये जिलों में नही है ।

उदार लाइसेन्स प्रक्रिया के परिणामों का मूल्यांकन

*726. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षा शुरू की गई उदार लाइसेंस प्रक्रियाओं के परिणामों का कोई मूल्यांकन कया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या देश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रियाओं का और अधिक उदार बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम):(क) तथा (ख) जी, हां

सरकार ने औद्योगिक स्वीकृतियों की कार्य पध्दतियों तथा लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में प्रयुक्त पद्धतियों को सुप्रवाही बनाने के लिए कुछ निर्णयों की घोषणा की है। इन अभ्युपायों का प्रमुख उद्देश्य आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत माल की अनापत्ति आदि औद्योगिक स्वीकृतियों को निर्धारित समय के अंदर जारी करना है। लाइसेंस युक्त क्षेत्र में एक करोड़ रुपये तक निवेश करने वाले लघु तथा मझौले उद्यमियों को भी निर्धारित शर्तों के अधीन बिना पूर्व लाइसेंसिंग के पूंजीगत माल के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

इन अभ्युपायों से स्वीकृतियों के जारी करने में शीघ्रता आई है तथा लघु तथा मझौले उद्यमियों को सहूलियत मिली है। यह उल्लेखनीय है कि नवम्बर तथा दिसम्बर, 1973 में प्राप्त 491 आवेदनों में से (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका संबंध एकाधिकार तथा निर्बंधित व्यापार व्यवहार से था तथा जो अपूर्ण थे) जिनके लिए निर्धारित अवधि 90 दिन की थी, 455 प्रकरणों को मार्च के अंत तक निपटा दिया गया था। नवम्बर–दिसम्बर, 1973 में प्राप्त विदेशी सहयोग के 89 आवेदनों में से (अपूर्ण होने के कारण लौटाए आवेदनों को छोड़कर) इस वर्ष मार्च के अंत तक 75 आवेदनों को निपटा दिया गया था। 12 मामलों में आदेश जारी हो रहे हैं। इसी प्रकार नवम्बर-दिसम्बर, 1973 में पूंजीगत माल की स्वीकृती के लिए प्राप्त 51 आवेदनों में से (लौटा दिया गए अपूर्ण आवेदनों को छोड़कर) 45 मामलों को मार्च के अंत तक निपटा दिया गया था तथा एक के आदेश जारी हो रहे हैं। नवम्बर-दिसम्बर, 1973 तक प्राप्त सभी पांच मिश्रीत मामलों को जिनकी निर्धारित अवधि 120 दिन है, मार्च, 1974 के अंत तक निपटा दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

रायपुर तथा ग्वालियर में लघु उद्योग सेवा केन्द्र

*727. **श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उनके मंत्रालय से रायपुर तथा ग्वालियर में लघु उद्योग सेवा केन्द्र खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग की स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरोध विचाराधीन है।

विकास खण्ड मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाएं

*728. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यवार सभी विकास खंड मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधाए देने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास खंड मुख्यालयों में टेलीफोन की सुविधाएं देने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Rebate on Sale of Khadi

*729. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Khadi and Village Industries Commission have now decided to allow rebate on the sale of Khadi instead of the weaving of Khadi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the annual additional financial burden borne by Government on this account?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) Yes, Sir.

(b) The main reason for reversion to Sales Rebate lies in its inherent advantage over weaving subsidy scheme in the matter of promoting sales and clearance of stocks.

(c) No additional financial burden is expected to be borne by the Government on this account.

अखिल भारतीय महापौर परिषद् की ओर से ज्ञापन

6969. **श्री एम० कल्यामुतु :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 6 फरवरी, 1974 को अखिल भारतीय महापौर परिषद् की ओर से ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6721/74]**

"कर्ब आन कम्प्यूटर मोनोपली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

6970. **श्री वसन्त साठे :** क्या **इलेक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1974 के बम्बई के एक दैनिक समाचार पत्र में "कर्ब आन कम्प्यूटर मोनोपली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अभिकलित्रों के लिए इलैक्ट्रोनिक्स विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में देश के अंदर एक आत्म निर्भर अभिकलित्र उदयोग के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था है । राष्ट्रिय क्षमताओं को प्रभावकारी ढंग से गठित करने के प्रयोजन से यह आवश्यक होगा कि देश के अभिकलित्र बाजार में पनपती एकाधिकार

संबंधी किसी भी अवस्था को रोक दिया जाय । इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्तों प्रतिपादित किये हैं, जिससे अभिकलित्रों की आयात विनियमित हो सके ; इनमें व विशिष्ट स्वीकृतियां सम्मिलित हैं, जिन्हें इलैक्ट्रानिक्स विभाग जरूरतों के विस्तृत परीक्षण के बाद प्रदान करना है । अपनाए गये सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन इलैक्ट्रौनिक्स विभाग के 1971–72 हेतु वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है। और अधिक विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर सरकार विचार कर रही है । सरकार ने विशेषज्ञ पैनलों का भी गठन किया है ; ये पैनल परिकलित्र, लघु–अभिकलित्र, अभिकलित्र पेरीफिरल आदि जैसे उत्पादों की नई श्रंखला के विकास में साम्य आधार पर लाइसेंस देने के संबंध में सलाह देंगे ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति

6971. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री एम० कत्तामुतु :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, नई दिल्ली में एक सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, कार्मिक अधिकारी एवं सचिव (पर्सोनल अफिसर कम सेक्रेटरी) के पद पर कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं क्या है ;

(ग) सेवानिवृत्त व्यक्ति को नियुक्त करने के क्या कारण है ; जबकि इस देश में अर्हता प्राप्त काफी व्यक्ति मिलते हैं ; और

(घ) वर्तमान कार्मिक अधिकारी एवं सचिव के चयन हेतु क्या कसौटी अपनाई गई थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) विद्यमान सचिव सह-कार्मिक अधिकारी निगम की सेवा में 1-6-1970 को आये और इस समय उनकी अधिवार्षिक आयु पूरी होने में तीन वर्ष से अधिक बाकी थे ।

(ख) वह एक स्नातक हैं और कागज उद्योग का उन्हें पर्याप्त अनुभव है ।

(ग) और (घ) नियुक्ति के समय विद्यमान सचिव-सह-कार्मिक अधिकारी की नियुक्ति के समय विद्यमान पदस्थ अधिकारी को उसकी देश की कागज उद्योग की जानकारी और हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित सभी परियोजनाओं के विकास से सुपरिचित होने के कारण उपयुक्त समझा गया था । चूंकि परियोजनायें अब प्रगति पथ पर अग्रेसर होने लगी है अत: निगम के संगठनात्मक ढ़ांचें को अन्तिम रूप दिया गया है तथा प्रबन्धक (कार्मिक) के पद के लिये विज्ञापन दे दिया गया है ।

Agreement between India and Poland for Scientific and Technical Co-operation

6972. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether a five-year agreement has been reached between India and Poland for scientific and technical co-operation;

(b) if so, the benefits accrued to India under the earlier five-year agreement; and

(c) the financial gains likely to accrue from scientific co-operation under the present agreement?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) Yes Sir. The Indo-Polish agreement in the field of science and technology was signed on 15th March, 1974.

(b) There was no earlier five-year agreement at Government level with Poland in the field of science and technology. However Council of Scientific and Industrial Research had an exchange programme with the Polish Academy of Sciences for exchange of Scientists and Scientific information.

(c) The agreement does not envisage any financial gain as such. However, exchange of scientists, scientific information etc. will lead to greater idea generation and supplement our scientific and technical competence.

उपग्रह छोड़ना

6974. श्री के० मालन्ना : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के बाहरी क्षेत्रों में स्थित पीन्या में तैयार किये गये डिजाईन और निर्मित किये गये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह के माडल के प्रोटोटाइप का भारतीय वायु सेना के एक हेलिकाप्टर द्वारा 9 फरवरी को सफलतापूर्वक छोड़ा गया और परीक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी तथ्य क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) ये परीक्षण परिणामात्मक जाच और 'आन-बोर्ड' इलैक्ट्रानिक्स पद्धतियों के कार्यनिष्पादन तथा उपग्रह एवं भू-केन्द्र के बीच संचय संबंधों के मूल्यांकन के लिये किये गये थे । ये परीक्षण हेलीकाप्टर द्वारा निर्दिष्ट ऊचांईयो और भू-केन्द्र से निर्दिष्ट दूरी पर अनेक कौशल-कार्य करके किये गये थे ।

Cell created by Madhya Pradesh Government for implementation of various schemes in Fifth Plan

6975. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Madhya Pradesh Government has created a project cell for processing various schemes included in the Fifth Plan and for ensuring their timely implementation;

(b) whether the above cell has been formed on the lines of the high-level supervision and evaluation cell of the Planning Commission; and

(c) if so, the extent to which the Cell will be advantageous in achieving better coordination?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) to (c) On the basis of the detailed proposals submitted by Madhya Pradesh Government for the strengthening of planning machinery, the Centre has conveyed its approval to the setting up of *inter alia* Project Evaluation and Monitoring and Information Divisions as part of the State Planning Department. The staffing of these Divisions has been determined by the State Government in relation to the nature of programmes/projects to be taken up during the Fifth Plan, its priorities and levels of economic development, and the broad pattern laid down by the Planning Commission. It is expected the strengthening of the State planning machinery including the setting up of Project Evaluation and Monitoring and Information Divisions will help in the speedier and efficient implementation of the various programmes.

Development of Kosa Cloth Industry in Madhya Pradesh

6976. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of proposals sent by Madhya Pradesh state for the development of Kosa Cloth Industry in Madhya Pradesh during the last three years; and

(b) the number out of them which were approved?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) No such proposals were received.

(b) Does not arise.

Setting up of Public Sector Industries in M.P.

6977. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government have set up some new industries in Madhya Pradesh in Public sector during 1973-74; and

(b) if so, the names and capacity of those industries indicating the locations thereof and the amount of capital to be invested therein?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) The Government have not set up any industry in Madhya Pradesh in the Central public sector during 1973-74.

(b) The Question does not arise.

Imbalance in economic development of Mahakoshal area of M.P.

6978. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the imbalance in the economic development of Mahakoshal area of Madhya Pradesh is constantly increasing and the per-capita income in this area is much less as compared to other areas of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to remove this imbalance?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) In the absence of separate figures of per-capita income and levels of economic development of Mahakoshal and other areas of Madhya Pradesh, it is not possible to assess inter-regional imbalances in quantitative term.

(b) The State Government, which is primarily responsible for the accelerated development of backward areas, has, in its draft Fifth Five Year Plan proposals, indicated that intra-State imbalances are proposed to be reduced by undertaking in the backward areas, measures such as programmes of area development, rapid integration in agricultural production and productivity through a package of inputs and services encouraging actitives—subsidiary and ancilliary to agriculture and by creating conditions of economic development in the backward areas by way of providing adequate social and economic infrastructure. So far as Central Government is concerned, efforts of the State Government for the accelerated development of the backward areas will be supplemented through Minimum Needs Programme, Drought Prone Area Programme, Small Farmers and Marginal Farmers Development Projects and allocation of supplementary funds on the basis of integrated subplans for viable tribal areas.

चौथी योजना के दौरान बिहार के गांवों में डाक सुविधाएं

6979. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य के गांवों में डाक सुविधाओं को बढ़ाने के सम्बन्धमें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : फरवरी 1974 के अंत तक चौथी योजना के लक्ष्य का 81% भाग पूरा कर लिया गया था । पूरा लक्ष्य प्राप्त न करने का कारण डाकघर खोलने के लिए निर्धारित शर्तों का पूरा न होना और आर्थिक तंगी के कारण वर्ष 1973–74 के दौरान नये डाकघर खोलने पर पाबंदी का लगाया जाना है ।

संसद भवन के डाकघर के कर्मचारी

6980. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सत्रावधि के दौरान कामकी अधिकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार संसद भवन स्थित डाकघर के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेंगी; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी और बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) संसद भवन डाकघर के कर्मचारियों में आमतौर पर एक नायब पोस्टमास्टर, दो क्लर्क और एक पैकर रहता है । संसद के सत्र के दौरान जब काम बढ़ जाता है तो इसके निपटारे के लिए दो क्लर्क और एक पैकर के अतिरिक्त पद भी मंजूर किए जाते हैं ।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

Appointment of Controllers in Sick Textile Mills, Maharashtra

6981. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the present number and names of those sick cloth mills in Maharashtra where Government have appointed controllers; and

(b) the amount of loss and profit of the said mills during the year 1973-74?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) and (b) At present, there are 22 textile undertakings in Maharashtra, whose management has been taken over by Government under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972. The names of these undertakings and the profit/loss (provisional figures) made by them during the period April to December, 1973 are as follows :

Sl. No.	Name of the Undertaking	Net profit/loss after depreciation and bonus (Rs. in lakhs)
Under Industries (Development and Regulation) Act, 1951		
1.	Model Mills, Nagpur Ltd., Nagpur.	88.33
2.	R.S.R.G. Mohta Spg., & Wvg., Ltd. Akola.	39.69

Sl. No.	Name of the Undertaking		Net profit/loss after depreciation and bonus (Rs. in lakhs)
3.	India United Mills Ltd., Bombay.		
to	(six units)		9.54
8.			
9.	Aurangabad Mills Ltd., Aurangabad.		4.72
10.	Digvijay Spg. & Wvg. Mills Ltd., Bombay.		6.43 (Upto Nov., 73.)
11.	Chhaganlal Textile Mills Pvt. Ltd., Chalisgaon.		17.88
12.	Ahmedabad Jupiter Spg. & Wvg. & Mfg. Co. Ltd., Bombay.		19.55
	Under Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management), Act 72		
13.	Apollo Mills, Bombay.	(—)	9.38
14.	Edward Textile Mills, Bombay.		25.60
15.	Jayashankar Mills Barsi, Barsi (Dist. Sholapur)		17.02
16.	New Kaiser-i-Hind Spg. & Wvg. Mills, Bombay.		35.88
17.	New Partap Spg. & Wvg. & Mfg. Mills Dhulia.		19.94
18.	Osmanshahi Mills, Nanded.		59.80
19.	R. B. Bansilal Abirchand Spg. & Wvg. Mills, Hinghanghat.		33.37
20.	Savatram Ramprasad Mills, Akola.		19.44
21.	Seksaria Cotton Mills Bombay.	(—)	13.19
22.	Vidarbha Mills (Berar), Ellichpur.		36.82

Pak National holding Pakistani passports in Bihar

6982. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of Pakistani nationals holding Pakistani passports in Bihar, district-wise; and

(b) the number among them of those whose period of visas was extended during the last six months?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Pak Nationals holding long-term visas in Rajasthan

6983. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of Pakistani nationals in Rajasthan, holding long term visas district-wise; and

(b) the number among them, of those whose terms of visa has been extended more than once?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केरल में रोजगार प्रधान परियोजनाओं के लिए धनराशि

6984. **श्री वयालार रवि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को रोजगार प्रधान परियोजनाएं तथा योजनाएं आरम्भ किये जाने के लिये उनके मंत्रालय ने वर्ष 1974–75 के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ख) इस अवधि में बनाई जाने वाली परियोजनाओं की रूपरेखा क्या है तथा इन योजनाओं में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) 1974–75 के लिये प्रस्तावित रोजगार संवर्धन कार्यक्रम का विवरण इस समय योजना आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। केरल की राज्य सरकार को भी इस कार्यक्रम के अधीन 1974–75 में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के व्यय

6985. **श्री वयालार रवि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अपने निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों पर गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितना व्यय किया ; और

(ख) उक्त अवधि में निदेशक बोर्ड की कितनी बार बैठक हुई और इस पर कितना व्यय हुआ ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :

(क)	1971–1972	1,49,548.27 रु०
	1972–1973 .	1,85,939.68 रु०
	1973–1974 . . .	1,97,533.79 रु०
(ख)	छह बार । किया गया व्यय	1,25,308.75 रु०

Recovery of a revolver and charas from Hippies in Delhi

6986. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Delhi Police recovered one foreign made revolver and one Kilogram of charas from 6 Hippies in a hotel on the 20th March, 1974;

(b) whether such intoxicants have often been recovered from such foreigners;

(c) whether Government have formulated any scheme to check this completely; and

(d) the number of foreigners arrested on these charges during the last six months and the total quantity recovered from them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) In the night intervening between 19th and 20th March, 1974, in front of a hotel, a revolver was recovered from a foreigner and 860 gms. of charas was recovered from 4 other foreigners and 1 Indian.

(b) to (d) In the period 1-10-73 to 31-3-74, thirty-nine foreigners were arrested and 6.920 grams of charas and 11.095 Kilograms hashish was recovered from them.

Wherever any foreigner is suspected to be carrying such contraband, he is checked and necessary action is taken if any contraband recovered.

औषध नियंत्रक की सलाह पर ड्रग तथा फार्मास्यूटिकल के लाइसेन्स देना

6987. श्री के० एम० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री भारत के औषध नियंत्रक द्वारा लाइसेंसिंग समिति के सलाहकार के रुप में कार्य करने के बारे में 20 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3919 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रग्ज तथा फार्मास्यूटिकल लाइसेंसिग के ऐसे कितने मामले है जिनमें औषध नियंत्रक की सलाह पर अथवा सलाह के बिना अनुमति पत्र मंजूर किये गये थे ;

(ख) गत तीन वर्षों में, मदवार तथा तारीखवार, लाइसेन्सिग समिति के सदस्य के रुप में, औषध नियंत्रक को कितने मामलों में मनोनीत किया गया था ;

(ग) लाइसेन्सिग समिति द्वारा औषध नियंत्रक (औद्योगिक सलाहकार) की सलाह के विरुद्ध कितने मामलों में निर्णय किया गया और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) जब डी० जी० टी० डी० में पदेन औद्योगिक सलाहकार नियन्त्रक है तो पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के माध्यम के बजाय डी० जी० टी० डी० द्वारा उससे सीधे ही परामर्श क्यों नहीं लिया जाता है ; और

(ङ) क्या भारतीय औषध नियन्त्रक के इलावा इस समय डी० जी० टी० डी० के पास औषधियों के लिए कोई औद्योगिक सलाहकार है, यदि नहीं, तो लाइसेंन्सिग समिति की सभी बैठकों में उन्हें आमन्त्रित न करने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) 1966 से पहले अनुमति/अनापत्ति पत्र लाइसेंसिंग समिति के निर्णय के आधार पर कि विद्यमान उपक्रम द्वारा किसी अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन का आशय "नई वस्तु" के उत्पादन से नहीं होगा बशर्ते के अतिरिक्त वस्तु औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम की पहली अनूसूची के उसी "शीर्ष" के अन्तर्गत आती हो तथा इसके लिये नये व्यापार चिन्ह अथवा पेटेन्ट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता न हो । यह एक सामान्य निर्णय था । और उपर बताई गई शर्तों को पूरा करने वाले सभी मामलों में लागू था ।

अतः औषध नियत्रंक के परामर्श से अथवा बिना परामर्श के इन पत्रों को जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता । औषध तथा भेषजीय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन की एक प्रतिलिपि औषध नियंत्रक को उनकी सम्मति के लिए भेजी जाती है । उनके द्वारा यदि कोई सम्मति दी जानी हो तो आगे सम्मति के लिए

तकनीकी विकास महानिदेशालय भी उनके पास अपनी सम्मतियां भेजता है। यदि उनकी सम्मतियां समय पर प्राप्त हो जाएं तो उन्हें लाइसेंसिंग समिति के समक्ष रखे जाने वाले सारलेख में समायोजित कर लिया जाता है। विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त सम्मतियों को दृष्टिगत रखकर लाइसेंसिंग समिति निर्णय लेती है। इन सम्मतियों को गोपनीय रखा जाता है। किन्तु औषध नियंत्रक को पिछले तीन वर्षों से लाइसेंसिंग समिति के सदस्य के रुप में सहयोजित नहीं किया गया।

तकनीकी विकास महानिदेशालय सीधे औषध नियंत्रक से भी परामर्श करता है। तकनीकी विकास महानिदेशालय में औषध से सम्बन्धित एक उपमहानिदेशालय है जो आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंसिंग समिति की बैठकों में भाग लेता है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में तदर्थ नियुक्तियां

6988. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर (श्रेणीवार) नियुक्त किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों और ग्रेड III के स्टेनोग्राफरों की संख्या क्या हैं ;

(ख) क्या उनकी भर्ती रोजगार केन्द्रों द्वारा की गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका चयन समाचारपत्रों के जरिये आवेदनपत्र मंगा कर किया गया है ;

(घ) यदि (ख) और (ग) भाग के उत्तर नहीं है तो ऐसा करने के क्या कारण है और उनके चयन के लिए क्या कसौटी अपनाई गई थी ; और

(ङ) क्या कार्मिक विभाग के तदर्थ आधार पर भर्ती किये गये कर्मचारियों की वर्तमान संख्या बता दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपकों तथा आशुलिपकों (ग्रेड–3) की संख्या क्रमशः 79 तथा 77 है।

(ख) इनमें से कुछ को रोजगार कार्यालय की मारफत भर्ती किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार जनहित में इन कर्मचारियों को अल्प-कालिक सूचना पर सेवामुक्त किए जा सकने की शर्त पर सीधे ही सर्वथा अस्थाई तथा तदर्थ आधार पर भर्ती किया गया था अपेक्षित अर्हता प्रात व्यक्तियों को ही चुना गया था तथा इस में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई थी।

(ङ) जी, हां।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

6989. **श्री आर० पी० दास** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल के अराजपत्रित कर्मचारी संघ (सेन्ट्रल सेरीकल्चरल रिसर्च स्टेशन, नान-गजेटिड

एम्पालाइज एसोशिएशन) की ओर से आकस्मिक भुगतान श्रमिकों (कन्टींजेन्ट पेड लेबरर्ज के मासिक वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले पर क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान केन्द्र, बरहामपूर, पश्चिम बंगाल में नियुक्तियां

6990. श्री आर० पी० दास : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह सूचना प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपूर पश्चिम बंगाल के निदेशक ने हाल ही में आयु तथा न्यूनतम अर्हताओं के भर्ती सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करके एक सहायक लाइन मैन, पम्प आपरेटर की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सहायक लाइन मैन और पम्प चालक के दोनों स्थान नये बनाये गये हैं और इन स्थानों पर नियुक्ति के भर्ती नियम अभी नहीं बनाये गये हैं । फिर भी इन स्थानों के लिये उम्मीदवार के नाम स्थानीय रोजगार कार्यालय से मांगे गये उम्मीद्वारों का साक्षात्कार इस आशय के लिये नियुक्त की गई चुनाव समिति द्वारा किया गया था तथा इसके द्वारा चुने गये उम्मीदवारों की नियुक्ति की गयी थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसन्धान केन्द्र, बरहामपुर, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को वेतन और मजूरी का भुगतान

6991. श्री आर० पी० दास : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब से केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, बरहामपुर केन्द्रीय रेशम बीर्ड (1970) को दिया गया है तब से कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन नियत तिथी पर नहीं प्राप्त हो रहा ; और

(ख) यदि हां, तो नियमित भुगतान दिलाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, नहीं । यद्यपि वेतन और मजदूरी का निर्धारित तिथियों को भुगतान करने में कतिपय कार्यविधि सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कुछ विलम्ब हुआ है । किन्तु ऐसा हर बार नहीं होता है ।

शरतल्लाई (केरल) टेलीफोन केन्द्र

6992. श्री वयालार रवि : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि शरतल्लाई (केरल) टेलीफोन केन्द्र की बैटरी प्रणाली मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्वचालित केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी मांग पर विचार करेगी ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सर्कल से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां, । 300 लाइनों वाला मौजूदा सेंट्रल बैट्री नान-मल्टीपुल एक्सचेंज शरतल्लाई की टेलीफोन संबंधी मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है ।

(ख) टेलीफोनों की मौजूदा और भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक क्षमता वाला एक मैनुअल एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है । आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन पर्याप्त न होने की वजह से शरतल्लाई में एक आटोमटिक एक्सचेंज स्थापित करने का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी हां ।

Renovation of Regal Building Shop by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

6993. Shri Panna Lal Barupal: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi propose to renovate and repair Nos. 24 and 70 Regal Building; and

(b) if so, the estimated expenditure to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नासिक जिले के आदिवासी क्षेत्रों में डाक घरों की शाखाएं खोलना

6994. श्री काहनडोल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नासिक जिले के आदिवासी क्षेत्रों में डाकघरों की अधिक शाखाएं खोलने का है ;

(ख) क्या कुछ ऐसे डाकघर खोल कर बंद कर दिये गये हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है यदि ग्रामवासी घाटे को पूरा कर दें तो घाटे में चल रहे डाकघर को चलाये रखा जाता है ;

(घ) क्या गरिब आदिवासियों से हानि वसूल करने के बजाय सरकार स्वयं राज-सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित नावापसी अंशदान की रकम अदा न किए जाने के कारण कुछ शाखा डाकघरों को बंद कर देना पड़ा ।

(ग) जी हां ।

(घ) जनहित में खोले गए डाकघरों के मामले में एक निर्धारित सीमातक घाटा सरकार खुद बर्दाश्त करती है। अत्यंत पिछड़े इलाकों के लिए यह सिमा 1000 रुपये है जबकि सामान्य इलाकों के लिए सीमा 500 रुपये रखी गई है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

Telephone line from Kotra to Swaroopganj

6995. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Communications** be pleased to **state:**

(a) whether Swaroopganj and other places can be contacted from Kotra on phone only through Dungarpur in Tehisil Kotra, District Udaipur, with the result that on many occasions the telephonic contact cannot be established for hours together; and

(b) whether Government have any way-out for overcoming the said difficulty of the people of Tehsil Kotra and if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) Yes, Sir. It is a fact that Swaroopganj and nearby stations can be contacted on phone only through Dungarpur. Kotra is a public call office connected to Dungarpur exchange. Swaroopganj is also a Public Call Office connected to Abu Road Exchange. Since the calls from Kotra to Swaroopganj have to be routed through Dungarpur, Udaipur, Marwar and then to Abu Road, delays on calls between these two stations are likely.

(b) The present traffic from Kotra to Dungarpur and Udaipur is very small and does not justify the provision of direct trunk lines from Kotra to Udaipur or any other station. In view of the limited traffic from Kotra the Department has no proposals on hand at present.

राज्यों को धन का आबन्टन

6996. श्री गिरधर गोमांगो : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 के लिए राज्यों की योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशी आवंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : एक विवरण सभा पटल रखा गया है।

विवरण

1974–75 के लिए योजना परिव्यय-राज्य

(रुपये करोड़ों में)

	योजना परिव्यय
1. आन्ध्र प्रदेश	127.39
2. असम	53.66
3. बिहार	168.98

(रुपये करोड़ों में)

	योजना परिव्यय
4. गुजरात	143.32
5. हरियाणा	81.60
6. हिमाचल प्रदेश	31.16
7. जम्मू व कश्मीर	48.00*
8. कर्नाटक	110.75
9. केरल	73.89
10. मध्य प्रदेश	152.25
11. महाराष्ट्र	275.84
12. मणिपुर	12.06
13. मेघालय	13.63
14. नागालैंड	14.00
15. उड़ीसा	71.24
16. पंजाब	107.87
17. राजस्थान	79.80
18. तमिल नाडु	112.00
19. त्रिपुरा	11.00
20. उत्तर प्रदेश	255.19
21. पश्चिमी बंगाल	147.87
22. पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनावंटित	25.00
23. सभी राज्य	2,116.50

बेभाग इन्जीनियरिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, थाना और जे० स्टोन एण्ड कम्पनी कलकत्ता में निदेशक

6997. श्री समर गूह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री जे०स्टोन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेभाग एण्ड कम्पनी को दे देना और उसके कलकत्ता में कर्मचारियों पर प्रभाव के बारे में 9 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में थाना स्थित बेभाग इंजीनियरिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और कलकत्ता में जे० स्टोन एण्ड कम्पनी, दोनों कम्पनियों में काम करने वाले निदेशक वही हैं ;

*अस्थाई

(ख) क्या बेमाग एण्ड कम्पनी जे० स्टोन कम्पनी के बहुत से कार्य कर रही हैं ;

(ग) क्या उक्त तथा अन्य तथ्यों से यह शिकायतें न्यायोचित सिध्द होती है कि बेमाग एण्ड कम्पनी जे० स्टोन एण्ड कम्पनी की 'बेनामी' कम्पनी ह ;

(घ) क्या सरकार इस बात की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवायेगी कि बेमाग कम्पनी जे० स्टोन एण्ड कम्पनी की 'बेनामी' कम्पनी है या नहीं, और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) जैसा कि कम्पनी कार्य विभाग ने सूचित किया है, दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 को जारी किए गए मै० जे० स्टोन एंड कंपनी के प्रोस्पेक्टस से पता चलता है कि मै० जे० स्टोन एंड कंपनी का एक निदेशक मै० बैमाग एंड कंपनो में भी निदेशक है । महाराष्ट्र सरकार ने जैसा कि कि सूचित किया है कि मै० जे० स्टोन एंड कम्पनी के लिए मै० बेमाग उजरती काम कर रहे है । कम्पनी कार्य विभाग की सूचना के अनरूप दिनांक 1–1–1972 के तुलन-पत्र के अनुसार मै० ज० स्टोन एंड कम्पनी ने मै० बेमाग इन्जीनियरिंग कम्पनी में कोई पूंजी नहीं लगाई है और न ही मै० जे० स्टोन एंड कम्पनी के कोई शेअर मै० बैमाग को दिए गए हैं । जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि म० बेमाग अलग अपनी लेखा पुस्तकें रखते हैं, तकनीकी स्टाफ स्वतंत्र है, दोनो कंपनियां अलग-अलग दिखाई पडती हैं और कोई भी "बेनामी" कार्य दिखलाई नहीं पड़ता । इन तथ्यो को दृष्टिगत रखकर इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराया जाना आवश्यक गहीं है ।

जाति प्रथा

6998. श्री बी० मायावान :
श्री तरुण गोगाई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जाति प्रथा तेजी से खत्म हो रही है;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने कुछ कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) उद्योगीकरण के प्रभाव में और सरकार द्वारा किये विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उपायों के कारण जाति प्रथा कम हो रही है । अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक संसद में पुर:स्थापित किया जा चुका है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों से विशेषकर जिनका सम्बन्ध भूमिसुधार, कृषि तथा औद्योगिक विकास, रोजगार अवसरों का विस्तार, आय में असमानता कम करने इत्यादि से है, यह प्रक्रिया जारी रहेगी ।

दिल्ली के कुतुब रोड और सदर बाजार में यातायात का रुक जाना

6999. श्री आर० एन० बर्मन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुतुबरोड और सदर बाजार के चौराहे पर यातायात प्राय: रुका रहता है जिसके कारण दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशन से प्रतिदिन गाड़ी पकड़ने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्राधिकारी ऐसी क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिससे भीड़-भाड़ के स्थानों पर यातायात न रुके ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु कुछ खास घंटों के दौरान चौराहे पर यातायात की भीड़-भाड़ होती है ।

(ख) यह चौराहा दिल्ली के मुख्य थोक बाजार से घिरा हुआ है और परिवहन कम्पनियों के कार्यालय व गोदाम भी चौराहे के चारों ओर स्थित है । इससे धीरे तथा तेज चलने वाले दोनों प्रकार के वाहनों से यातायात की बड़ी भीड़-भाड़ हो जाती है जिसके कारण यातायात में बाधा पड़ती है ।

(ग) दीर्घकालिक हल यह है कि थोक बाजार और परिवहन कम्पनियों को यहां से हटा कर शहर के बाहर किसी स्थान पर ले जाया जाय और धीरे चलने वाले यातायात को समाप्त किया जाय । इस क्षेत्र में यातायात को सुव्यवस्थित व नियमित करने के लिए इस समय वहां कुछ खास घंटों के दौरान ट्रकों के चलाने तथा खड़ा करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । इस चौराहे पर नियमित रूप से पुलिस कर्मचारी तैनात किये जाते हैं और यातायात निरीक्षण पुलिस कर्मचारी इस क्षेत्र में गश्त लगाते है । इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में यातायात-अपराधियों पर प्रतिमाह मुकदमा चलाया जाता हैं ।

राजस्थान नहर परियोजना के लिए अधिक धन के आबन्टन हेतु राजस्थान द्वारा किया गया अनुरोध

7000. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राजस्थान नहर परियोजना के अधीन प्राथमिकता वाले काम को पूरा करने के लिए अधिक धन के आवंटन हेतु अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां । राजस्थान नहर परियोजना चरण-1 के लिए 1974-75 के दौरान अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार से हाल ही में अनुरोध प्राप्त हुआ है । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बाकी निर्माण कार्यों की अधिनीत लागत, निर्माण के विस्तृत क्रमबद्ध कार्यक्रम तथा प्रतिफलों और विनियोजनों की पूर्ण प्रतिबंधता का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें ताकि इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से निश्चय किया जा सके ।

काश्मीर में मोहरा बिजली घर को उड़ाने का प्रयास

7001. श्री के० मालन्ना :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों द्वारा 14 मार्च, 1974 समय पर कार्यवाही करके काश्मीर में उरी के निकट मोहरा बिजली घर को उड़ाने के प्रयास को विफल कर दिया था ;

(ख) क्या सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) मोहरा बिजली घर की नहर की खाड़ी के अग्रभाग में एक टैंक-भेदी राकेट उसके खोल में सील किया हुआ 4 मार्च, 1974 को मिला था, न कि 14 मार्च, 1974 को । राकेट निरस्त्र पाया गया और क्रियाशील नहीं था । इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल जारी है ।

पांचवीं योजना को क्रियान्विती आरम्भ करने के लिए बिजली की कमी

7002. श्री डी० के० पण्डा :

श्री एम० कतामुतु :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति आरम्भ करने में बिजली की वर्तमान कमी के कारण कठिनाइयां आयेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना में बिजली की उत्पादन दर को काफी बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । पाचवी योजना में विकास के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिजली लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । पांचवी योजना के दौरान जिस 165 लाख किलोवाट क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है उसमें से 107 लाख किलोवेट उन अधिनीत स्कीमों में से होगा जो निर्माण/पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं । इसके अलावा थर्मल उत्पादन और अधिकांशत: वर्तमान स्टेशनों या आयोजित निर्माणाधीन बिजलीघरों के विस्तार पर बल दिया गया है ताकि जल्दी प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें और कुछ हद तक सूखे के प्रभाव से भी निपटा जा सके । लगभग 37 लाख किलोवाट बिजली वर्तमान बिजलीघरों के विस्तार से प्राप्त करने की योजना है । बिजली कार्यक्रम तेल इंधन पर आश्रित नहीं हैं अत: वर्तमान बिजली संकट का बिजली विकास पर कोई प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है । इस प्रकार बिजली उत्पादन की वर्तमान कमी का पांचवीं पंचवर्षीय योजना को आरम्भ करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ख) बिजली उत्पादन में वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठायें हैं । महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(1) घटिया रखरखाव फालतू पुर्जो की अनुपलब्धि तथा सप्लाई किए गए कोयले के घटिया किस्म के होने के कारण वर्तमान थर्मल स्टेशनों का काम असंतोषप्रद पाया गया । बिजलीघरों के लिए वांछित फालतू पुर्जों को पहले ही प्राप्त किया जा चुका है या उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। कुछ बिजली घरों में विशेषरूप से पूर्वी क्षेत्र के बिजलीघरों में फालतू पुर्जे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए गए । भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने बिजलीघरों की देखभाल और फालतू पुर्जे बनाने और सम्भरण करने के लिए एक फालतू पुर्जा और सेवा संगठन स्थापित किया है। तापीय बिजली-घरों को विशिष्ट कोयला खान क्षेत्रों से सम्बद्ध कर दिया गया है । तापीय बिजलीघरों के लिए नित्य प्रति कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेल बोर्ड में एक प्रबोधन कक्ष स्थापित किया गया है ।

(2) प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय के आधार पर संयंत्र रख-रखाव अनुसूचियां तैयार की जा रहीं हैं । केन्द्रिय प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत अन्तर राज्यीय लाइनें बिछा कर अधिकता वाले राज्यों से बिजली कमी वाले राज्यों को दी जा रही है । इस समन्वय कार्यवाही के माध्यम से बिजली के चरम उत्पादन (आफ-पीक पावर) का उपयोग किया जा रहा है ।

(3) धनराशि नियत करते समय बिजली क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई है । निर्माण कार्य में काफी आगे पहुंच चुकी कुछ परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए योजना परिव्यय में की गई व्यवस्था से भी अधिक धनराशि प्रदान की गई। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वर्ष 1972-73 में लगभग 41.5 करोड़ रुपये और वर्ष 1973-74 में लगभग 42.0 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय निर्मुक्त किए गए ।

(4) बिजलीघरों के दैनिक संचालन कार्य पर लगातार ध्यान रखने के लिए तथा अनुसूचित लक्षित तिथियों के अनुसार परियोजनाओं के निर्माण कार्य तथा उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए योजना आयोग, सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय बिजली तथा जल आयोग में प्रबोधन कक्ष स्थापित किए जा रहे है।

(5) परियोजनाओं के लिए इस्पात, सीमेंट, विस्फोटक जैसे दुर्लभ खनिजों की सप्लाई करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

कोयले की कमी के कारण बम्बई में सीमेंट कारखानों के श्रमिकों की जबरन छुट्टी

7003. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री मधु दण्डवते :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयले की भारी कमी और कोयला ढोने के लिये वैगनों की कमी के कारण जमा हुए स्टाक से बम्बई के सीमेंट कारखानों में लगभग 400 श्रमिकों की जबरन छुट्टी कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने क लिये क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) बम्बई में सीमेन्ट पीसने का केवल एक कारखाना है और इस कारखाने में मजदूरों को जबरन छुट्टी कर दी जान का कोई भी समाचार नहीं मिला है।

कोरापुट उड़ीसा में डाक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

7004. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा के कोरापुट जिले के डाक कर्मचारियों को गत दो वर्षों से परियोजना भत्ता नही दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों का परियोजना भत्ता देने के लिए मंत्रालय ने कोई कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है । इस यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

नमक आयोग द्वारा जोनल योजना का पालन

7005. श्री लालजी भाई : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक आयुक्त, भारत सरकार जोनल योजना का पूरा पूरा पालन नहीं कर रहा है;

(ख) क्या राजस्थान राज्य सरकार के स्त्रोतों के लिये निर्धारित डोडवाना, पचपड़ा जैसे क्षेत्रों में गांवोधाम, खारागोड़ा जैस अन्य स्त्रोतों से नमक आने दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप स्टाक जमा हो जाता है और बाजार में मन्दी आ जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) यह सच नही है कि नमक आयुक्त जोनल योजना का पूरा पूरा अनुपालन नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नमक का निर्यात

7006. श्री लालजी भाई : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में भिन्न भिन्न देशों को नमक का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) भारत में नमक के स्त्रोत कौन कौन से है जहां से अधिकतर नमक का निर्यात किया गया; और

(ग) नमक के निर्यात को बढ़ाने की क्या योजनाएं है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) 1973–74 (केवल फरवरी 1974 तक) की अवधि में नमक का देश-वार निर्यात बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) अधिकतर गुजरात के नमक के स्त्रोतों से, तमिलनाडु के तूतीकोरीन के स्त्रोत से और राजस्थान के सांभर स्त्रोत से नमक का निर्यात किया जाता है।

(ग) नमक के निर्यात में वृद्धि करने के विचार से सरकार विभिन्न अभ्युपायों पर विचार कर रही है जिन में कांड़ला बन्दरगाह पर लादने की यांत्रिक सुविधाएं भी शामिल है।

विवरण

क्र० सं०	देश का नाम	1973-74 (फरवरी 1974 तक) की अवधि में निर्यात की गई मात्रा (मी० टन में)
1	ताईवान	93,588
2	फिलीप्पाईन्स्	12,085
3	सिंगापूर	5,706
4	कोरिया	1,81,728
5	मालदीव	715
6	नेपाल	40,196
	योग	3,34,018

बिहार सरकार द्वारा सेना का उपयोग

7007. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने 18 मार्च, 1974 को रक्षा विभाग से सेना की सेवा ली;

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार सेना की सेवा कितनी अवधि तक लेती रही; और

(ग) क्या सेना विदेशी शत्रु के लिये है या भारत के लोगों को दबाने के लिये ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित स्थानों पर विभिन्न अवसरों पर हिंसक उपद्रवों के परिणामस्वरूप कानून व व्यवस्था बनाये रखने में नागरिक प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए सैनिक टुकड़ियां बुलाई गई थीं ।

(i) **पटना**

18 से 26 मार्च, 1974 तक

(ii) **रांची**

20 से 28 मार्च, 1974 तक

2 से 6 अप्रैल, 1974 तक

(iii) **धनबाद**

20 मार्च से 3 अप्रैल, 1974 तक ।

सहायक उद्योगों की स्थापना

7008. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने का निर्णय किया है जहां प्राथमिकता के आधार पर अधिक सहायक उद्योग स्थापित किये जा सकते है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त दल गठित करने और तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ करने का भी निर्णय किया है और यदि हां, तो क्या इस दिशा में शुरुआत करने वाले कौन कौन से सरकारी उपक्रम विचाराधीन है; और

(ग) सहायक उद्योगों की स्थापना करके कितने व्यक्तियों को नौकरियों दी जायेंगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार ने पहले ही कुछ क्षेत्रों को चुन रखा है जिन में सहायक उद्योगों के विकास की गुंजाईश है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के चुने हुए उपक्रमों का निरीक्षण करने तथा उद्योगों को सम्बन्धित उपक्रमों में सहायक उद्योगों का विकास करने के लिये उपयुक्त सुझाव देने हेतु एक संयुक्त दल गठित करने का अस्थायी तौर पर निश्चय किया गया है। यह दल उपक्रमों की सहायता प्राप्त करेगा ताकि लघु उद्योगो सेवा संस्थान इन उपक्रमों का अध्ययन करने के लिये अपने तकनीकी आर्थिक अध्ययन दल भेज सकें। इस उद्देश्य से संयुक्त दल द्वारा अध्ययन किए जाने वाले उपक्रमों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

1. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स, मद्रास
2. भारत अर्थ मुवर्स केसीएफ
3. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया, हैदराबाद
4. गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता
5. हैवी वेहीकल्स फैक्टरी, अबादी
6. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी
7. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स
8. न्यू वहीकल्स फैक्टरी, जबलपुर

(ग) सभी उपक्रमों का तकनीकी आर्थिक अध्ययन पूरा हो जाने के पश्चात सहायक उद्योगों की रोजगार सम्बन्धी क्षमता का पता चलेगा। अतः इस स्थिति में कोई संकेत दे सकना कठिन है।

अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार खादी ग्रामोद्योग आयोग का ग्रामीण उद्योग में स्थानान्तरण

7009. श्री राम भगत पासवान :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक मेहता समिति ने वर्तमान खादी ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण उद्योग आयोग में स्थानान्तरित करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकार के परामर्श से बड़ी सावधानी पूर्वक विचार किया गया है किन्तु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

सेन्ट्रल ग्लास सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीटचूट कलकत्ता का "सिरेमिक कैन्डल" का विकास

7010. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीटयूट कलकत्ता ने रक्षा कर्मचारियों के पाकेट पम्प के रुप में प्रयोग के 'लिये सिरेमिक कैन्डल' विकसित की है।

(ख) यदि हां, तो रक्षा कर्मचारियों तथा उन अन्य व्यक्तियों के लिये इसका क्या उपयोग है जो घने जंगलों वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं ;

(ग) क्या उक्त केंडल स्वदेशी कच्चे माल से बनाई गई है या आयातित कच्चे माल से; और

(घ) उसकी उत्पादन लागत क्या है और यह घरेलू आवश्यकताओं को कहां तक पूरा करेगी और उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) रक्षा कर्मचारियों द्वारा नदियों और तालाबों से छना हुआ जीवाणु रहित जल प्राप्त करने के लिये 'केएटीएडीवाईएल) पैकिट पम्प का प्रयोग किया जाता है जिसके लिये संस्थान द्वारा एक सिरामिक मोमबत्ती का विकास किया गया है ।

(ग) संस्थान में विकसित सिरामिक मोमबत्ती देश में उपलब्ध सिरामिक की कच्ची सामग्री से तैयार की जाती है ।

(घ) सिरामिक मोमबत्ती की कीमत अनुमानतः तीन रुपये प्रति लगाई गई है । अन्य सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राजस्थान नहर के लिए मांगी गई केन्द्रीय सहायता

7011. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राजस्थान सरकार को बताया है कि राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण को पूरा करन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जायगी;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने 11 करोड रुपये की मांग रखी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह मांग पूर्णरूपेण पूरी की जाएगी और यदि नहीं, तो केन्द्र कितनी वास्तविक राशि देने को सहमत हुआ है और मांग पूर्णरूपेण पूरी न करने के क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बाकी निर्माण कार्यों की अधिनीत लागत, निर्माण के विस्तृत क्रमबद्ध कार्यक्रम तथा प्रतिफलों और विनियोजनों को पूर्ण प्रतिबंधता का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करें ताकि इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से निश्चय किया जा सके ।

Opening of primary schools under the scheme for producing employment to educated unemployed

7012. Shri Panna Lal Barupal: Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the manner in which the provision of Rs. 25 crores made in the Central Budget for eliminating unemployment among the educated persons is proposed to be utilised; and

(b) whether new primary schools are proposed to be opened under this scheme and if so, the number of such schools proposed to be opened in Rajasthan?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) A provision of Rs. 40 crores and not Rs. 25 crores has been made in the Central Budget for 1974-75 for promoting employment of educated persons. This Employment Promotion Programme will have thrust mainly on promotion of self-employment ventures. Guidelines for this programme are being worked out.

(b) It is not intended to allocate any funds under the Employment Promotion Programme for opening of Primary Schools in any State including Rajasthan.

पट्रोल की बचत के बारे में राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम की सिफारिशें

7013. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोल की बचत के लिए बहुत से उपकरणों के सुझाव राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के पास उसकी स्वीकृति हेतु भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उपकरणों के स्वदेशी निर्माताओं को अग्रिम धन देने का प्रस्ताव किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) पट्रोल की बचत के लिए उपकरणों क आविष्कारों से संबंधित पुरस्कारों के लिए सात आवेदन पत्र राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम को भेजे गये है ।

(ख) उनके मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा किसी भी सुझाव को स्वीकृति नहीं दी गयी ।

(ग) उपर्युक्त बात को देखते हुए उनके स्वदेशी उत्पादन के लिए ऋण स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता-बंगलौर ट्रंक लाइन

7014. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कलकत्ता और बंगलौर के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन अक्सर खराब रहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस ट्रंक टलिफौन लाइन के सदैव ठीक प्रकार से कार्य न करने/खराब रहने के क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। यह सही है कि कलकत्ता और बंगलौर के बीच ट्रंक लाइनें संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही हैं।

(ख) कलकत्ता और बंगलौर के बीच ट्रंक लाइनों के बार बार खराब रहने और ठीक ढंग से काम न करने का कारण यह है कि सर्किटों का मौजूदा मार्ग लंबा है। ये सर्किट अब आसनसोल, कानपुर, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, पूना और मद्रास से होकर तब बंगलूर को जाते है। मौजूदा सर्किटों वाले मार्ग को जगह किसी वैकल्पिक मार्ग के अभाव में खराबियां पैदा हो जाना कुछ हद तक अपरिहार्य है क्योंकि काम करने वाली पार्टियों, बाढ और बिजली आदि के प्रकोप के कारण जमीदोज कोएक्सिएल केबिलों को नुकसान पहुंचने को संभावनाएं रहती है ।

(ग) कलकत्ता से देश के दक्षिणी भाग के साथ एक ज्यादा सीध मार्ग के जरिये संचार संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए खड़गपुर, कटक, विशाखापटनम और विजयवाडा के मार्ग से होते हुए कलकत्ता से मद्रास तक जमींदोज कोएक्सिएल केबिल बिछाए जाने का प्रस्ताव है । इस योजना का मद्रास और विजयवाडा के बीच का हिस्सा पहले ही पूरा हो गया है । कटक और खड्गपुर के बीच के हिस्से का परीक्षण सेवा एक महीने के अंदर चालू हो जाने की संभावना है । ऐसी संभावना है कि यह पूरा मार्ग मार्च 75 तक परीक्षणों के लिए तयार हो जाएगा। कलकत्ता और मद्रास के बीच सीधे केबिल योजना के चालू हो जाने से कलकत्ता से मद्रास और बंगलूर के बीच की संचार सुविधाओं में सुधार होगा ।

शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामला

7016. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय (पुरातत्व विभाग) के संबंद्ध अधिकारियों पर भ्रष्टाचार संबंधी एक मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास पिछले 12 वर्षों से अनिर्णीत पड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों के पास ऐसा कोई भी मामला पिछले 12 वर्षों से अनिर्णीत नहीं पड़ा हुआ है । किन्तु एक मामले में जिसे केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा वर्ष 1965 में पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, जांच पड़ताल पूरी करने के बाद दिनांक 26-6-68 को न्यायालय में एक आरोप पत्र (चार्ज शीट) दायर किया गया था। वह मामला तभी से विचारण (ट्रायल) के लिए अनिर्णीत पड़ा हुआ है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित न भरे गये रिक्त स्थान

7017. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित बहुत से रिक्त स्थान वष 1972 में नहीं भरे गये थे और इन रिक्त स्थानों को अगले वर्ष के लिय रखे दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त स्थानों की संख्या (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) वर्गवार क्या है; और

(ग) वर्ष 1972 में इन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित न भरे गए रिक्त स्थान

7018. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन मंत्रालय/विभागों में अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कितने रिक्त स्थान थे जो वर्ष 1972 में नही भरें गये थे तथा जिन्हें अगले वर्ष के लिये रख दिया गया था;

(ख) एसे रिक्त स्थानों की संख्या (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) वर्गवार क्या है; और

(ग) 1972 में इन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) श्रेणीवार अर्थात श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III तथा श्रेणी IV (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) न भरी गई अधिकांश रिक्तियां परमाणु-ऊर्जा तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में श्रेणी II तथा श्रेणी III में रही है । प्रश्नाधीन पद मुख्यतया वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप के होने के कारण, इन रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अर्हता प्राप्त उपयुक्त व्यक्ति का मिलना संभव नहीं हो सका है।

विवरण

प्रधान मंत्री के अधिकार क्षेत्र के अधीन विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों, जिन्हे इन जातियों के ऊम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा गया था और जिन्हे अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत किया गया था।

पदों की श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
श्रेणी I	—	—
श्रेणी II	11	7
श्रेणी III	67	61
श्रेणी IV (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	1	6

अन्तरिक्ष विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित न भरे गए रिक्त स्थान

7019. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित बहुत से रिक्त स्थान वर्ष 1972 में नहीं भरे गये थें और इन रिक्त स्थानों को अगले वर्ष के लिये रख दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त स्थानो की संख्या (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) वर्गवार क्या है; और

(ग) वर्ष 1972 में इन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : 1972 में अन्तरिक्ष विभाग में सीधी भरती से भरे गए तीसरी श्रेणी के कुल आठ पदों में से एक एक रिक्त पद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किया गया था। ये दोनों रिक्त पद उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण भरे नहीं जा सके। चौथी श्रेणी के भरे गए कुल आठ रिक्त पदों में से एक एक पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये गये। तथापि तीन पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की भरती की गई और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारन भरा नहीं जा सका। इस प्रकार श्रेणी तीन एवं चार के तीन आरक्षित पद 1973 के लिये रखे गये।

राज्यों को पांचवीं योजना के आबंटनों में कटौती

7020. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में विभिन्न राज्यों की आबंटन निधि में कटोती की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस कटौती के लिए, विशेषत: उत्तर प्रदेश के मामले में क्या कारण है; और

(ग) पांचवीं योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए कोन सा विकल्प प्रस्तावित किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) हाल ही में संसाधनों के सम्बन्ध में किए गए विचार विमर्श और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा केन्द्रीय सहायता तथा बाजार ऋण आबंटित करने के संबंध में तैयार किए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अभी अंतिम रूप से किया जाना है।

सीमेन्ट फैक्ट्रियों तथा सम्बद्ध कारखाने लगाने के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए अनिर्णीत आवेदन

7021. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट तथा अन्य सम्बद्ध कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेन्स हेतु उत्तर प्रदेश से प्राप्त कुल कितने आवेदन उनके मंत्रालय में विचाराधीन पड़े हैं और वे कब से विचाराधीन है;

(ख) उन आवेदनों का निपटारा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के लिये इनमें से कितने आवेदन पत्र हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) कानपुर सीमेंट बनाने का एक नया औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु एक आवेदन पत्र अप्रैल, 1972 में प्राप्त हुआ था जो जनवरी, 1973 में अस्वीकृत कर

दिया गया था। अस्वीकृति के विरुद्ध आवेदक ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है। देहरादून जिले में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने हेतु एक अन्य आवेदन पत्र 22 मार्च, 1974 को प्राप्त हुआ है और आशा है कि निर्धारित समय के अन्दर ही उसे निपटा दिया जायेगा।

बांकीपुर जेल, पटना में श्री आनन्द मूर्ति द्वारा किया गया अनशन

7022. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित बांकीपुर जेल में सामान्यतया श्री आनन्द मूर्ति के नाम से जाने जाने वाले श्री पी० आर० सरकार द्वारा आरम्भ किये गए आंशिक अनशन के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के नाम पत्र लिखे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उनकी हालत के बारे में डाक्टरों की क्या रिपोर्ट है; और

(घ) क्या सरकार उन्हें अभियोगाधीन (अंडर ट्रायल) कैदी के रूप में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) आनन्द मार्गी तथा उनके समर्थक जेल के प्राधिकारियों द्वारा श्री सरकार के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार तथा उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के बारे में प्रधान मंत्री तथा अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र भेजते रहे हैं। वे उनके विरुद्ध चलाये गये मामलों को वापस लेने तथा उनको जेल से बिना शर्त मुक्त करने की भी मांग भी कर रहे हैं। श्री सरकार सरकारी डाक्टरों द्वारा अपने स्वास्थ्य की परीक्षा तथा उपचार करवाने से लगातार मना कर रहे हैं और अपनी इच्छा के किसी गैर सरकारी डाक्टर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की सुविधा का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। 9 मार्च, 1974 से थोड़े दिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परीक्षा करने की अनुमति दी परन्तु 13 मार्च, 1974 से स्वास्थ्य की परीक्षा करने की पुनः मनाही कर दी। 24 मार्च, 1974 को सिविल सर्जन ने रिपोर्ट दी थी कि श्री सरकार पहले से अच्छे तथा प्रसन्न दिखाई पडते हैं यद्यपि उन्होंने अपनी डाक्टरी परीक्षा नहीं करवाई थी। श्री सरकार तथा अनेक अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध षड़यंत्र तथा हत्या के आरोप हैं। उनको एक उच्च श्रेणी के कैदी का दर्जा दिया गया है। राज्य सरकार ने उनको वे सभी सुविधायें दी हैं जो बिहार जेल मैनुवल में दिए गये नियमो के अन्तर्गत उनकी श्रेणी के कैदियों को प्राप्त हैं।

देश में जन आन्दोलन के बारे में समाचार प्रसारण तथा वार्ताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

7023. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में हाल के जन आन्दोलनों के बारे में समाचार प्रसारण तथा विभिन्न वार्ताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) विभिन्न केन्द्रों से इस विषय पर अब तक कितनी वार्तायें प्रसारित की गई हैं और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ऐसी वार्ताओं संबंधी कार्य सौंपा गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सभी प्रसारणों का मार्गदर्शन प्रसारण नीति के सामान्य सिद्धान्तों अर्थात् वस्तुनिष्ठता तथा जनहित

के द्वारा होता है। वर्तमान स्थिति का ध्यान रखते हुए, आकाशवाणी के केन्द्रों से हाल ही में कहा गया है कि वे अपने विभिन्न कार्यक्रमों में देश के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हिंसा और बरबादी की प्रवृत्ति को रोकने की नितान्त आवश्यकता पर और जोर देवें।

(ग) विभिन्न प्रकार के श्रोताओं के लिए अभिप्रेत विविध कार्यक्रमों में सामाजिक उद्देश्य का यह अभिस्थापन प्रतिबिंबित होता है। शीर्षकों तथा नामों के संकलन में जो समय लगेगा वह प्राप्त होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

पटना में सर्चलाइट इमारत के नष्ट होने के बारे में 'सर्चलाइट' के सम्पादक का वक्तव्य

7024. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'सर्चलाइट' इमारत के नष्ट होने की परिस्थितियों के बारे में सर्चलाइट पटना के सम्पादक द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने "सर्चलाइट" पटना के सम्पादक द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे है ?

Proposal to give compensation for the persons killed in Police Firings in Bihar

7025. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to give compensation for the innocent persons killed in the firing by police, C.R.P. or military during the disturbances in Bihar in March as also to those who lost their properties;

(b) whether the Government of Bihar has sought financial assistance from the Central Government for those persons whose properties were looted and set on fire; and

(c) the estimated number of persons killed or injured and the amount of loss suffered by general public and Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) No, Sir.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

Allocations made for registered educated unemployed

7026. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Planning** be pleased to state the amounts allocated during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 for the registered educated unemployed persons?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): Besides the various plan programmes which provided bulk of employment opportunities to the educated persons, some special schemes were started during the Fourth

Five Year Plan to provide employment to the registered educated unemployed persons. The names of these schemes and the allocations made for them in 1971-72 1972-73 and 1973-74 are given below.

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Scheme	Allocation		
		1971-72	1972-73	1973-74
1	2	3	4	5
1.	Programme for Educated Unemployed started in 1971-72.	1510.64	5408.28	4585.42
2.	Special Employment Programme for States & Union Territories started in 1972-73	—	2618.33	2244.49
3.	The Half-a-Million Job Programme for Educated Unemployed started in 1973-74.	—	—	5398.53
	TOTAL	1510.64	8026.61	12228.44

Donations of more funds in Defence Fund of Pakistan by proprietor of Delhi Cloth Mills

7027. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether as reported in a Udaipur Daily the proprietor of Delhi Cloth Mills has been charged with donating more funds in the Defence Fund of Pakistan than in that of India during Indo-Pak war;

(b) whether the said proprietor owns a factory in Pakistan as well; and

(c) if so, the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) There was a news item in the Hindi Daily Udaipur Express published from Udaipur dated 19th March, 1974 that according to a press note issued by Vishwavidyala Bachao Samiti, the proprietor of the Delhi Cloth Mills, had made larger contribution to the war fund of Pakistan than to the war fund of India.

(b) and (c) The Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd., have stated that the company had a unit named "Lyallpur Cotton Mills" at Lyallpur in Pakistan but this unit was taken over by the Government of Pakistan immediately after the 1965 Indo-Pak conflict. Government have no information regarding the contribution, if any, made by the unit to the Defence Fund of Pakistan after it was taken over by the Government of Pakistan.

Entry of police in G.P.O. Patna

7028. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the police entered the General Post Office at Patna on the 18th March, 1974 and fired bullets, the signs of which are still visible on the walls there, under cover of student agitation there;

(b) if so, whether five employees were injured and one of them died subsequently as a result of firing;

(c) whether the employees and their unions have demanded a judicial enquiry into the incident and if so, the reaction of Government thereto; and

(d) whether Government have provided any assistance to the families of the deceased and the injured employees and if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) and (b) Yes. On 18th March, 1974 police fired on a crowd assembled in the Patna GPO compound as a result of which five P&T employees received bullet injuries. One out of these expired later.

(c) Yes, the demand was made. It is for the State Govt. to take a decision in this matter.

(d) A sum of Rs. 500 (Rupees five hundred only) was paid to the widow of the deceased by way of immediate relief. The question of more assistance to the family of the deceased including employment of his dependents and help to the injured persons are under consideration.

Grant of pension to freedom fighters amongst M.Ps. and M.L.As.

7029. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Members of Parliament and State Legislatures, separately as on 31st March, 1974 who have applied for freedom fighters pension;

(b) the State-wise break-up thereof; and

(c) the decisions taken by Government in regard to grant of pension to them and the time by which those decisions are proposed to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) The information that is readily available is given in the statement attached.

(c) Pension will be sanctioned in such cases on receipt of further declaration that the annual income of the applicant has fallen below Rs. 5,000. This is subject to other conditions of eligibility being fulfilled.

STATEMENT

Statement showing the number of members of Parliament and State Legislatures who have applied for the grant of Freedom Fighters Pension upto 31-3-1974 State-wise

Sl. No.	Name of the State	M.Ps.	M.L.As.
1.	Andhra Pradesh	6	
2.	Assam	1	..
3.	Bihar	8	17
4.	Gujarat	..	1
5.	Goa, Daman and Diu	1	..

Sl. No.	Name of the State	M.Ps.	M.L.As.
6.	Himachal Pradesh .		1
7.	Jammu and Kashmir	..	2
8.	Kerla	4	4
9.	Karnataka	..	1
10.	Madhya Pradesh .	2	5
11.	Maharashtra	1	1
12.	Punjab	1	1
13.	Pondicherry	..	3
14.	Tamil Nadu	2	1
15.	Uttar Pradesh	. 10	27
16.	West Bengal	. 5	5
	TOTAL	41	69

धनबाद में बेकार पड़ा आक्सीजन संयंत्र

7030. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में आक्सीजन संयंत्र कई वर्षों से बेकार पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे बेचना चाहती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी नहीं। दाब-गैसीकरण प्रायोगिक संयंत्र का आक्सीजन संयंत्र एक अभिन्न अंग है। जब गैसीकरण संयंत्र कार्य संचालन में होता है उसमें आक्सीजन संयंत्र का प्रयोग किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। फिर भी, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी० एफ० आर० आई) आक्सीजन बनाने वाले संगठनों को संयंत्र पट्टे पर देने का विचार कर रहा है, जो सी० एफ० आर० आई० की भूमि के निकट अपने उत्तरदायित्व पर संयंत्र स्थापित करने और संचालित करने के लिये सहमत होंगे और मान्य शर्तों के आधार पर सी० एफ० आर० आई० की आवश्यकतानुसार आक्सीजन का संभरण करेंगे।

आन्ध्र प्रदेश से प्रकाशित उन दैनिक पत्रों और पत्रिकाओं के नाम तथा उनकी संख्या जिन्हों ने अखबारी कागज के कोटे के लिए आवेदन पत्र दिए

7031. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश से प्रकाशित उन नए दैनिक समाचार पत्रों तथा अन्य पत्रिकाओं के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है जिन्होनें गत दो वर्ष में अखबारी कागज के कोटे के लिए आवेदन-पत्र दिये थे;

(ख) उन्हें कितना कागज अलाट किया गया; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में इस राज्य के पिछड़े हुए होने के कारण अनिर्णीत आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश से प्रकाशित उन नए समाचार पत्रों (दैनिक पत्रों सहित) जिन्होंने 1972-73 तथा 1973-74 के लाइसेन्सिंग वर्षों के दौरान अखबारी कागज के कोटे के लिये आवदन पत्र दिए थे, की संख्या 34 है। एक विवरण संलग्न है जिसमें उनके नाम तथा उनको आवंटित अखबारी कागज की मात्रा दी गई है **[ग्रंथालय में रखा गया। दखिए संख्या एल० टी० 6722/74]**

(ग) अखबारी कागज सरकार द्वारा घोषित अखबारी कागज आवण्टित नीति के अनसार आवण्टित किया जाता है । यह नीति सारे दश मे प्रकाशित होन वाल समाचार पत्रों पर समान रूप स लागू होती है ।

चित्तूर-हैदराबाद ट्रंक लाइन

7032. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य की राजधानी हैदराबाद और चित्तूर के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइनों के प्राय: तथा लम्बी अवधि तक खराब रहन के बार म पता है; और

(ख) इसके उपचार के लिए और इस जिले क लिए ट्रंक टेलीफोन सविधा में सुधार लाने के लिये क्या कार्रवाई करन का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चित्तूर और हैदराबाद को जोडने वाली ट्रंको लाइनों में तांबे के तार की चोरियां होने के कारण इन लाइनों की सेवा औसतौर से सन्तोषजनक नही रही ।

(ख) चित्तूर को जोडने वाली ट्रंक लाइनों में तांबे के तार की जगह एल्यूमीनीयम के तार लगाए जा रहे हैं। इस काम में प्रगति हो रही है। और अगले दो महिनों में इस काम क पूरा हो जाने की संभावना है। यह काम पूरा हो जाने ओर को एक्सलस केबुलों के जरिये मद्रास के रास्ते हैद्राबाद के लिए इन सर्किटों का मार्ग बदल देने के बाद सेवा में सुधार होने की संभावना है ।

आनुषांगिक उद्योग के रुप में लोह तथा इस्पात उद्योग

7033. श्री चन्दू लाल चन्द्रकार : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लोह तथा इस्पात उद्योग को विकास के लिए एक आनुषंगिक उद्योग के रूप में चुना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशय का आदेश जारी किया गया है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार के बार बार अनुरोध करने के बावजूद भिलाई इस्पात संयंत्र इस राज्य में इस्पात का आनुषंगिक उद्योग विकसित करने के लिए तैयार नहीं है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) लोह तथा इस्पात उद्योग लघु उद्योग सेवा संस्थानों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने और किराया खरीद शर्तों पर मशीनों और औद्योगिक बस्तियों में कारखाने के शेडों को प्राप्त करने की पात्रता हेतु एक सहायक उद्योग के रूप में चुना गया है ।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। वास्तव में भिलाई इस्पात संयंत्र के आसपास के लघु उद्योगों को दिए गए क्रयादेशों के मूल्य में पिछले कुछ वर्षों में बढोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गई है जैसा कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है :-

वर्ष (द्वैवार्षिक)	दिए गए क्रयादेशों का मूल्य (लाख रुपये में)
1969-71	35.6
1971-73	82.7
1973-75	102.6

रेडियो तथा टेलीविजन के लिए लाइसेन्स शुल्क

7034. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री एम० एस० पूर्ति :

क्या **संचार** मंत्री रेडियो तथा टेलीविजन लाइसेंस शुल्क के बारे में 27 मार्च 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4230 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को रेडिओ तथा टेलीविजन लाइसेंस शुल्कों को एकत्र करने तथा उनकी चोरी रोकने पर कितना व्यय करना पडा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : रेडियो और टेलीविजन लाइसेंस शुल्क की वसूली और लाइसेंस शुल्क की चोरी की रोकथाम से डाक तार विभाग जितना राजस्व एकत्र करता है उसके लिए उसकी सिर्फ 11 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति हो उसे की जा रही है।

विभिन्न राज्यों से नक्सलवादियों के लाल साहित्य का पकड़ा जाना

7035. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई छापे मारे हैं और विभिन्न राज्यों से, राज्यवार, नक्सलवादीयों आदि का लाल साहित्य पकडा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दण्ड दिया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(1) **आन्ध्र प्रदेश** :— पुलिस ने 18 अप्रैल, 1972 तथा 4 जून, 1973 को जिला करीमनगर में कुछ उग्रवादी साहित्य बरामद किया था। 10 अक्तूबर, 1973 को खमाम में पुस्तक के एक स्टाल से उग्रवादी प्रकाशनों की प्रतियां भी पकड़ी गई थी तथापि, इन मामलों में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया।

(2) **असम** :— 1 अक्तूबर 1972 को, पुलिस ने न्यू बोंगइगांव रेलवे कालोनी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा उसके पास से कुछ गोला बारुद सहित दो पुस्तिकाएं पकड़ी। 16 मई, 1973 को पुलिस ने दो व्यक्ति गिरफ्तार किये तथा उनके पास से, अग्नेयास्त्रों समेत नक्सलवाद पर कुछ कागजात बरामद किये। इस संबंध में दर्ज किये गये मामलों में जांच पड़ताल होनी बाकी है ।

(3) **बिहार** :— 1972–73 के दौरान टेलको कालोनी जमशेदपर, गांव सकरोली (मुजफ्फरपुर), गांव देहरी (पटना) में पुलिस छापों में कुछ नक्सलवादी साहित्य बरामद किया गया। इस संबंध में 25 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा मामलों की जांच पड़ताल हो रही है।

(4) **पंजाब** :—लाल स्याही में एक पैम्फलेट जिसमें लोगों को हिंसा के लिए भडकाया गया था, पकडा था तथा 13 दिसम्बर, 1973 को पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के अधीन पुलिस थाना सदर जलंधर में एक मामला दर्ज किया गया था। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच पड़ताल हो रही है।

(5) **पश्चिम बंगाल** :—हाल ही में पीछे, पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों में पुलिस द्वारा नक्सलवादी साहित्य पकड़ा गया था। किन्तु केवल नक्सलवादी साहित्य रखने के आधार पर किसी व्यक्ति को न तो गिरफ्तार किया और न सजा दी गई।

मेघालय और उडीसा से सूचना प्रत्याशित है। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना 'शून्य' है।

Scarcity of Cement due to delay in releasing Cement Quota by Manufacturers

7036. Shri Chiranjib Jha: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the production of cement has exceeded its consumption by 3,00,000 tonnes on an average during each year since 1968;

(b) whether the cement factory owners do not release their full quota out of their factories with a view to getting the prices of cement increased; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to check this artificial scarcity and price-rise in cement?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) to (c) A statement is attached.

The Production and consumption as represented by despatches from various Cement factories to different consumption centres during the years 1968 to 1973 were as under :

Year	Production (In million tonnes)	Consumption (Despatches)
1968	11.89	11.56
1969	13.53	13·50
1970	13.90	13·82
1971	14.90	14·84
1972	15.71	15·74
1973	15.07	14·77

As far as could be ascertained, there is no tendency on the part of cement producers to hold up despatches with a view to get the price of cement increased.

The price and distribution of cement is regulated under the provisions of the Cement Control Order, 1967, as amended from time to time. Under this order, uniform f.o.r. destination price is fixed by the Central Government for all rail destinations while under clause 10 of the order, the State Governments are empowered to fix the wholesale and retail price of cement within the state. Cement has also been declared as an essential commodity for purposes of the Essential Commodities Act, 1955. The State Government have also been requested to issue order under the Essential Commodities Act regulating the distribution of cement by issue of permits, licensing of dealers, stockists etc. Necessary powers, under this Act are available to the State Governments for proceeding against unsocial elements.

Lok Vastra Scheme by KVIC

7037. Shri Chiranjib Jha: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Khadi and Village Industries Commission propose to introduce "Lok Vastra" scheme;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the time by which it will be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) Yes, Sir.

(b) The main features of the scheme are:

(i) Production of yarn on power operated spinning frame of 48 spindles each;

(ii) Weaving to be done on improved Nepal type looms, either on handloom or powerloom, depending upon the conditions best suited;

(iii) These decentralised units are intended to manufacture cloth of coarse varieties, woven out of yarn of mostly below 20 counts;

(iv) A "Lokvastra" unit, which will have a capacity to manufacture 1,13,400 sq. metres of coarse cotton cloth in a year (working 8 hours a day for 300 days in a year) is expected to cost about Rs. 1.70 lakhs in machinery and equipments and provide employment to about 63 to 84 persons per centre;

(v) The Commission proposed to set up 1000 such "Rural fabric centres" for production of coarse cloth (lokvastra) during the entire Fifth Plan period with the assistance of the Government and working capital loans from the Banks.

(c) Two such units are already working in Tamilnadu on an experimental basis. The Khadi and Village Industries Commission is expected to start implementing the scheme in the current year after obtaining necessary approvals.

Sale of Mustard Oil in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

7038. Shri Chiranjib Jha: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Khadi and Village Industries Commission manufacture mustard oil; and

(b) if so, the reasons why the arrangements for the sale of mustard oil manufactured by the Commission are not made at Khadi Gramodyog Bhavan, Connaught Place, New Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल में एक कार्यालय की स्थापना

7039. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में एक कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है; और

(ग) कार्यालय द्वारा कब तक कार्य आरम्भ कर दिए जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक तार विभाग में विभागेतर कर्मचारी

7040. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तार विभाग में कुल कितने विभागेतर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या इस बीच इन कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा रोजगार सुरक्षा के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 31-3-1973 को विभागेतर कर्मचारियों की संख्या 205, 321 थी । 31-3-74 को इन की संख्या कितनी थी, इस बारे में सचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) जी हां ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्मित 'न्यू ग्लिम्पसेज आफ दिल्ली' नामक वृत्त चित्र

7041. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्मित 'न्यू ग्लिम्पसेज आफ दिल्ली' नामक वृत्त चित्र की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म में गत दो वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, आवास, अपराधों की रोकथाम, सौंदर्यकरण आदि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति का चित्रण है।

वस्तुओं की खपत पर प्रतिबन्ध

7042. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किन्हीं वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए उन वस्तुओं की आन्तरिक खपत पर कुछ प्रतिबंध लगाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और किस प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाने हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) पारम्परिक और गैर-पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार विभिन्न अभ्युपायों पर विचार कर रही है। इन उपायों में एक उपाय कुछ वस्तुओं का आंतरिक खपत पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जा रहा है ताकि निर्यात के लिये फालतू सामान उपलब्ध हो सके। चूंकि प्रत्येक वस्तु के बारे में स्थितियां अलग-अलग होंगी अतः अलग-अलग वस्तुओं पर विचार उनके गुणावगुण के आधार पर करना पडेगा। यह एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक मामले में जांच पूरी हो जाने पर ही निर्णय किया जायेगा।

गुजरात में बिजली की कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

7043. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1974 में घोषित की गई विद्युत की कटौती का गुजरात राज्य में औद्योगिक उत्पादन पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक तथा उनकी सहायता के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) मार्च, 1974 में बिजली की अनुमानित उपलब्धता जैसी कि सिंचाई व बिजली मंत्रालय प्रत्याशित आवश्यकता से केवल कुछ ही कम रही। किन्तु वास्तविक आंकड़े कुछ समय बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे। केवल एक ही कारण जैसे बिजली की कमी से औद्योगिक उत्पादन में हुई कमी से औद्योगिक उत्पादन में हुई कमी का पता लगा सकना भी सम्भव नहीं है।

(ख) देश में बिजली की सम्पूर्ण रूप से सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं। जैसे फालतु बिजली वाले क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले पड़ोसी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए स्वीकृत अन्तर्राज्यीय तथा अन्तःक्षेत्रीय ट्रान्समिशन लाइनों का निर्माण करना, क्रियान्वित की जा रही बिजली जनित्र परियोजनाओं में वृद्धि करना, इत्यादि।

गुजरात में क्रासबार टेलीफोन सिस्टम

7044. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य में प्रथम क्रासबार टेलीफोन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) ऐसे क्रासबार टेलीफोन सिस्टम को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा और इसके क्या लाभ होंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में पहला क्रासबार आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज 29-3-74 को अहमदाबाद के नवरंगपुरा में चालू किया गया है।

अहमदाबाद सिटी टेलीफोन प्रणाली में 3000 लाइनों की वृद्धि हो जाने के अतिरिक्त क्रासबार एक्सचेंज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(i) इस एक्सचेंज प्रणाली में बहुत कम गतिशील पुर्जे होते हैं, इसलिए इस प्रणाली में अन्य प्रणालियों की अपेक्षा रख रखाव में कम प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है।

(ii) यह एक्सचेंज प्रणाली राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग के लिए बहुत उपयुक्त ठहरती है।

(iii) बाहरी संयंत्र में इससे किफायत हो सकती है।

(iv) इस प्रकार के उपस्कर से ऐसे एक्सचेंजों के बीच ट्रैफिक का पुनः मार्ग निर्धारण संभव होता है।

(v) इस प्रणाली के उपस्कर में बगैर कोई बड़ी वृद्धि किए 5 अंकों वाले टेलीफोन नम्बरों से 6 अंकों के टेलिफोन नम्बरों आदि तक सुगमता से विस्तार किया जा सकता है।

(vi) इससे कई प्रकार की सुविधाएं आसानी से दी जा सकती हैं जैसे की 'ट्रंक बारिंग' 'पी०वी०एक्स० हंटिंग' आदि।

गुजरात में कागज की कमी

7045. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता संघ ने राज्य में उनके द्वारा महसूस की जा रही अत्यधिक कागज की कमी की ओर उनके मंत्रालय का ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन व्यापारियों को कागज की सप्लाई में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता संघ के आवंटन कोटे में वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन मास के दौरान गुजरात राज्य को कागज का कितना कोटा आवंटित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) कागज की कापी के बारे में विभिन्न क्षेत्रों की आम शिकायतें हैं। वास्तविक उपभोक्ताओं को कागज की सप्लाई का सुनिश्चय करने हेतु कागज उद्योग व्यापारियों तथा परिवर्तकों (कन्वर्टरों) ने एक "आचार संहिता" अपनाई है जिसके अनुसार विगत पांच वर्षों में उनकी कागज की निकासी की औसत सप्लाई के आधार पर कागज मिलों ने सीधे उपभोक्ताओं को कागज देना आरम्भ कर दिया है। यदि किसी कारणवश वितरकों और व्यापारियों के जरिए उपभोक्ताओं को सीधे सप्लाई नहीं मिलती है तो उन्हें भी मिलें सीधे सप्लाई कर सकेंगी।

(ग) और (घ) कागज के वितरण पर नियंत्रण नहीं है, अतएव प्रकाशकों, एसोसिएशन अथवा गुजरात सहित राज्यों को सरकार द्वारा कोई भी कोटा निश्चित नहीं किया गया है। इसलिए आवन्टन बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम के योजना मंत्री द्वारा राज्य पिछडे वर्गों के लिए प्रस्तुत योजना का प्रारूप

7046. श्री निहार लास्कर :
श्री तरुण गोगोई :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के योजना मंत्री ने आसाम में पिछड़े वर्गों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की रूपरेखा योजना आयोग को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने उस पर स्वीकृति

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) असम सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए योजना प्रारूप को दो भागों में बांटा गया है :

(1) उत्तरी कछार के पर्वतीय क्षेत्रों और मिकिर पहाड़ियों से सम्बन्धित एकीकृत क्षेत्र योजना:— प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में ये सम्मिलित हैं :—(1) खाद्यान्नों में 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से और दूसरी फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, (2) आदिम जातियों के व्यक्तियों, जो कभी कहीं कभी कहीं खेती करते रहते हैं, को इन क्षेत्रों में रबड़, काफी फलदार वृक्ष लगाकर स्थिर कृषि का अभ्यस्थ बनाना, (3) बड़े और मध्यम आकार की औद्योगिक यूनिटों में सीमेंट, चीनी, कागज, आदि का उत्पादन करने का प्रस्ताव है । उत्तरी कछार जिले में रसर उद्योग शुरू करने का प्रस्ताव भी है। परिवहन और संचार कार्यक्रमों को एक बड़े आकार में प्रारंभ करने का विचार किया गया है । सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है । संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा तथा व्यापक करने का भी प्रस्ताव है ।

(2) मैदानी क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित योजना :—पिछड़े वर्गों के विकास के लिए किए जाने वाले प्रमुख प्रयास क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए जायेंगे । एकीकृत कार्यक्रमों को सब-डिवीजन स्तर पर तैयार करने का प्रस्ताव है । महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बन्धित पूरक क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें ये हैं :—कृषि, मुर्गीपालन, सूअर पालन, दुग्धोद्योग तथा मत्स्योद्योग का विकास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, आदि सामाजिक सेवाओं में सुधार ।

पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से धन प्राप्त होता रहे और निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत आधार, जैसे कि सहकारी संस्थायें, स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय तथा कार्यक्रमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण का उपयोग

7047. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा मशीनों की किराया खरीद के लिए दिये गए बहुत से ऋण बट्टे खाते डाल दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि के ऋण बट्टे खाते डाले गये; और

(ग) निगम ने अपने द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के उचित उपयोग के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० द्वारा कोई नकद ऋण नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० लघु उद्यमियों को किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई करता है। क्षति, रास्ते में गुम होने अथवा किरायेदार द्वारा इन मशीनों के चलाने में असमर्थता की स्थिति वाले कुछ मामलों में प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर उनके दावे का कुछ अंश निगम द्वारा बट्टे खाते में डाल दिया गया था। निगम ने इस सम्बन्ध में लगभग 11 लाख रुपये पहले बट्टे खाते में डाल दिये थे।

इसके पहले कि मशीनों की सप्लाई की जाये निगम का क्षेत्र कर्मचारी वर्ग तकनीकी तथा आर्थिक जीव्यता की दृष्टि से परियोजना की जाँच करता है। एककों में मशीनों का यथोचित उपयोग किये जाने तथा किश्तो की वसूली सुनिश्चित करने हेतु वे लोग समय समय पर देखने भी जाते हैं।

परिष्कृत चमड़े का उत्पादन

7048. श्री ए० के० एम० इसहाक :

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिष्कृत चमड़े के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता का विस्तार करने के लिए कोई पग उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) अर्ध परिष्कृत चमड़े का उत्पादन करने के औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त विद्यमान एककों को सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपनी क्षमता की परिष्कृत चमड़े का उत्पादन करने में बदलने की अनुमति दे दी गई है। ये एकक परिष्कृत चमड़े का उत्पादन करने के लिये क्षमता अधिष्ठापित करने हेतु अपेक्षित पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिये सीधे आयात हेतु आवेदन कर सकते है। सरकार ने ऐसी मशीनों की एक सूची तैयार की है जो देश में उपलब्ध नहीं है तथा जिनकी आवश्यकता चमड़ा एककों को हो सकती है। इस सूची में सम्मिलित मशीनों के आयात के लिये तकनीकी विकास के महानिदेशालय से अनापत्ति पत्र लेना आवश्यक नहीं है। यह सूची 1 अप्रैल, 1974 से लागू हो गई है तथा एक वर्ष तक वैध रहेगी। परिष्कृत चमड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अर्धपरिष्कृत चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और इसे कोटा प्रणाली के अन्तर्गत ला दिया गया है।

पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना

7049. श्री ए० क० एम० इसहाक : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक पिछड़े जिले में एक उद्योग स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष कर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योग संगठन द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक अध्ययन

7050. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने 131 तकनिकी आर्थिक सर्वेक्षण किए है, और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की रुपरेखा क्या है और पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत बैरल का पुनः खोला जाना

7052. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बैरल को वर्ष 1970 में बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन और कर्मचारियों के हित में उसे पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या श्रमिकों की सहकारी समिति ने मांग की है कि इस को उनकी सहकारी समिति को सौंप दिया जाना चाहिए और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) दि भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कं० प्राइवट लि० बम्बई 1 नवम्बर, 1971 से बंद कर दी गयी थी। सरकार ने 18 सितम्बर, 1972 को मामले की परिस्थितियों की पूरी पूरी जाँच करने हेतु एक समिति की स्थापना की थी। फिर भी कम्पनी ने एक रिट याचिका प्रस्तुत की थी जिस पर न्यायालय ने समिति को अपना अंतिम प्रतिवदन देने पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश दे दिये हैं। एकके बंद होने के पश्चात कर्मचारियो की यूनियन ने कंपनी का प्रबंध अपने हाथ में लेने का प्रयास किया था किन्तु वह असफल रहा और इसलिये उन्होंने सरकार द्वारा कंपनी के प्रबंध को अपने हाथ में लेने के लिये अभ्यावेदन दिया था। सरकार मामले के बारे में जो न्यायालय मे विचाराधीन है, विरोध करने हेतु आवश्यक कदम उठाती रही है।

Missing Saris in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

7053. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether 20 silken saris worth about rupees two thousand were found missing in February, 1974 from the Sales Department of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi;

(b) if so, the persons held responsible for that and whether any departmental action was taken;

(c) whether saris worth about rupees four thousand were also found missing in November, 1973 from the godown of the Bhavan for which none has so far been held responsible and the matter has been hushed up; and

(d) whether Government or the Khadi Commission will take measures to check such pilferages after ordering a full probe into the causes of goods reported missing.

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under investigation.

(c) This matter is also being investigated.

(d) Yes, Sir.

Enquiry against Manager, Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

7054. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3588 on the 5th December, 1973 regarding enquiry into the affairs of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi and state :

(a) the date on which enquiry against the acting Manager of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi was undertaken by the Khadi and Village Industries Commission and the stage at which the said enquiry at present stands;

(b) whether certain other cases of theft of goods have also come to light during the last six months and

(c) if so, the facts thereof and whether some departmental action has been taken against him?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वर्ष 1974–75 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए कम धन-राशि का नियतन

7055. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु बहुतम राशि का नियतन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) 1974–75 में सभी राज्यों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 197.71 करोड़ रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है जो कि राज्यो के लिए इस वर्ष के लिए स्वीकृत किए गए कुल परिव्यय का 9.3 प्रतिशत है। 1974–75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए परिव्यय को राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके निर्धारित किया गया है। ऐसा करते समय संसाधनों की संपूर्ण उपलब्धता, कृषि, सिंचाई तथा बिजली आदि जैसे प्राथमिकता कार्यक्रमो की अपरिहार्य आवश्यकताओं, एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि को क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना बनाने तथा प्रारंभिक कार्य करने में समय के अन्तराल को ध्यान में रखा गया है।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से दक्षिण भारतीय संगीत का प्रसारण करने का प्रस्ताव

7056. श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर भारत में रहने वाले दक्षिण भारतीयों के लिये आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से रात्रि के समय दक्षिण भारतीय चित्रपट संगीत का प्रसारण किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Allocation of Funds to States for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Fifth Plan

7057. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the funds allocated for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Fifth Plan, State-wise; and

(b) the outlines of the schemes proposed to be taken up?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) A provision of Rs. 255 crores—Rs. 170 crores in the State sector and Rs. 85 crores in the Central sector—has been made for Welfare of Backward Classes, including Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in the Draft Fifth Five Year Plan. This would be in addition to the amount which would be available to the State Governments for Tribal Sub-plans. State-wise distribution of the allocation has yet to be finalised. The provisions referred to above are supplementary in character, as it is expected that considerable effort will be made for the Welfare of Backward Classes from funds provided in the general sectors.

(b) The broad outline of the programmes proposed to be taken up in this Sector is indicated in Chapter 13 of the Draft Fifth Five Year Plan (Volume II) which was placed on the Table of the House.

Manufacture of less expensive bricks with ash from power houses

7058. Shri Lambodar Baliyar : Wlil the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Central Building Research Institute, Roorkee has sent a scheme to Government for making less expensive bricks with ash from power houses and if so, the outlines thereof;

(b) whether these bricks are less expensive as compared to those now in use; and

(c) if so, the extent thereof?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The process for making less expensive bricks utilising flyash from Thermal Power Station has been referred by the Central Building Research Institute, Roorkee to the National Research Development Corporation (NRDC) for commercial exploitation. The flyash is mixed with clay, the quantity mixed depending upon the plasticity of the clay. After mixing the bricks are moulded, dried and fired in the usual way.

(b) Yes, Sir.

(c) The process may bring about an economy in the production cost ranging from 10 to 15 per cent.

आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रसारित खाद्यान्न मूल्य सूची में गेहूं के मूल्य न बताना

7060. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से श्रोताओं – इस बात को लेकर अत्यन्त निराशा व्याप्त है कि आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र द्वारा प्रति दिन प्रसारित की जा रही खाद्यान्नो की मूल्य सूची में गहूं के मूल्य नहीं बताये जाते;

(ख) क्या आकाशवाणी को गहूं की दरें सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा सूचित नहीं की जा रही; और

(ग) यदि हां, तो यह स्थिति कब से है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार को ऐसी किसी प्रतिक्रिया से अवगत नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) गेहूं के मूल्य का प्रसारण 12 मई, 1973 से बंद कर दिया गया था ताकि देश के विभिन्न भागों में गहूं वसूली अभियान के दौरान कोई भ्रांति न हो ।

Scheme for Industrialisation of M.P.

7061. Shri Rana Bahadur Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether a scheme for industrialisation at District-level has been forwarded by the Madhya Pradesh Government to the Government of India for approval; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

एकाधिकार गृहों को लाइसेन्स जारी करना

7062. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 (मार्च) में देश में कितने एकाधिकार गृहों की विस्तार योजनाओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे विस्तार में एकाधिकार तथा निबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया का कोई उल्लंघन हुआ है; और

(ग) क्या विस्तार के बाद सरकार अथवा किसी विशेष व्यापार गृह ने शेयरो पर एक अनुपात में नियंत्रण रखा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वर्ष 1973 में एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को 37 पर्याप्त विस्तार लाइसेंस दिये गये थे ।

(ख) लागू प्रक्रिया के अधीन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार केवल एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को ही आशय पत्र/लाइसेंस दिये जाते हैं ।

(ग) ऐसे मामलों में एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया के दृष्टिकोण से अनापति देते समय सामान्यत: यह शर्त लगा दी जाती है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों से प्राप्तऋण परिवर्तन शीलता खंड के अधीन होंगे । यह अनापति भी सामान्य रूप से आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण पर नियंत्रण रखने के लिये लगाई गई उपयुक्त शर्तें के अधीन होती है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हत्या के मामलों की जांच

7063. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा हत्या के कितने मामलों की जांच की जा रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों आनन्द मार्ग की घटनाओं की जांच कर रही है; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों को समय-समय पर राज्य सरकारों से सहयोग मिलता है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथाकथित हत्या का एक मामला आजकल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के अधीन है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन ।

(ग) जी हां, श्रीमन ।

Plant for manufacture of Copper Mounted Wire at Rupnarainpur

7064. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether a plant was started at Rupnarainpur in 1969 for manufacturing copper mounted wire;

(b) whether the plant is lying uncompleted even today; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps Government are taking for commissioning it immediately?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) to (c) It is presumed that the question relates to copper coated steel. The project for the manufacture of copper coated steel wire in Hindustan Cables Ltd., Rupnarainpur was commissioned in December, 1973. Some unavoidable delay took place in commissioning the project earlier on account of litigation with the civil contractor who had undertaken construction of the shed for housing this project.

Conversion of manual exchanges in the country into automatic exchanges

7065. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a good deal of inconvenience is experienced in the telecommunication system due to manually-operated exchanges;

(b) whether Government propose to set up automatic exchanges; and

(c) if so, the annual programme proposed to be launched in this regard, Statewise and the action taken in this connection so far?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh): (a) While manually operated exchanges are costlier in operation, automatic exchanges need larger capital investment. Single Manual exchange systems are quite efficient; the calls tend to be somewhat delayed in larger multi-exchange manually operated systems.

(b) Yes, Sir.

(c) The annual programme of automatisation of exchanges for the year 74-75 is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See L.T.* 6723/74.] Equipment for the installation of these exchanges has already been allotted in earlier years and in most of the cases bulk of the materials have already been received. Some of the installations are in progress and others are being undertaken. Automatisation programmes for subsequent years will depend upon the production capability in the Telecom. factories. To speed up the automatisation of telephone exchanges in the country, a second factory to manufacture automatic exchanges equipment is being set up at Rai Bareilly (U.P.).

गुजरात में उन नगरों के नाम जहां कर्फ्यू लगाया गया था

7066. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वे नगर कौन-कौन से हैं जहां 7 जनवरी, 1974 और 28 फरवरी, 1974 के बीच की अवधि में कर्फ्यू लगाया गया था; और

(ख) क्या राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद भी इस राज्य में गोलीबारी और पुलीस दमन के अन्य कार्य में रोकटोक जारी हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से विस्तृत सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में सिमेन्ट का संकट

7067. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगाली दैनिक के 11 मार्च, 1974 के अंक में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी के कारण "पश्चिम बंगाल में सीमेंट संकट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा सुदूरपूर्व क्षेत्र में मेसर्स अशोक मार्केटिंग लिमिटेड को सीमेंट की सप्लाई करनी पड़ती है । बिहार, उत्तरप्रदेश, आसाम तथा सुदूरपूर्व क्षेत्र के कारखानों में सीमेंट भेजने के लिये तुलनात्मक दृष्टि से दक्षिण पूर्व रेलवे की अपेक्षा उनकी स्थान सम्बन्धी स्थिति बेहतर है । अतएव, अक्टुबर से दिसम्बर 1973 की अवधि में खुली बिक्री की श्रेणी का सीमेंट पश्चिम बंगाल को केवल 8786 मी० टन ही आबंटित किया गया था । आने जाने के अवरोधों के कारण खुली बिक्री श्रेणी में ही पश्चिम बंगाल को देने हेतु उन्हें 7,500 मी० टन का अतिरिक्त कोटा दिया गया और इस प्रकार कुल 16,286 मी० टन का कोटा दिया गया था । बिना समुचित मंजूरी के ही उन्होंने 28,383 मी० टन का कहीं अधिक का कोटा वस्तुतः दिया था । चूंकि इससे अन्य श्रेणियों में सप्लाई अपर्याप्त थी, उसे बेहतर करने हेतु पश्चिम बंगाल को खुली बिक्री श्रणी के अन्तर्गत सीमेंट सप्लाई करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । मसर्स अशोक मार्केटिंग लि० द्वारा ऐसा वचन पत्र दिये जाने पर कि वे आसाम तथा सुदूरपूर्व के क्षेत्र में सप्लाई में सुधार करेंगे, 18 फरवरी 1974 से यह प्रतिबन्ध उठा लिया गया था । यह कहना सही नहीं है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के कारखानों की अपेक्षा उनके पास भारी स्टाक जमा हो गया था ।

समाचार पत्रों की लागत की जांच के लिए नियुक्त समिति का प्रतिवेदन

7068. श्री पी० वेंकट सुब्बया : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा समाचार पत्रों की लागतों की जांच करने के लिये गठित तथ्य निरूपण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में पांचवीं योजना के प्रथम वर्ग के दौरान डाकघरों का खोला जाना

7069. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पांचवी योजना के प्रथम वर्ष के दौरान डाकघरों के खोलने के काम को अन्तिम रुप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिला वार कितने डाकघरों को खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) उनमें से कितने राज्य के आदिवासी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश की आर्थिक तंगी को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के दौरान देश में डाकघर खोलने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित न करने का फैसला किया गया है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भाग (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए राज्य के आदिवासी इलाकों और दूसरे पिछड़े इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। नये डाकघर खोलने के बारे में निर्धारित शर्तों यानी जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी और आर्थिक स्थिति आदि के अनुसार नये डाकघर खोलने के प्रस्तावों पर फैसला किया जाएगा।

उड़ीसा में चौथी योजना में डाकघरों का खोला जाना

7070. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिए उड़ीसा राज्य में डाकघरों के खोले जाने के निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कमी रह गई है और उसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1974-75 के लिए पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना को फिर से तैयार करना

7071. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 1974-75 के लिए अपनी वार्षिक योजना को फिर से तयार करने के लिए कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा पहले और वांछित रुप में फिर से तैयार करने के बाद राज्य की वार्षिक योजना की मुख्य बातें क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद के लिए ऋण

7072. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम किराया-खरीद के लिए ऋण देती है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की किराया-खरीद डिवीजन ने राज्यवार कुल कितनी कितनी राशि मंजूर की है; और

(ग) क्या इन राशियों का उपयोग स्वदेश में बनी मशीनों के लिए किया गया, और यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योगवार जानकारी क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा उद्यमियों को ऋण की कोई सीधी सहायता नहीं दी जाती। लघु उद्यमियों को किराया-खरीद के आधार पर केवल मशीनों का संभरण किया। गत तीन वर्षों में (राज्यवार) सप्लाई की गई मशीनों का मूल्य संलग्न विवरण मे दिया गया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6724/74]

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा आयातित तथा देशी दोनों प्रकार की मशीनों का संभरण किया गया था। तथा गत तीन वर्षों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रु० लाख में)

वर्ष	आयातित	देशी	योग
1971-72	779.5	290.5	107.0
1972-73	769.5	146.0	915.5
1973-74 (फरवरी 74 तक)	342.34	164.28	506.62

जिन उद्योगों के लिए मशीनों का संभरण किया गया वे ये है—यांत्रिक, वैद्युत, इंजीनियरी, शल्य चिकित्सा उद्योग, रसायन, प्लास्टिक, रबड़ तथा चमड़े पर आधारित, छपाई का कागज तथा कागज उत्पाद, पहनने के सूती परिधान, खाद्य उत्पाद, इमारती लकड़ी पर आधरित उद्योग आदि ।

Remains of Glass Factory Found in Ballia (UP)

7073. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item appearing in Delhi Paper dated the 14th March, 1974 under the caption "25 years ago" wherein it has been stated that the remains of a 2500 year-old glass factory have been found in the bank of the Anoma in village Koyopia in Balia District;

(b) if so, the main facts thereof; and

(c) whether Government propose to set up a glass factory in that area?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) Yes, Sir.

(b) The facts are being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) There is no proposal to set up a Glass Factory in that area.

1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धन का नियतन

7074. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिये धनराशि के नियतन का क्या आधार है; और

(ख) प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत इस प्रकार राज्यवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ग) राज्यों की मूल आवश्यकताओं को किस हद तक पूरा किया जाता है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के वास्ते परिव्यय का निर्धारण राज्य सरकारों से परामर्श करके और योजना के लिए उपलब्ध समस्त संसाधनों, कृषि, सिंचाई, बिजली जैसे प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों की अनिवार्य आवश्यकताओं, प्रारम्भिक कार्यों में लगने वाले समय और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित संगठनात्मक स्वरुप के सुदृढ़ीकरण आदि का ध्यान रख कर किया गया है ।

(ख) वार्षिक योजना, 1974-75 मे न्यनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार और कार्यक्रमवार परिव्यय दिखलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तूत है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6725/74]**

राज्यों की बुनियादी जरुरतों को राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और पाचवीं योजना में सम्मिलित किए गए अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न स्कीमों के माध्यम से पूर करने के लिए वार्षिक योजना, 1974-75 में एक योजनाबद्ध प्रयास प्रारम्भ किया जा रहा है।

पांचवीं योजना के दौरान बिहार में सरकारी उद्योगों की स्थापना

7075. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार पांचवी योजना के दौरान बिहार के सरकारी क्षेत्र में और अधिक उद्योग स्थापित करने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) पांचवी योजना-प्रलेख के पृष्ठ 151-155 (भाग-11) में पांचवी योजनावधि में बिहार सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने वाले केन्द्रीय उद्योग तथा खनिज परियोजनाओं के नाम, उनका स्थापना स्थल तथा परिव्यय (जिस सीमा तक निर्णय ले लिये गये हैं) बताए गये हैं।

राज्यों में कारखाने

7076. श्री धरनीधर दास : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार पंजीकृत उद्योगों की संख्या कितनी है और प्रत्येक राज्य में इन में कितने लोग काम कर रहे है;

(ख) गत तीन वर्षों में इन में कुल कितना पूंजीनिवेश किया गया और कितना लाभ अर्जित किया गया है और उसमें गैरसरकारी, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों का अनुपात क्या है; और

(ग) लाभ की दर और मंजूरी की दर में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) कारखाना क्षेत्र के बड़े व छोटे उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 1968 में जो कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित दस्तावेज है तथा जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, देश में पंजीकृत कारखानों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या लगाई, गई पूंजी तथा कर्मचारियों की परिलब्धियों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। बाद के वर्षों के प्रकाशन अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

निजी व सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग अर्जित लाभ अथवा मजदूरी के दर में वृद्धि के सम्बन्ध में सूचना नहीं रखी जाती हैं।

Central assistance for flood relief in M.P.

7077. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to undertake relief work in eleven more districts of the State under the Central assistance scheme for the flood affected districts and whether the proposal is under consideration of the Government; and

(b) if so, the reaction of the Planning Commission thereto?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir.

(b) A final view is yet to be taken.

Laboratory for mineral development

7078. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the Council of Scientific and Industrial Research has made a request to the Government for setting up a big Laboratory for mineral development and whether the request is under Government's consideration;

(b) if so, their reaction thereto; and

(c) the time by which this is likely to be established?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

पश्चिम बंगाल में एककों को राजसहायता देने में विलंब

7079. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में 13 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2940 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृत राशि बांटने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। स्वीकृत धनराशि के वितरण में कुछ विलम्ब हो रहा है।

(ख) किसी भी नयी योजना के कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवस्था में विलम्ब के कुछ कारण अंतर्निहित होते है। इस योजना को चलाने से पूर्व चुंकि यह वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित है अत: प्रक्रियायें सुप्रवाही बनायी जानी है, योजना की कार्यान्विति में लगने वाली विशेषज्ञता की प्राप्ति हेतु कर्मचारी प्रशिक्षित किए जाने है तथा प्रशासकीय संगठन को सुदृढ किया जाना है।

पांचवीं योजना में पूर्वोत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों और शेडों के लिए धन का नियतन

7080. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना अवधि में राज्यवार, पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों में औद्योगिक बस्तियों और शेडों के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) इन राज्यों में 31 दिसम्बर, 1973 को औद्योगिक बस्तियों और शेडों की संख्या कितनी थी; और

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में औद्योगिक बस्तियों और शेडों के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) दो विवरण (अनुबंध 1–2) संलग्न है **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6726/74]**

(ग) उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सहित राज्यों की पांचवी योजना के आकार तथा उसके विवरण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

केरल कागज परियोजना में विलम्ब

7081. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के तकनीकी परामर्शदाता राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के सहयोगी मैसर्ज एच० ए० सायमन्स करार से पृथक हो गये है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और उससे हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की केरल परियोजना में कितना विलम्ब होगा, और परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार ने कोन से वैकल्पिक उपाय किये है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) कुछ धाराओं की भिन्न भिन्न व्याख्याओं को दृष्टि में रखकर मैसर्स एच० ए० साइमन्स ने अपनी यह राय व्यक्त की है कि यह करार रद्द समझा जाये। फिर भी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम विभिन्न मसलों को सुलझाता चला जा रहा है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम दोनों ही संयुक्त रूप से अनुसूची के अनुसार परियोजना के कार्य को आगे बढाने हेतु कदम उठा रहे है व हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के केरल अखबारी कागज की परियोजना के पूरा होने में विलम्ब होने की संभावना नहीं है।

आधुनिक दूर संचार केन्द्र की स्थापना

7082. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक स्तर का दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उक्त केन्द्र की स्थापना कहां की जायेगी;

(ख) क्या उक्त केन्द्र की स्थापना देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी से की जायेगी अथवा विदेशी सहयोग से की जायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। गाजियाबाद में एक उच्चस्तरीय दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) एक उच्चस्तरीय दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र यू० एन० डी० पी० की सहायता से खोला जायेगा। यू० एन० डी० पी० के आर्थिक अंशदान से विदेशों विशेषज्ञों के वेतन और आयात होने वाले उपस्कर का खर्च वहन किया जाएगा और भारत सरकार के अंशदान से प्रोजेक्ट के अन्य कर्मचारियों, स्वदेशी उपस्कर और इस केंद्र के लिए अपेक्षित भूमि और इमारत का खर्च उठाया जाएगा।

(ग) उच्च स्तरीय दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र डाक तार विभाग के और इकैफे क्षेत्र में आने वाले अन्य दूर संचार प्रशासनों के वरिष्ठ इंजीनियरी कर्मचारीयों को सेवारत पाठ्यक्रमों (इन सर्विस कोर्स) उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने की सुविधाएं देगा।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा आरम्भ की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनायें

7083. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने कुछ निश्चित क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कुछ परियोजनाएं आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो देश में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ की जाने वाली इन परियोजनाओं का विशेषकर औषध, पैय जल संबंधी परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के कुछ एकक राजस्थान में स्थापित करने का विचार है, और यदि हां, तो उन्हें किन किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के 24 क्षेत्रों से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना का एक प्रारूप तैयार किया है जिसमें राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी कार्यक्रमों / परियोजनाओं का समावेश है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप की प्रतियां लोक सभा के पटल पर पहले ही प्रस्तुत कर दी गयी है। औषधी क्षेत्र की परियोजनाएं योजना के स्वास्थ्य, रासायनिक उद्योग तथा प्राकृतिक साधन के क्षेत्र में सम्मिलित है, जिन परियोजनाओं का संबंध पीने के पानी से है वे ईंधन तथा बिजली, आवास, नगरी-

करण तथा निर्माण प्रौद्योगिकी एवं रासायनिक उद्योग जैसे क्षेत्रों में सम्मिलित है। कुछ परियोजनाओं (उदाहरणार्थ – पवन चक्की, निम्न स्तरीय चट्टानों के फास्फेट का परिष्करण) को राजस्थान में स्थापित करने का सुझाव है।

सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान के अनिर्णीत पडे आवेदन पत्र

7084. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) राजस्थान में सीमेंट उद्योगों की स्थापना के लिये दिये गये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पडे है;

(ख) ऐसे आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है और आवेदन पत्रों पर कब तक निर्णय कर दिया जायेगा; और

(ग) राजस्थान में पांचवीं योजना में ऐसे कुल कितने सीमेंट कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क)और (ख) राजस्थान राज्य में सीमेंन्ट का उत्पादन करने के लिए क्षमता स्थापित करने हेतु नीचे बताये गये सीमेन्ट उत्पादन के तीन आवेदनों पर लाइसेन्स समिति द्वारा विचार किया गया है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेने का अनुमान है :–

पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता
1. श्री मोहन लाल जाजू . . .	बिलेरा	4.06 लाख मी० टन
2. बाली जूट कम्पनी . . .	सोजात रोड	4.00 लाख मी० टन
3. रेमेंड वूलन मिल्स . . .	मोडक	4.00 लाख मी० टन

(ग) पांचवी योजनावधि में तीन नये सीमेन्ट संयंत्र लगाने और एक विद्यमान संयंत्र का विस्तार करने का अनुमान है।

सीमेन्ट कारखाने की स्थापना के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र

7085. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस हेतु दिये गये कितने आवेदन पत्र उनके मंत्रालय में अनिर्णीत पडे है तथा कब से ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : सिमेंट फैक्टरियां स्थापित करने के लिए लाइसेन्स स्वीकृति हेतु अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या इस समय 31 है। आवेदनों की स्थिति निम्नप्रकार है :–

वर्ष	अनिर्णीत आवेदनों की संख्या
1971	4
1972	2
1973	17
1974	8
योग . .	31

वर्ष 1970–71 और 1971–72 में प्रगति दर

7086. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971–72 में प्रगति दर 1.7 प्रतिशत थी जब कि पिछले वर्ष वह 5.4 प्रतिशत थी; और

(ख) प्रगति दर घट जाने के क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर वर्ष 1971–72 के दौरान 1.7 प्रतिशत थी जब कि उससे पिछले वर्ष 4.2 प्रतिशत थी ।

(ख) वृद्धि दर के कम बढने का मुख्य कारण वर्ष 1971–72 में कृषि के क्षेत्र में गिरावट आना था ।

दीर्घावधि वीजा पर भारत में ठहरने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिक

7087. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीर्घावधि वीजा पर भारत में, राज्यवार ठहरने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या इस समय कितनी है;

(ख) क्या इस प्रकार के वीजा धारियों के आने जाने और गतिविधियों पर कोई रोक लगाई गई है ; और

(ग) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में कितने वीजा धारियों पर भारत विरोधी गतिविधियों में लगे होने का सन्देह था ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

महाराष्ट्र में पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सैल

7088. श्री शंकर राव साबन्त : क्या **योजना** मंत्री पिछडे और पहाडी क्षेत्रों के लिए सेल बनाने के बारे में 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सैल महाराष्ट्र में किन पहाडी और पिछडे क्षेत्रों की देखभाल कर रहा है; और

(ख) इस सैल ने इन क्षेत्रों की समस्याओं के साथ निपटने के लिए क्या विशिष्ट प्रस्ताव रखे है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पर्वतीय क्षेत्र सैल मुख्यत: ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं से सबंन्धित है जो अपेक्षाकृत बडे राज्यों के अंग है। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, यह सैल पश्चिमी घाट क्षेत्र की आयोजना से सम्बन्धित समस्याओं को देख रहा है । बहुस्तरीय आयोजना अनुभाग, जिसका कि पर्वतीय क्षेत्र सैल एक अविभाज्य अंग है, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के पिछडे क्षेत्रों की समस्याओं से सम्बन्धित है। यद्यपि पिछडे क्षेत्रों के तीव्रगति से विकास के लिए धन की व्यवस्था और संचालनात्मक कदम उठाने की जिम्मेदारी मूलत: सम्बन्द्ध राज्य सरकारों की है, तथापि इस अनुभाग को मार्गदर्शी सिद्धान्त नियत करने तीव्रगति से उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए योजना

तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करने और राज्य सरकारों से प्राप्त हुअे प्रस्तावों की जांच करने की जिम्मेदारी सोंपी गइ है। महाराष्ट्र ने छः जिलों, अर्थात चांदा, यवतमाल, परभानी, भिड, नांदेड और उसमानाबाद, को आर्थिक रूप से पिछडा निर्धारित किया है। योजना आयोग के अन्य प्रभाग भी वांछित सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) पिछडे तथा पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं से सम्बन्धित सामान्य नीति और दृष्टि-कोण की विवेचना पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप जिसे सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है के अध्याय 14 में की गई है। पश्चिमी घाट क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों पर विचार करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के अधीन एक समिति गठित की गई है, जो साथ ही साथ पश्चिमी घाटों के युक्तिबद्ध निर्धारण के प्रश्न पर भी विचार करेगी और उसके बाद कार्य विधि तैयार करेगी।

सीमेन्ट का वितरण

7089. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट की कमी कब तक बनी रहेगी;

(ख) सीमेंट के वितरण में सुधार करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ताकि चोर बाजारी, मुनाफाखोरी और अपमिश्रण न हो;

(ग) क्या सरकार को पता है कि सीमेंट कम्पनियों के एजेंटों के माध्यम से सीमेंट वितरण करने की वर्तमान व्यवस्था से उपभोक्ताओं को भारी कठिनाइयां का सामना करना पड रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) इस समय देश में सीमेंट उद्योग की अधिष्ठापित/लाइसेंस प्राप्त क्षमता 197.6 लाख मीट्रिक टन है जो क्षमता के 85 प्रतिशत उपयोग किए जाने के आधार पर साधारणतया लगभग 170 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन करने में समर्थ है। बिजली में कटौतियां, मालगाडी के डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई, कोयला, श्रमिक हडतालों आदि के कारण ही वास्तविक उत्पादन केवल लगभग 150 लाख मीट्रिक टन हुआ है। इन बाधाओं को दूर करने के प्रत्येक संभव प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पांचवी योजनावधि के प्रारंभिक वर्षों में सीमेंट की कुछ कमी बनी रहेगी।

सीमेंट की उपलब्ध मात्रा का समान वितरण करने के उद्देश्य से, प्रत्येक राज्य में उसके पिछले पांच वर्षों की औसत खपत के 110 प्रतिशत के आधार पर जुलाई, 1973 से जून 1974 तक के लिये प्रत्येक राज्य के लिये सीमेंट के कोटे नियत कर दिये गये है। इन कोटे में राज्यों में होने वाले केन्द्रीय सरकार के सिविल कार्यों में लगने वाला सीमेंट सम्मिलित नहीं है जिसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार अलग से करती है। राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उन्हें इकट्ठे आबंटित किए अपने कोटे में से काडाई से सीमेंट का आबंटन किया जाता है। समय-समय पर यथा संशोधित सीमेंट नियन्त्रण आदेश, 1967 के उपबन्धो के अधीन सीमेंट का मूल्य तथा वितरण विनियमित किया जाता है। इस आदेश के अधीन गन्तव्य स्थान तक रेल भाडा मुक्त सीमेंट का एक समान मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाता है जब कि आदेश के खण्ड 10 के अधीन राज्य सरकारों को राज्य के अन्दर सीमेंट के थोक व खुदरा मूल्य निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रयोजन के लिये सीमेंट को एक अत्यावश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है । मिलावट करके सीमेंट की बिक्री करने में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गये सीमेंट (किस्म नियन्त्रण) आदेश, 1962 के उपबन्धों का उल्लंघन होता है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन परमीट जारी करके विक्रेताओं तथा स्टाकिस्टों को लाइसेंस देकर सीमेंट के वितरण का विनियमन करने के आदेश जारी करें। राज्य सरकारों को इस अधिनियम के अधीन असामाजिक तत्वों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां उपलब्ध है ।

मंत्रालयों में सचिवों के पदों पर प्रोद्योगिकी विज्ञों को नियुक्त करना

7090. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि मंत्रालयों में सचिवों के पदों पर प्रौद्योगिकी विज्ञों को नियुक्त किया जाये; और

(ख) किन मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों तथा अतिरीक्त सचिवों के पदों पर तकनिकी व्यक्ति कार्य कर रहे ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सचिव/अतिरिक्त सचिव के पदों को पात्र व्यक्तियों (तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों ही) में से कार्य (जाँब) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर चयन द्वारा भरा जाता है। तकनीकी अधिकारी ऐसी नियुक्तियों के लिए पहले से ही पात्र समझे जाते है ।

(ख) **सचिव के पदों पर (पदेन सचिवों सहित)**

संचार मंत्रालय

भारी उद्योग मंत्रालय

इलेक्ट्रानिकी विभाग

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

परमाणु-उर्जा विभाग

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान)

अन्तरिक्ष विभाग

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय

खान् विभाग

औद्योगिक विकास मंत्रालय (तकनीकी विकास)

रेल मंत्रालय

अतिरिक्त सचिव के पदों पर (पदेन अतिरिक्त सचिव सहित)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

रेल मंत्रालय ।

गरीबी का हटाया जाना

7091. श्री धामनकर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का लगभग परित्याग कर देने से, जो गरीबी दूर करने का प्रमुख अस्त्र था, 'गरिबी हटाओ' योजना को समाप्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो गरिबी समाप्त करने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए नियत की गई धनराशि योजना के कुल परिव्यय का केवल 14 प्रतिशत है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वियन का परित्याग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सभी राज्यों के लिए 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का परिव्यय 197.71 करोड रुपये रखा गया है, जो कि राज्यों की कुल अनुमोदित वार्षिक योजना (1974-75) का 9.34 प्रतिशत है ।

तमिलनाडु में औद्योगिक उत्पादन

7093. श्री आ० वीर० स्वामीनाथन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु को फरवरी और मार्च, 1974 में बिजली की कटौती के कारण हानि हुई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप अधिकांश उद्योगों ने काम करना बन्द कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इससे राज्य का औद्योगिक उत्पादन किस सीमा तक प्रभावित हुआ है ; और

(घ) बिजली की स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) तमिलनाडू में 1973 के मध्य से विद्युत शक्ति की कम उपलब्धि के कारण राज्य में इसकी खपत के प्रतिबन्धित करना पड़ा है। फलत: राज्य में उद्योग भी कुछ सीमा तक काफी प्रभावित हुए हैं। केवल अपर्याप्त विद्युतशक्ति की सप्लाई के कारण ही किस सीमा तक औद्योगिक उत्पादन की हानि हुई है यह पता लगाना संभव नहीं है । जहां तक संभव है केरल से कुछ विद्युतशक्ति लेकर सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय ने विद्युतशक्ति की सप्लाई-स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक अभ्युपाय किये हैं ।

तमिलनाडु में रेशम का उत्पादन एकक

7094. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु में शीघ्र एक रेशम उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिये सहमत हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

7095. डा० गोविन्द दास रिछारिया :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1974 को दिल्ली (नई दिल्ली सहित) एक्सचेंजवार 'अपना टेलीफोन लगवाओ' तथा अन्य वर्गों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितनी व्यक्ति थे;

(ख) एक्सचेंजवार अब तक किस तारीख तक तथा रजिस्ट्रेशन संख्या तक के लोगो को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ग) सामान्य तथा विशेष वर्गों के अन्तर्गत रजिस्टर्ड व्यक्तियों को एक्सचेंजवार टेलिफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) चालू वित्तिय वर्ष के दौरान दिल्ली टेलीफोन जिले के टेलीफोन "नेट वर्क" में एक्सचेंज वार कितने टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ओ० वाई० टी० सामान्य और विशेष श्रेणियों के अंतर्गत तारीख 1-4-1974 को प्रतीक्षा सूची में जो आवेदकों की संख्या दर्ज थी, उससे संबंधित एक विवरण पत्र अनुबंध-1 में संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6727/74]**

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-पत्र में अनुबंध-11 में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6727/74]** तकनीकी कठिनाइयों के कारण इनमें से कुछ मामलों में अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं।

(ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान दिल्ली के सभी एक्सचेंजों से 65000 अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना है। जो नई क्षमता उपलब्ध होगी उसका 15% सामान्य श्रेणी के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने में और 15% विशेष श्रेणी के अंतर्गत आवेदको को टेलीफोन कनेक्शन देने में प्रयोग में लाया जाएगा।

(घ) वर्ष 1974-75 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन देने के कार्यक्रम में 1,400 लाइनें देना शामिल है जो इस प्रकार हैं :—

रामकृष्णपुरम—1000 लाइनों वाला कंसेंट्रेटर जिससे जोरबाग एक्सचेंज को राहत मिलेगी।

ईदगाह—400

कनाटप्लेस एक्सचेंज के पुराने उपस्कर को बदलने के लिए जनपथ एक्सचेंज में भी 2000 लाइनें जोडी जाएंगी।

श्रेणी I की सेवाओं के पदों पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा

7096. श्री राजदेव सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में श्रणी i की सेवाओं के पदों पर नियुक्ति के लिय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परिक्षाओं के लिये ऊपरी आयु-सीमा सब के लिये समान है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिये अपेक्षित अर्हता केवल ग्रेज्युएशन है और भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये इंजीनियरिंग ग्रेज्युएट होना अपेक्षित है जिसमें ग्रेज्यूएशन से दो वर्ष अधिक लगते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों प्रकार की सेवाओं के लिये ऊपरी आयु-सीमा 26 वर्ष निर्धारित करना इंजीनियरिंग ग्रेज्यूएटों के हितों के विरुद्ध नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संघ लोक सेवा आयाग केन्द्रीय सरकार की श्रेणी –I की सेवाओं में नियुक्ति के लिए कई अलग अलग प्रतियोगी परिक्षाएं आयोजित करता है और ऐसी परीक्षाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा भी विभिन्न परीक्षाओं के लिये अलग-अलग है ।

(ख) से (घ) यह सही है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रसाशन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता विश्वविद्यालय की डीग्री है और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए अपेक्षित अर्हता इंजीनियरी में ग्रेज्युएशन है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा में प्रवेश के लिए वर्ष 1972 की परीक्षा से ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 24 से 26 वर्ष कर दिया गया है । जहां तक इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का सम्बन्ध है, इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित सामान्य ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष थी । किन्तु, अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की अवधि के दौरान, जिन लोगों ने इंजीनिरिंग कोर्स पास कर लिए थे उनके लिए रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए ऐसे पदों पर प्रवेश के लिए, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा तथा इंजीनियरिंग सेवा (इलेक्ट्रानिकी) परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाता है , निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया था । 30 वर्ष तक बढाई गई ऊपरी आयु सीमा को विशेषत: वर्ष 1972 तथा 1973 में ली गई इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा और वर्ष 1973 तथा 1974 की इंजीनियरिंग सेवा (इलेक्ट्रानिकी) परीक्षा के सम्बन्ध में लागू किया गया था । किन्तु हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए बढ़ाई गई ऊपरी आयु सीमा को एक और वर्ष, अर्थात् वर्ष 1974 में ली जाने वाली परीक्षा तक के लिए जारी रखा जाए ।

उपर्युक्त बढ़ाई गई आयु सीमा को श्रेणी I की इंजीनियरिंग सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जारी रखने अथवा उसे उपयुक्त ढंग से संशोधित किये जाने के प्रश्न पर, सरकार द्वारा वर्ष 1972 से बढ़ाई गई आयु सीमा के प्राप्त परिणामों की समीक्षा के बाद ही विचार किया जाएगा ।

इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का भाग

7097. श्री राजदेव सिंह : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के भाग लेने से इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का तेजी से विकास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो 1972–73 में समग्र रूप से कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ और इसमें दोनों क्षेत्रों का पृथक पृथक् कितना-कितना प्रतिशत भाग है ; और

(ग) क्या यह भाग प्रतिशतता उसी अनुपात में है जिस अनुपात में दोनों क्षेत्रों का परिव्यय है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हां श्रीमन ।

(ख) 1972–73 में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के उत्पादन की कुल लागत 206 करोड़ रु० थी, जिसमें से सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का 50–50% योग रहा ।

(ग) 1961 से 1971 की अवधि में सरकारी क्षेत्र (साम्य एवं ऋण) व निजी क्षेत्रों के कुल परिव्यय का अनुपात 45 : 55 था ।

चौथी योजना में खाद्य उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति

7098. श्री राज देव सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे योजना बनाने वाले यह महसूस करते हैं कि चौथी योजना की समाप्ति के समय देश में स्थिर मूल्य थे ;

(ख) क्या योजना में खाद्य उत्पादन विकास तथा औद्योगिक उत्पादन विकास सम्बन्धी परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यदि कोई कमी रह गई है तो कितनी और उसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में मूल्यों में सामान्य वृद्धि हुई, परन्तु बाद के दो वर्षों 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान मूल्य स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग) 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1100 लाख टन होने का अनुमान है जब कि चौथी योजना का लक्ष्य 1290 लाख टन था । वष 1971-72 और 1972-73 में बड़े पैमाने पर सूखा पड़ने तथा विभिन्न खाद्यान्नों की फसलों के उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों की प्रगति विषम होने के कारण कमी आई, परन्तु 1973–74 के उत्पादन पर मुख्य निवेशों जैसे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई के लिए बिजली तथा वर्षा की कमी तथा रबी की ऋतु में धुंध फैलने के कारण बुरा प्रभाव पड़ा ।

चौथी योजना में औसत विकास की दर का लक्ष्य 8 से 10 प्रतिशत रखा गया था । परन्तु इसके विपरीत चौथी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि 5 प्रतिशत प्रति वर्ष के आसपास रही । पूरे आंकड़ों के अभाव में इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि 1973–74 में औद्योगिक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई । चौथी योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन में जो कमी हुई उसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कच्चे माल की कमी, औद्योगिक विनियोजन में अपर्याप्त वृद्धि, बिजली की कमी, परिवहन की कठिनाइयां, औद्योगिक अशान्ति, समन्वय तथा समुचित प्रबन्ध की कमी ।

डाक तार विभाग का सांस्कृतिक समारोह

7099. श्री राजदेव सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय डाक तार विभाग का 19वां सांस्कृतिक समारोह मार्च, 1974 के अन्त में जयपुर में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और विभाग के विभिन्न कार्यकलापों से उसका क्या सम्बन्ध है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 19वां अखिल भारतीय डाक तार सांस्कृतिक समारोह 27 से 29 मार्च 1974 तक जयपुर के राजस्थान डाक तार क्षत्रीय खेल कुद नियंत्रण बोर्डो के तत्वावधान में हुआ था ।

(ख) खेल कुद और सांस्कृतिक गतिविधियां डाक तार विभाग के कल्याण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये गतिविधियां डाक तार खेल कूद नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित की जाती हैं। इस बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। इस केन्द्रीय बोर्ड को क्षेत्रीय स्तरों पर घटक यूनिटें होती हैं जो डाक तार सर्किलों में ये कार्यक्रम आयोजित करती हैं। अखिल भारतीय डाक तार सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हर साल विभिन्न सर्किल मुख्यालयों में किया जाता है जिसमें न केवल डाक तार कर्मचारी बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी भाग लेते हैं। इन गतिविधियों से विभाग के कर्मचारियों में सहयोग और सद्भावना उत्पन्न होती है और ऐसे मनोरंजनों से उनमें ताजगी आती है जिससे वे अपनी सरकारी जिम्मेदारीयां निभाने के योग्य बनते हैं।

मशीनों के किराया-खरीद के लिए नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त आवेदन-पत्र

7100. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में नेशनल स्माल-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को राज्यवार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) ऐसे राज्यों में से प्रत्येक को दी गई मशीनों की कुल संख्या कितनी है और उनकी रुपयों में लागत कितनी है ; और

(ग) देहातों में इस प्रकार के प्रोत्साहनों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अपनी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० ने राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों के सहयोग से पिछड़े क्षेत्रों में गहन अभियान चलाया है। आगे 1-4-1974 से (उद्योग-तंत्र वादी) टेक्नोक्रेट पिछड़े क्षेत्रों में एकक स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु ब्याज की अन्तरीय दर पर (डिफरेन्सियन रेट आफ इनट्रेस्ट) आदि का प्रचलन आरम्भ किया है।

विवरण

राज्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	दी गई मशीनें	
		सं०	मूल्य लाख रु० में
तमिलनाडु .	120	68	36.11
आन्ध्र प्रदेश.	16	90	25.52
केरल	5	29	18.69
कर्नाटक	86	56	26.46
पांडिचेरी	1	—	—
महाराष्ट्र . .	46	58	86.20
गुजरात	5	25	45.46
मध्य प्रदेश	20	14	6.06
गोवा . . .	—	4	15.35
पं० बंगाल . . .	420	41	18.75

राज्य	प्राप्त आवेदनों की सं०	दी गई मशीनें	
		सं०	मूल्य लाख रु० में
बिहार	1,026	5	3.68
असम	4	12	4.66
उड़ीसा	416	1	1.52
मनीपुर	—	2	0.25
त्रिपुरा	—	—	—
निकोबार	—	—	—
मेघालय	1	—	—
नागालण्ड	1	—	—
मिजोराम	—	—	—
दिल्ली	209	59	33.66
उत्तर प्रदेश	61	101	104.89
पंजाब	26	46	33.60
जम्मू तथा काश्मीर	372	4	12.99
राजस्थान	22	27	26.36
हिमाचल प्रदेश	4	—	—
हरियाणा	62	35	58.93
कुल योग	2923	670	559.14

पद्मश्री का पुरस्कार लेने से इन्कार किया जाना

7102. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से एक ने यह पुरस्कार लेने से इन्कार कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) गत गणतंत्र दिवस पर घोषित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से दो ने निजी कारणों से उन्हें लेने से इंकार कर दिया है ।

हिप्पीयों के आवागमन पर रोक

7103. श्री के० मालन्ना :
श्री गजाधर माझी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा कि करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज कल्याण परिषद् ने हिप्पियों के आवागमन पर, जिनसे हमारे समाज पर 'कुप्रभाव' पड़ता है, रोक लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

तोड़फोड़ करने और तोड़फोड़ सम्बन्धी गतिविधियों के कारण जम्मू और कश्मीर में पकड़े गए राजनीतिक गुप्तचरों की संख्या

7104. श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में तोड़फोड़ करने और तोड़फोड़ सम्बन्धी गतिविधियों के कारण कश्मीर में कुल कितने राजनीतिक गुप्तचर पकड़े गये हैं ;

(ख) क्या उनसे कोई विदेशी रिवाल्वर, गोलियां, हैंडग्रेनेड बरामद हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग) सरकार को जम्मू व कश्मीर में किसी राजनीतिक गुप्तचर की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है । किन्तु जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष, 1972, 1973 तथा जनवरी 1974 के दौरान जम्मू व कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के कारण 96 व्यक्ति गिरफ्तार किए गय थे । इन जासूसों से तीन रिवाल्वर तथा कुछ गोलाबारुद बरामद किया गया था ।

औद्योगिक उत्पादन के लिए भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ का सुझाव

7105. श्री पी० गंगादेव :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री अल्पकालिक उत्पादन योजना के सम्बन्ध में 27 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ द्वारा दिए गए सुझावों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) तथा (ख) सरकार तथा भारतीय वाणिज्य व उद्योग के बीच चल रही वार्ता के अंश के रूप में कुछ चुनी हुई वस्तुओं के वितरण में सुधार करने पर विचार करने के लिए आयोजित दिनांक 22 मार्च, 1974 को नई दिल्ली में एक बैठक की गई थी । इस बैठक में यह निश्चय किया गया था कि एक केन्द्रीय परामर्श समिति बनाई जाए तथा निम्नलिखित प्रत्येक वस्तु उदाहरण के लिए वनस्पति, चीनी, कागज़, टायर और ट्यूब, सीमेंट, साइकिल तथा सूती वस्त्र (नियंत्रित किस्में) के लिए अलग अलग विपणन वर्ग बनाए जाएं ।

Idle capacity in Public and Private Industry during Fourth Plan

7106. Shri Jagannath Rao Joshi: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the extent of industrial capacity that remained idle in the public and private sectors as the beginning and end of the Fourth Five Year Plan, separately; and

(b) the steps taken to utilise the said idle capacity and the outcome thereof?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) and (b) A statement showing the percentage utilisation of capacity in certain engineering and non-engineering industries for the years 1969 and 1972 is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 6728/74.] Comparable statistics have been maintained for industries as a whole and not separately for the public sector and private sector units.

Government are keen that the existing industrial capacity in the country should be fully utilised. In considering appropriate measures for this purpose, regard should, however, be had to the fact that under-utilisation of capacity may arise due to number of factors, both internal and external to the undertaking. In order to utilise existing capacities fully, Government have also taken over, where necessary, the management of textile and engineering units in different parts of the country. Particular attention is being paid to utilisation of capacities in the machinery industries. Undertakings manufacturing items of industrial machinery are being permitted to diversify within their existing licenced capacities into new items of machinery. A quick and liberal policy for the import of designs and drawings which will facilitate fuller utilisation of capacity in machinery industries is also being implemented.

To the extent that formally recognised licensed capacities fall short of the available installed capacity. Government have permitted subject to certain conditions, fuller utilisation of available installed capacity in respect of 65 industries, through the measures announced in January, 1972, whereby undertakings licensed on a one or two shift basis were allowed to utilise capacity up to three shifts and other undertakings were permitted to utilise their capacity upto double the licensed capacity.

In regard to public sector undertakings in production, information has recently been compiled by the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance showing the installed capacity and production as on 1969-70 and 1973-74 (April to December, 1973). This information is laid on the table of the House.

बेरोजगार डाक्टर, इन्जीनियर, कुशल एवं अकुशल श्रमिक

7107. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के आरम्भ में तथा उसके अन्त में बेरोजगार डाक्टरों, इंजीनियरों, कुशल तथा अकुशल श्रमिको की अलग अलग संख्या क्या थी ;

(ख) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के प्रारम्भ में उनकी अलग अलग संख्या क्या थी ; और

(ग) उन्हें तात्कालिक एवं दीर्घावधि राहत देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पहली योजना के आरम्भ में बेरोजगार डाक्टरों, इंजीनियरो, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, रोजगार चाहनेवालों की संख्या के बारे में केवल 1953 से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है। रोजगार तथा प्रशिक्षण

महानिदेशक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1951, 1955, 1960, 1968 और 1973 में डाक्टरों, इंजीनियरों तथा अकुशल श्रमिकों की संख्या इस प्रकार थी :–

वर्ष के अन्त में	औषध (डाक्टर)	इंजीनियरिंग			अकुशल श्रमिक
		स्नातकोत्तरों सहित स्नातक	डिप्लोमा धारी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
दिसम्बर, 53	225	1,087	उ०न०	1,087	उ०न०
दिसम्बर, 55	179	628	उ०न०	628	उ०न०
दिसम्बर, 60	262	1,190	उ०न०	1,190	89,724
दिसम्बर, 68	1,005	11,026	39,547	50,573	1,05,393
दिसम्बर, 73 (अ)	6,107	23,203	55,706	78,909	2,68,889

टिप्पणी : अ अस्थायी के लिये है ।

(1) उ०न० उपलब्ध नहीं के लिए है ।

(2) 1967 से पहले इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारियों के बारे में सूचना एकत्रित नहीं की गई थी ; और

(3) अकुशल श्रमिकों के बारे में 1960 के बाद सूचना एकत्रित की गई है ।

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों के व्यवसायो का राष्ट्रीय वर्गीकरण के आधारपर वर्गीकृत किया गया है । व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण के अन्तर्गत अपनाई गई परिभाषा के अनुसार जिस व्यक्ति ने कोई खास प्रशिक्षण नहीं लिया है या किसी खास काम के लिए कुशलता प्राप्त नहीं की है उसे "अकुशल कामगार" परिभाषित किया गया है और इसमें भी विशुद्ध शारीरिक श्रम करने वाले लोग जैसे पल्लेदार, कुली आदि को "अकुशल श्रमिक" माना जाता है । परन्तु रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशक द्वारा अपनाए गए व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण की परिभाषा के अनुसार कुशल श्रमिकों का कोई वर्ग नही है । तदनुसार कुशल श्रमिकों के अन्तर्गत आंकड़े देने सम्भव नहीं ।

(ग) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में जहां तक सम्भव हो सका है रोजगार के उद्देश्यों पर आर्थिक विकास के अन्य लक्ष्य के अनुरूप रोजगार के अवसरों को बढ़ाने तथा श्रम सघन तकनीकों की व्यवस्था पर बल दिया गया है । जब कभी कतिपय क्षेत्रों या विशेष वर्गों के सम्बन्ध में खास समस्याएं उत्पन्न हुई है तो सरकार ने सुधारात्मक उपाय अपनाय हैं । चौथी योजना में रोजगार के आधार वाले विभिन्न विकास क्षेत्रों के योजना कार्यक्रमों जिनमें अधिकांश लोगों को रोजगार मिलेगा के अलावा डाक्टरों, इंजीनियरों, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों सहित अशिक्षित तथा शिक्षित श्रमिकों के लिए कतिपय विशेष उपाय अपनाये गये । शिक्षित बेरोजगारों के लिए ये है: (1) 1971-72 में आरम्भ किया गया कार्यक्रम ; (2) राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के 1972-73 में आरम्भ किया गया विशेष रोजगार कार्यक्रम ; और (3) शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1973-74 में आरम्भ किया गया पांच लाख रोजगार कार्यक्रम ।

विभिन्न योजनाओं तथा विशेष रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रोजगार चाहने वाले इंजीनियरिंग के डिग्रीवालों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। योजना आयोग के कहने पर रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशक ने अगस्त/सितम्बर, 1973 में त्वरित सर्वेक्षण किया। इससे अन्य बातों के अलावा यह भी पता चलता है कि रोजगार कार्यालयों के रोजगार रजिस्टर पर 31-12-1972 को 22808 इंजीनियरिंग डिग्रीधारियों में से समस्त क्षेत्र में लगभग 5000 लोग ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में थे। आशा है कि विभिन्न कार्यक्रमों जिन्हें 1973-74 के उत्तरार्ध में काफी गति मिली के कार्यान्वयन से इस स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा। इस सम्बन्ध में यह बतलाना उचित होगा कि इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त रोजगार खोजनेवालों की संख्या में दिसम्बर 1971 से दिसम्बर 1972 के बीच 19.73 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई किन्तु दिसम्बर 1972 से दिसम्बर 1973 की अवधि में उनकी संख्या में केवल 1.73 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में दिसम्बर 1971 से दिसम्बर 1972 तक सभी श्रेणियों के रोजगारों तलाश करने वालों की संख्या में 35.20 प्रतिशत वृद्धी हुई जो दिसम्बर, 1972 से दिसम्बर 1973 की अवधि में घट कर 19.19 प्रतिशत ही रह गई। जहां तक इंजीनियरों में डिप्लोमा प्राप्त और डाक्टर का प्रश्न है, नाम पंजीकृत कराने वालों की संख्या संख्या में वृद्धि की दर का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	अवधि	इंजीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त	डाक्टर
1	दिसम्बर 1971 के अंत से दिसम्बर 1972 के अंत तक	10.69	32.98
2	दिसम्बर 1972 से दिसम्बर 1973 तक . .	6.98	16.21

यह ध्यान रखा जाए कि जैसा ऊपर बताया गया है 1973 के आंकडे अनन्तिम हैं ।

डाक्टरों का मामला बेरोजगारी का न हो कर गलत वितरण का है। ऐसा अनुमान है कि गांवों में जहां देश की 80 प्रतिशत जनता रहती है केवल 21.2 प्रतिशत काम कर रहे हैं जब कि शहरों में आबादी 20 प्रतिशत है और डाक्टर 78.8 प्रतिशत है। 30 सितम्बर 1972 तक देश में 5195 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे जिनमें से 2010 में केवल एक-एक डाक्टर था और 143 में तो एक डाक्टर भी नहीं था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों के 2296 स्थान रिक्त पड़े थे ।

पांचवीं योजना का एक प्रमुख उद्देश पुनर्वितरण तक विकास भी है। इस उद्देश्य को पूरा करने से संबंधित आर्थिक नीति का प्रमुख साधन है अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सर्जन करना। तदनुसार न केवल अधिक मात्रा में ही रोजगार उपलब्ध करने पर बल दिया गया है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसर सर्जित करने के प्रयासों पर भी बल दिया गया है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न श्रेणियों के लोगों को विविध योजना कार्यक्रमों, जैसे बड़े, मध्यम और लघू उद्योग, कृषि, भूमि संरक्षण, बड़ी सिंचाई और छोटी सिंचाई, कृषि सेवा केन्द्र, संचार, कमान क्षेत्र विकास, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, आदि के कार्यान्वयन के परिणाम-स्वरूप पर्याप्त रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है ।

इसके अतिरिक्त इंजीनियर तथा डाक्टरों और दूसरे लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से वित्तीय सहायता प्रदान कराके बड़े पैमाने पर स्वरोजगार अवसर सर्जित करने का भी प्रस्ताव है ।

जहां तक इंजीनियरों का प्रश्न है, पांचवीं योजना में परिकल्पित की गई 5.5 प्रतिशत वार्षिक की विकास दर के आधार पर 85,000 और इंजीनियरों की जरूरत पड़ेगी। पांचवीं योजना अवधि

में तैयार होनेवाले इंजीनियरों और पहले से बेकार इंजीनियरों की संख्या को देखते हुए पांचवी योजना अवधि में इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्या कोई गंभीर नहीं होगी। जहां तक डाक्टरों का प्रश्न है जसा उपर बताया जा चुका है, उनमें समस्या बेरोजगारी की नहीं है, बल्कि गलत वितरण की है। डाक्टरों में बेरोजगारी की समस्या चिन्तास्पद नहीं है।

Scheduled Caste and Scheduled Tribes Class I Officers Selected by U.P.S.C.

7108. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of Class I officers selected by the U.P.S.C. during the last three years; and

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of them, year-wise?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is available.

Selection to Posts of Wireless Operators in Delhi Police

7109. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a selection was made in December, 1973 for the posts of the wireless operators in Delhi Police;

(b) the number of candidates that appeared for the said posts and the number of persons selected; and

(c) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among the selected persons and the percentage of posts rereserved for them as also the reasons for not filling all the reserved posts?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c) A preliminary selection test (dictation and reading) for training of constables to work as Asst. Wireless Operators (Head constables) was held during the months of September, November and December, 1973. Out of 604 constables, who voluntarily took the test, 327 (including 33 belonging to Scheduled Castes/Tribes) qualified. Their names have been kept on the waiting list for training. Since no one has been appointed to any post, the question of reservation does not arise at this stage.

परमाणु खनिज डिवीजन, बिहार से लापता वैज्ञानिक

7110. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु खनिज डिवीजन, टूरमडी, ज्योलाजीकल कैम्प, बिहार से सम्बद्ध एक परमाणु वैज्ञानिक अक्तुबर, 1973 से लापता है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है और यदि हाँ, तो जाँच का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ। परमाणु खनिज प्रभाग के वैज्ञानिक अधिकारी श्री स्वप्न कुमार सरकार जो बिहार में टाटा नगर के समीप तुरमंडी भूवैज्ञानिक समन्वेषण कैम्प में तैनात थे, यह सूचित करके कि उन्हें कुछ "घरेलू कठिनाइयों" के कारण तुरन्त अपने घर जाना है, 24 अक्तूबर, 1973 का आकस्मिक अवकाश लेकर चले गए थे। उसके बाद वे लौटकर ड्यूटी पर नहीं आये।

(ख) यह सूचना मिलने पर कि श्री सरकार कुमारधूबी स्थित अपने घर पर नहीं पहुंचे हैं, इस बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था तथा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

औद्योगिक विकास

7111. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या पांचवीं योजना के औद्योगिक विकास सम्बन्धी प्रस्तावों को वर्ष 1974 के दौरान आरम्भ किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) वर्ष 1974–75 में योजना को आरम्भ किये जाने से औद्योगिक विकास को कितनी हानि होगी और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि कम से कम वर्ष 1975 के आरम्भ में योजना आरम्भ कर दी जाये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) पाँचवीं योजना प्रलेख प्रारूप में सम्मिलित इस मंत्रालय की प्लान योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रारम्भ किया जा चुका है । संसद में 1974–75 के प्लान बजट की आवश्यकताएं प्रस्तुत कर दी गई है तथा अप्रैल से मई 1974 तक के व्यय की स्वीकृती भी दे दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में टेलीफोनों का स्थानान्तरण

7112. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में दिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीफोन स्थानांतरित करने के लिए कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए;

(ख) आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से विभाग को टेलीफोन स्थानान्तरित करने में औसतन कितना समय लगा; और

(ग) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं कि उक्त स्थानान्तरण करने में असाधारण विलम्ब होता है और उक्त कार्य को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 9352 ।

(ख) तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होनेपर टेलीफोनों की शिफ्टिंग में औसतन करीब एक सप्ताह का समय लगता है ।

(ग) जी हां, एक्सचेंज क्षमता या जमींदाज केबुल पेयर उपलब्ध न होने की वजह से टेलिफोन की शिफ्टिंग के करीब 980 मामले अनिर्णीत पड हैं । अतिरिक्त उपस्कर की व्यवस्था कर के या इलाके को दूसरे एक्सचेंज के कार्यक्षेत्र में शामिल कर के अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । जिन इलाकों में तकनिकी दृष्टि से टेलीफोनों की व्यवस्था करना संभव नहीं होता वहां केबुल लाइनों की स्थिति का समय-समय पर पूनरीक्षण किया जा रहा है, और केबुल सुलभ हो जाने पर वहां अतिरिक्त जमींदाज केबुलों की व्यवस्था करने के प्रयत्न किए जा रहे है ।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सैल

7113. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **योजना** मंत्री पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सैल बनाने के बारे में 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सैल द्वारा अब तक किये गये कार्य का सारांश क्या है;

(ख) क्या सैल की विभिन्न गतिविधियों के मामले में संसद में पहाड़ी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस सैल द्वारा आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यद्यपि पहाड़ी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए संचालनात्मक योजना तैयार करना मुख्यत: संबंधित राज्यों का उत्तरदायित्व है, पहाड़ी क्षेत्रों के सैलों का उत्तरदायित्व राज्यों को इन योजनाओं को तैयार करने तथा उनकी जांच में ठीक प्रकार से सहायता प्रदान करने का है।

योजना आयोग के अनुरोध पर असम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपने पहाड़ी जिलों के लिए उप-योजनाएं तयार कर ली है। तमिल नाडू सरकार को पहले ही नीलगीरी जिले के लिए उप-योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक निदेश समिति का गठन किया गया है जिसने विभिन्न अभियान दलों/कार्यकारी दलों का गठन किया है तथा बहुत से क्षेत्रीय सर्वेक्षण आरम्भ किए हैं। पश्चिमी घाटों के क्षेत्र का पता लगाने के प्रश्न तथा भविष्य की कार्यवाही की रूपरेखा पर विचार करने के लिए संबंधित मुख्य मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों का जो मुख्यत: संचालनात्मक योजनाएं तैयार करने के उत्तरदायी हैं, योजना को तैयार करते समय जन-प्रतिनिधियों से परामश करने की सलाह दी गई है। सैल को यह भी सलाह दी गई है कि जब कभी भी आवश्यक हो, जन-प्रतिनिधियों से परामर्श करें।

(ग) पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के संबंध में सामान्य नीति तथा दृष्टिकोण पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारूप, जो सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है, के अध्याय 14 में बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों का सैल, राज्य सरकारों को अपने पहाड़ी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए तथा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना जारी रखगा।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सीमेन्ट कारखाने

7114. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर सीमेंट कारखानों की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6729/74]**

हिमाचल प्रदेश में वायरलैस टेलिग्राफ सर्किट

7115. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1974-75 में हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वायरलेस टेलीग्राफ सर्किट लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर उक्त सर्किट लगाने के लिए विचार किया जा रहा है; और

(ग) उक्त सर्किट कब तक लगाये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां। हिमाचल प्रदेश में वहां की राज्य सरकार द्वारा किराए और गारंटी की शर्तें मंजूर करने पर वायरलैस टेलीग्राफ स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इसके लिए विचाराधीन स्थानों के नाम इस प्रकार हैं :—

कुलू, मालीकरन, सांराहन, चंबा, कोहर, नाहन, सिल्लई, मंडी, जानझेली, बिलासपुर, भारोली-कला हमीरपुर, जंगलबरी, धर्मशाला, बारोत, कोलांग, उदयपुर, टांडी, कोकसार, बट्टल, कल्पों, सांगला, नीचर, मरांग, समदो ।

(ग) इस काम का पूरा होना उपस्कर के उपलब्ध होने और राज्य सरकार द्वारा इमारतें तैयार कराने पर निर्भर करेगा। भारत इलैक्ट्रोनिक्स से उपस्कर मंगाना पड़ेगा जिसके लिए परियोजना के तख-मीने मंजूर हो जाने के बाद आर्डर दे दिए जाएंगे। इस काम की ये दो मदें पूरी होने की अनुमानित तारीखें मालूम होने के बाद ही लक्ष्य पूरा करने की तारीख निश्चित की जाती सकती है ।

हिमाचल प्रदेश में एस० ए० एक्स० टेलीफोन केन्द्रों के लिए स्वीकृति

7116. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1973–74 के दौरान कितने एस० ए० एक्स० टेलीफोन केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई थी तथा उनके नाम क्या हैं और उनको स्वीकृति कब दी गई थी;

(ख) क्या ऐसे कुछ और भी टेलीफोन केन्द्र हैं जिनकी हिमाचल प्रदेश में स्थापना का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे टेलीफोन केन्द्रों के नाम क्या हैं तथा इनकी स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) वर्ष 1973–74 के दौरान हिमाचल प्रदेश में नीचे लिखे तीन छोटे आटोमेटिक एक्सचेंजों को मंजूरी दी गई थी ।

एक्सचेंज का नाम	मंजूरी की तारीख
(1) भवरना . .	8-5-73
(2) सावरा	19-2-74
(3) चिंतपूर्णी . . .	27-3-74

(ख) जी, हां ।

(ग) हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर छोटे आटोमटिक एक्सचेंज खोलने और उनका विस्तार करने के प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि ये प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से लाभकर पाए गए तो अगले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर इन्हें मंजूर किए जाने की संभावना है ।

1. कियारो
2. टिक्कर
3. चौतरा
4. गोहार
5. मटियाना
6. बरोतीवाला
7. बरोट
8. इन्दोरा
9. जेवरो
10. चोपाल
11. डुलेहर
12. रावला कियार
13. देहा
14. नागाधार
15. गौरा
16. कोटखई
17. कुमारसेन

मंडी और धर्मशाला में टेलीफोन केन्द्रों को स्वचालित बनाना

7117. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडी और धर्मशाला में टेलीफोन केन्द्रों को स्वचालित बनाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इनको स्वचालित करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मंडी में वर्ष 1974–75 में एक आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कार्यक्रम है, मगर एक उपयुक्त इमारत न मिलने के कारण इसकी स्थापना में विलंब होने की संभावना है। धर्मशाला में सन् 1976 में एक आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

Capital investment in industrial units of Backward Areas

7118. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of industrial units set up in the backward areas of various States during the last two years for their industrial development; and

(b) the capital investment and outlines of each of those units?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) and (b) Two statements are attached. [*Placed in Library. See L.T. No.* 6730/74.]

Machinery imported by NSIC from Japan

7119. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the value of machinery imported by the National Small Industries Corporation from Japan and other countries during the last three years; and

(b) the number of machineries given to various industries and of those which are lying idle and the total value thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a)

(Rs. in lakhs)

Year	From Japan	Other countries	Total
1971-72 .	60.12	619.43	779.55
1972-73 .	40	679.11	769.51
1973-74 .	55.18	287.16	342.34
(Upto Feb. '74)	———	———	———
TOTAL	205.70	1685.70	1891.40

(b) The number of machines supplied in various industries are as under:

1. Engg. (Mech) Elec. & Metal Surgical	6755
2. Chemical	463
3. Plastic Rubber & Leather Based	933
4. Printing Stationery & Paper Products	1318
5. Textiles Wearing Apparels	457
6. Food Products	328
7. Timber based	1192
8. Others	1248
TOTAL	12694

Out of the total number of machines supplied, 111 machines valued at Rs. 37.32 lakhs are lying idle.

Closure of industries for want of Raw Material

7120. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of big and small industrial (licensed) units that stopped functioning for want of raw materials during last three years; and

(b) the steps taken by Government to ensure timely delivery of raw material to them?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) and (b) As the closure of industrial units could be due to several factors, it is difficult to identify precisely the units that have been closed down due to raw-material shortage alone. However, Government have been endeavouring to improve the supplies of raw materials to industries by adopting measures like import of scarce raw materials wherever required and justified and by taking advance action for import of raw materials on long term basis etc.

Industrial Production

7121. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the percentage of increase in the national industrial production estimated and achieved during 1973-74; and

(b) the percentage of increase estimated and actually achieved during 1972-73?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri M. B. Rana): (a) and (b) The official index of industrial production (base 1960=100) recorded a growth rate of 5.3 per cent during the financial year 1972-73 over 1971-72; the latest available data for the first seven months of the year 1973-74 (April-October) indicated a marginal decline of 0.9 per cent as against a growth rate of 7.2 per cent recorded during the corresponding seven months of the previous year, 1972-73.

जम्मू तथा कश्मीर में कागज तथा लुगदी परियोजना

7122. **श्री सैयद अहमद आगा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू तथा काश्मीर में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कागज तथा लुगदी की एक परियोजना स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'ब्रोड बैन्ड माइक्रो-वेव' व्यवस्था

7123. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अधिक विश्वासनीय ट्रंक टेलीफोन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पांचवीं योजना के अन्तर्गत 'ब्रोड बड माइक्रोवेव' व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रस्तावित कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना के दौरान ब्रोड बैंड माईक्रोवेव व्यवस्था द्वारा कितने किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । 5 वीं पंचवर्षीय योजना में रेडियो रिले और कोएक्सिएल केबुल साधनों का उपयोग कर ट्रंक टेलीफोन का एक जाल तयार करने का डाक तार विभाग का प्रस्ताव है । आधार भूत मार्गों के तौर पर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास

के महानगरों के बीच चौड़ी पट्टी को माईक्रोवेव प्रणालियों के जरिए आपस में संचार सम्पर्क स्थापित करने की योजना है। जब इस प्राजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा तो दिल्ली-कलकत्ता, दिल्ली-बम्बई, कलकत्ता-बम्बई और बम्बई-मद्रास और मार्ग में आने वाले महत्वपूर्ण शहरों के बीच परस्पर संचार सम्बन्ध स्थापित हो जाएगा। दूसरे राज्यों की विभिन्न राजधानियों और महत्वपूर्ण शहरों के बीच परस्पर संचार सम्पक के लिए अतिरिक्त माइक्रोवेव प्रणालिया स्थापित करने की भी योजना है। 5वीं योजना के अन्त तक चौड़ा और संकरी दोनों प्रकार की रेडियो रिले प्रणालियों को संभावित मार्ग लम्बाई 20,000 रूट किलोमीटर हो जाएंगी।

योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा समय से पूर्व सेवा निवृत्ति की मांग

7125. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने समय से पूर्व सेवा-निवृत्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों ने तथा उनके पदनाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग के केवल एक वरिष्ठ अधिकारी डा० के० एस० गिल, सलाहकार ने व्यक्तिगत कारणों से समय से पूर्व सेवा निवृत्त होने की मांग की है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध-निदेशक के विरुद्ध जांच

7126. श्री मधु दण्डवते : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 63 वें प्रतिवेदन के बावजूद राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के प्रबन्ध-निदेशक द्वारा की गई कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के अध्यक्ष श्री के० बी० राव की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो दुबारा जांच करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सौराष्ट्र (गुजरात) में कारखानों की स्थापना

7127. श्री वेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में कितने नए कारखाने स्थापित किए गए ;

(ख) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में कितने-कितने कारखाने स्थापित किए गए ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में कारखानों की अल्प संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार वहां नए कारखाने स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बेरोजगार इन्जीनियरों से आवेदन-पत्र

7128. श्री वेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान गुजरात राज्य में लघु उद्योग आरम्भ करने हेतु कुल कितने बेरोजगार इंजीनियरों ने आवेदनपत्र दिया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने मामलों को निपटाया गया है ;

(ग) कितने आवेदनपत्रों पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) लघु क्षेत्र में एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंन्सों की आवश्यकता नहीं होती है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात में टेलीफोन केन्द्र

7129. श्री वेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात परिमण्डल में जिलों सहित उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1973 के दौरान टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) इनमें से ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गए हैं ; और

(ग) शेष स्थानों में टेलीफोन केन्द्र कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गुजरात सर्किल के जिन स्थानों पर कैलेंडर वर्ष 1973 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज को मंजूरी दी गई है, उनके नामों की एक सूची (जिलों के नामों के साथ) विवरण में संलग्न है। यह विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) (1) काकोशी

(2) नेबेपुर

(3) सुपेडी

(4) वीजापदी

(ग) शेष स्थानों में अधिकतर टेलीफोन एक्सचेंजों के वर्ष 1974-75 में स्थापित हो जाने की संभावना है और बाकी एक्सचेंजों के बाद के वर्षों में स्थापित होने की संभावना है। यह एक्सचेंज उपस्कर के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम संख्या	एक्सचेंज का नाम	जिले का नाम
1	रुपल	मेहसाना
2	मेदा	मेहसाना
3	मुदेती	साबर कंठा
4	हरसोल	साबर कंठा
5	वाव	बनास कंठा
6	काकोशी	मेहसाना
7	सोखडा	बड़ौदा
8	खेरगाम	बुलसर
9	नबोपुट	भड़ोच
10	कोलको	राजकोट
11	गोमता	राजकोट
12	सुपेदी	राजकोट
13	उंतवाद	राजकोट
14	भाडला	राजकोट
15	बालवा	जूना गढ़
16	गढ़सोसा	कच्छ
17	भटिया	जामनगर
18	लाइजा	कच्छ
19	वेराड	जामनगर
20	डेडन	जूनागढ़
21	मोटा अंकाडिया	अमरेली
22	वीजापदो	अमरेली
23	उगामेदो	भावनगर
24	पानशोना	सुरेंद्रनगर
25	उमरासा	भावनगर
26	देतरोज	मेहसाना
27	वाव-सतलासाना	मेहसाना

गाजियाबाद में दूर संचार प्रशिक्षण स्कूल

7130. श्री वेकारिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गाजियाबाद में एक दूर संचार प्रशिक्षण स्कूल खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यू० एन० डी० पी० की सहायता से गाजियाबाद में एक उच्चस्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। यू० एन० डी० पी० के आर्थिक अंशदान से विदेशी विशेषज्ञों के वेतन और आयात किए जाने वाले उपस्कर का व्यय वहन किया जाएगा और भारत सरकार के अंशदान से इस प्रोजेक्ट के लिए अन्य कर्मचारियों, स्वदेशी उपस्कर, जमीन और इमारत का खर्च उठाया जाएगा। यू० एन० डी० पी० के अंशदान की रकम 11 लाख 24 हजार अमेरीकी डालर होगी और भारत सरकार के अंशदान की रकम 1 करोड़ 28 लाख 80 हजार रुपये होगी।

कूच-बिहार पश्चिम बंगाल में रेडियो स्टेशन

7131. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8089 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कूच-बिहार में रेडियो स्टेशन स्थापित करने में कहां तक प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : तकनीकी दृष्टिकोणों से यह पता लगा है कि कूच-बिहार में एक अलग रेडियो स्टेशन स्थापित करने की बजाये, सिलीगुडी ट्रांसमिटर की शक्ति में वृद्धि करना बेहतर होगा। इससे न केवल कूच-बिहार वरन् उत्तर बंगाल के अन्य भागों में भी प्रसारणव्याप्ति में सुधार होगा। इस आशय का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

स्वचलित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना का मापदण्ड

7132. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (1) योजना आर्थिक दृष्टिसे लाभकर होनी चाहिये।

(2) देहाती इलाकों में आमतौर पर 25 या 50 लाइनों की क्षमता के नये आटोमेटिक एक्सचेंज खोले जाते हैं।

(3) इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों और राष्ट्रिय डायलिंग जाल में शामिल किये गये स्थानों में मंझोली साइज के आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने की योजनाएं बनाई जाती है।

(4) 1000 लाइनो के या इससे अधिक क्षमता वाले मैनूअल एक्सचेंजों को जगह आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की भी योजनाएं बनाई जाती है।

(5) जिन शहरों में पहले से ही आटोमेटिक एक्सचेंज होते हैं वहां जब अतिरिक्त एक्सचेंज लगाने की जरुरत पड़ती है तो उन जगहों पर भी आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित किए जाते है।

टेलीफोन कनेक्शनों की मांग

7133. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **संचार** मंत्री टेलीफोन के लिये प्रतीक्षा सूची के बारे में 6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1973 तक देश भर में उपभोक्ताओ को कुल कितने टेली फोन दिये गये है ;

(ख) पांचवी चपंवर्षीय योजना के अन्त तक टेलीफोन के लिये आवेदनपत्र देनेवाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है ; और

(ग) टेलीफोन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 31 दिसम्बर, 1973 को पूरे देश में काम कर रहे टेलीफोन कनेक्शनो की संख्या करीब 12 लाख थी।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन कनेक्शन के लिए नये आवेदकों की अनुमानित संख्या करीब 6.8 लाख हैं।

(ग) दूरसंचार संबंधी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 7.79 लाख नई टेलीफोन लाईने देने की व्यवस्था की गई हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

7134. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री) की स्थापना में कितनी प्रगति हुई हैं,

(ख) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) प्रतिदर्शों के संग्रह तथा प्रदर्शनीय वस्तुओ की तैयारी का कार्य चल रहा हैं। दो संग्रहालय अध्यक्षों तथा कुछ सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी हैं। संग्रहालय के अस्थायी आवास के लिए नई दिल्ली में एक मकान किराए पर लिया गया हैं। संग्रहालय की स्थापना के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई हैं।

(ख) यद्यपि कोई नियत तारीख तो नहीं बताई जा सकती, तथापि, प्रतिदर्शो तथा प्रदर्शनीय वस्तुओ के सही रूप में व्यवस्थित होते ही अस्थाई संग्रहालय की जनता के लिए खोल देने का विचार हैं।

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और अन्ना द्रमुक द्वारा पेश किए गए ज्ञापन में उल्लिखित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

7135. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्ना द्रमुक द्वारा राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को पेश किये गये ज्ञापनमें उल्लिखित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पड़ताल इस समय किस स्थिति में हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): सर्वश्री एम० जी० रामचन्द्रन तथा एम० कल्याण सुन्दरमण द्वारा राष्ट्रपति को क्रमश: दिनांक 6 तथा 7 नवम्बर, 1972 को दो अलग-अलग ज्ञापन पेश किए गए, जिनमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों के विरूद्ध कतिपय आरोप लगाए गये थे।

इन ज्ञापनों में उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री की टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं। इसके बाद, मुख्य मंत्री द्वारा दी गई टिप्पणियों के सम्बन्ध में सर्वश्री रामचन्द्रन् तथा कल्याण सुन्दरम ने प्रत्युत्तर पेश किए। श्री कल्याणसुन्दरम् ने एक टिप्पणी भी पेश की थी, जिसमें कुछ अन्य आरोप लगाए गए थें। प्रत्युत्तरों में उठाएं गए प्रश्नों (पाइन्टों) तथा श्री कल्याण सुन्दरम् की अगली टिप्पणी में सन्निहित आरोपो के संबंध में मुख्य मंत्री की टिप्पणियां भी प्राप्त की गई थीं और मामले की जांच-पड़ताल की गई थी। इस संबंध में यह आवश्यक समझा गया कि मुख्य मंत्री से कुछ और स्पष्टीकरण मांगे जायें। ये स्पष्टीकरण भी अब प्राप्त हो गए हैं और मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही हैं।

बिहार के विभिन्न स्थानों पर डाक तथा तार औषधालयों की स्थापना

7136. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित डाक-तार औषधालय के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर, रांची, गया, धनबाद दरभंगा और छपरा में डाक तथा तार औषधालय स्थापित किए जाएंगे और यदि हां, तो उक्त औषधालय स्थापित किए जाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इन स्थानों पर डाक तथा तार औषधालय स्थापित किये जाने में क्या कठिनाइयां हैं तथा यह औषधालय सम्भवतः कब तक चालू हो जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) इन स्थानों पर डाक-तार चिकित्सालय खोलने के लिए अभी हाल ही में मंजूरियां दी गई हैं । पटना के पोस्ट-मास्टर जनरल ये चिकित्सालय यथाशीघ्र खोलने के लिए आगे कार्रवाई करेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली हवाई अड्डे पर वातानुकूलन संयंत्रों के अचानक बन्द कर दिए जाने का समाचार

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मैं पूर्ति और पुनर्वास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"दिल्ली हवाई अड्डे पर वातानुकूलन संयंत्रों का संचालन करने वाली गैर–सहकारी फर्म द्वारा, सरकार द्वारा उसे देय राशियों का भुगतान न किये जाने के कारण इन संयंत्रों के अचानक बन्द कर दिये जाने के समाचार"

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : 30–9–1970 को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा मैसर्स फ्रिक इण्डिया लि० को दिल्ली हवाई अड्डे पर चरण–1 (Phase-I) (न्यू एण्टरनेशनल अराइवल विंग) के लिए एक वातानुकूलित प्लांट को लगाने और सप्लाई करने का ठेका दिया गया था; जिसकी कुल लागत लगभग 6.39 लाख रुपये थी । इसके अनुसरण में दि० 4–1–1971 को चरण–2 (इण्टरनेशनल बुकिंग हाल, डोमेस्टिक अराइवल लाउन्स आदि) के लिए उसी फर्म को एक दूसरा ठेका दिया गया था । इस दूसरे ठेके का मूल्य लगभग 14.56 लाख रुपये था ।

2. अप्रैल, 1971 में प्लाट का पहला चरण और जून, 1972 में प्लांट का दूसरा चरण लगाया गया था । परेषिती (कान्साइनी) (केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग) ने दोनों प्लांटों के कार्यकरण में कई त्रुटियां पाई । प्लांटों को अन्तिम रूप में संभालने से पहले कई परीक्षण करने के लिए 28-10-1972 को एक तदर्थ निरीक्षण दल का गठन किया गया था जिसमे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल थे । निरीक्षण दल की स्थापना के संबंध में फर्म की भी सहमति प्राप्त की गई थी ।

3. निरीक्षण दल ने जून, 1973 में प्लांटों का ग्रीष्म परीक्षण किया था और इसके बाद सितम्बर, 1973 में मानसून परीक्षण किया था । मानसून परीक्षण करने से पहले फर्म को ग्रीष्म परीक्षण में पाई गई त्रुटियों को दूर करने के लिए कहा गया था किन्तु फर्म ने कई

[श्री आर० के० खाडिलकर]

त्रुटियों को दूर करने में ध्यान नहीं दिया। प्लांटों की क्षमता चरण–1 तथा चरण–2 दोनों के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं से कम पाई गई; विशेष रुप से, द्रुतशीतन (जल्दी ठण्डा करने वाले) यूनिटों का औसत उत्पादन विशिष्टियों से बहुत कम था। निरीक्षण दल की रिपोर्ट से प्लांटों में निहित कई त्रुटियों का भी पता लगा। उचित मूल्य कटौती सहित प्लांट को स्वीकार करने की सम्भावना को मालूम करने के विचार से नवम्बर, 1973, जनवरी और मार्च, 1974 में अन्तर विभागीय विचार विमर्श हुए किन्तु वे अनिश्चायक थे।

4. निरीक्षक दल की रिपोर्ट की प्राप्ति तथा उस पर आगामी कार्यवाही के लम्बित रहने तक, हवाई पत्तन प्राधिकरण ने 7–4–1973 से केवल एक साल के लिए उसी फर्म को 2.50 लाख रुपये की लागत पर प्लांटों की देख–रेख और प्रचालन का कार्य सौंपा। इस ठेके का आगे नवीकरण नहीं किया गया है। इसी बीच में हवाई पत्तन प्राधिकरण ने जनता को असुविधा से बचने के लिए कुछ अस्थाई प्रबन्ध किए हैं।

5. दोनों ठेकों के लिए लगभग 20.95 लाख रुपये के कुछ मूल्य में से फर्म को लगभग 15.71 लाख रुपये की धनराशि दी जा चुकी है और लगभग 5.24 लाख रुपये की धनराशि शेष है। प्लांटों की स्वीकार करने/अस्वीकार करने के बारे में अन्तिम निर्णय के लम्बित रहने तक, फर्म के दूसरे बिलों में से लगभग 1.41 लाख रुपये की धनराशि की और अदायगी को भी रोक दिया गया है।

6. जो कुछ मैंने उपर कहा है; उसे ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि निरीक्षण दर की रिपोर्ट के अनुसार प्लांट अभी विशिष्टियों के अनुरुप नहीं है। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए हवाई पत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध समय के अन्तर्गत यह प्राधिकरण सभी सम्भव उपायों को अपना रहा है कि यात्रियों को हवाई पत्तन क्षेत्रों में न्यूनतम सुविधाओं से वंचित न किया जाए। ठेके की शर्तों के अनुसार दोषी फर्म के विरुद्ध आगामी उचित कार्यवाही का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : हमारी राजधानी में अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डे पर वातानुकूलन संयंत्र के अचानक बंद होने से देश की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है। मेरे विचार से मंत्री महोदय को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा पूरे तथ्यों से आवगत नहीं कराया गया। यह मामला लालफीता शाही, असावधानी और समन्वय हीनता का ज्वलंत उदाहरण है।

वक्तव्य के अनुसार कुछ त्रुटियों का पता चला था किन्तु वक्तव्य में उस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि क्या अधिकारियों ने उक्त फर्म से उन त्रुटियों को दूर करने के लिये कहा था अथवा नहीं। जब वातानुकूलन संयंत्र को संतोषजनक नहीं पाया गया था तो उक्त फर्म को सरकार ने तीन वर्ष के लिये ठेका क्यों दिया? यदि संयंत्र में कोई त्रुति थी तो प्रति और निपटान महानिदेशालय अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उक्त फर्म के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? वक्तव्य में यह भी नहीं बताया गया कि उक्त फर्म को भेजे गये पत्र में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया था।

क्या यह सच है कि यही फर्म दो या तीन वर्ष से यह संयंत्र चला रही है? क्या त्रुटियां पाई गई तथा रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बातें क्या है? रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई है अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह सच है कि उक्त फर्म ने हवाई अड्डे के अधिकारियों तथा नागर विमानन मंत्री को उस आशय के पत्र लिखे थे कि ठेके की अवधि 5 या 7 अप्रैल को समाप्त हो रही है तथा यदि कोई आदेश न मिला तो संयंत्र को चालू रखना असम्भव है? किन्तु फर्म को कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य की बहुत सी बातों के उत्तर वक्तव्य में निहित हैं। त्रुटियों का पता लगाने पर गत वर्ष विशेष निरीक्षण दल नियुक्त किये गये थे। फर्म की सलाह से संयुक्त दल नियुक्त किये गये थे। इन सभी रिपोर्टों में...

श्री प्रसन्नभाई मेहता : इन्हें सभा पटल पर रखा जाये या इन्हें लोक लेखा समिति को सौंपा जायें।

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक त्रुटियों का सम्बन्ध है कांप्रेसर की गति 900 अथवा 960 आर० पी० एम० न होकर 400 आर० पी० एम० थी। कम्प्रेसर का कार्य भी संतोषजनक नहीं है तथा ट्यूबों का चिलर साइज भी होता है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : इन दोषों का पता कब लगा था ?

श्री आर० के० खाडिलकर : संयंत्र चालू होने के बाद जैसे अधिकारियों को कुछ त्रुटियों का पता चला तो दो दल नियुक्त कर दिये गये तथा उनके प्रतिवेदन प्राप्त कर लिये गये। वातानुकूलन संयंत्रों के रखरखाव के लिये पृथक रुप से ठेका दिया जाता है। इस कार्य का ठेका उसी फर्म को एक वर्ष बाद दिया गया। किन्तु इस ठेके का नवीकरण नहीं किया गया। अधिकारियों ने अनेकबार फर्म का ध्यान कई त्रुटियों की ओर दिलाया किन्तु फर्म ने उन्हें ठीक करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। इसी लिये यही निर्णय किया गया कि फिलहाल उक्त ठेके का नवीकरण न किया जाय।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है सही आवश्यक पूर्वोपाय किये जाने के बाद ही ठेका दिया गया था।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या ठेके में कोई ऐसी शर्त थी कि यदि संयंत्र को उपयुक्त नहीं पाया गया तो कोई जुर्माना किया जा सकता है या उसे रद्द किया जा सकता है और यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : पूर्णरूप से रद्द किये जाने की नोटिस देने से पूर्व बहुत सी तकनीकी बातों पर विचार करना पड़ता है। यह कोई मामूली काम नहीं है। उस विषय पर एयरपोर्ट अथारिटी विचार कर रही है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : फर्म द्वारा मंत्री महोदय तथा हवाई अड्डा प्राधिकरण को लिखे गये पत्र के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : अभी तक संयंत्र के रखरखाव के ठेकों को नवीकृत नहीं किया गया। वास्तव में सम्पूर्ण संयंत्र ही विशिष्ट विवरण के अनुरुप नहीं है। अतः उनको पुनः ठेका नहीं दिया गया।

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : Sir, it is a serious matter and should have been referred to C.B.I. It is quite strange that this firm was given all kinds of concessions in 1970 and in 1971. If certain defects were detected in the plant the Government should have given a notice to the firm in black and white. But no instructions were issued to the firm after the expiry of period of the contract. It was the duty of the Government to convey their intention regarding the renewal or the rejection of the contract. I personally feel that there might be some secret bargaining between the officers and the firm during that period. It has been mentioned in the Report that the firm is insisting upon the take over of the plant. May I know the value of the said plant? May I also know the step being taken in this regard so that nation is not caused any loss?

श्री आर० के० खाडिलकर : जसा कि मैंने कहा है चुंकि रखरखाव के लिये ठेका नवीकृत नहीं किया गया अत: कई विकल्पों पर विचार किया गया है। ठेके के अन्तर्गत यह शर्त है कि यदि ठेक की सभी शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो सरकार को कोई निर्णय लेने का अधिकार है।

Shri M. C. Daga (Pali): Sir, the Government servants have exploited the administration. The Hon. Minister should not rely upon them wholly. A Contract worth Rs. 21 lakhs was given to this firm in 1970 and Rs. 15 lakhs were paid to the firm. What was the necessity of paying Rs. 2.50 lakhs to this firm for the operation and maintenance of the plant when the whole plant was purchased? Besides if the plant was defective why was a notice not served on the firm during the period between 6th April, 1973 and 6th April 1974? May I know whether the plant was in operation during this period? Is it not a fact that some officers were sent to Faridabad factory to examine the plant and they issued a certificate to the effect that the machine had been approved according to the specifications? Who were the consigner and the consignee of the plant after this that was not issued? When the Plant was carried to the Airport the engineer of C. P. W. D. rejected the Plant. At that stage Government must have refused to take this plant. May I also know as to when the enquiry was instituted and what recommendations were made by the high power committee consisting of Shri Malkani, Shri Mundla and Shri Thadani? Was any notice served to the firm by the Government?

दिनांक 6 अप्रैल, 1974 के पत्र में हवाई अड्डा प्राधिकरण से फर्म ने यह पूछा था कि क्या इस वर्ष हमारा संयंत्र कार्य करेगा या नहीं। क्या उस पत्र पर कोई कार्यवाही की गई?

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न करिये तथा शीघ्र ही अपनी बात समाप्त कीजिये।

Shri M. C. Daga: May I know whether Assistant Director, Shri Thadani did not allow the other officers to establish the plant? After the purchase of the plant what was the period during which 80 percent of the amount was to be paid? What were the terms and conditions of the tender? When the Report was submitted? There are the questions to which the hon. Minister should reply. I also suggest that a committee of the Members of the Parliament should be set up to enquire into this matter. Enquiring should also be conducted against Shri Thadani and the engineer.

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कही हैं। वह कोई प्रमाण दें। मुझे इन बातों की कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने जो भ्रामक आरोप लगाये हैं उनका मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं है उनकी मंत्री महोदय कृपया जांच करें।

Shri Mohinder Singh Gill (Ferozepore): The stopping of air conditioning plant at Palam Airport has damaged the image of our nation and the foreign passangers have to face inconvenience. I would like to suggest that this matter should be seriously inquired into and the persons and the officers found responsible should be punished.

श्री आर० के० खाडिलकर : इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। यदि कुछ तथ्य प्रस्तुत किये जाये तो इस बात की अवश्य जांच कराई जायेगी।

Shri Mohinder Singh Gill: Government should take over this plant for the time being.

श्री आर० के० खाडिलकर : प्रश्न यह है कि ठेका पुनः दिया जाये या पूर्णतया से रद्द कर दिया जाये।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

6 मार्च, 1974 के अतारान्कित प्रश्न संख्या 2093 का कथित गुमराह करने वाला उत्तर

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा कल उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अतारांकित प्रश्न संख्या 2093 के उत्तर में मैंने कहा था कि गुजरात उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन पारित किसी ऐसी अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया है जिसमें यह घोषणा की गई हो कि ऐसे आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मार दी जायगी। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारने का कोई आदेश राज्य सरकार अथवा पुलिस आयुक्त द्वारा जारी नहीं किया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने आरोप लगाया है कि मैंने जानबूझ कर सदन को गलत सूचना दी और इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। अपने विशेषाधिकार नोटिस में उन्होंने "कर्फ्यू का उल्लंघन करन वाले व्यक्तियों को गोली मारने का कोई आदेश राज्य सरकार अथवा पुलिस आयुक्त द्वारा जारी नहीं किया गया था" शब्दों को रेखांकित किया है और यह समझा गया कि उत्तर के इस भाग के लिये उन्होंने आपत्ति की है विशेषकर उन्होंने उत्तर के इस भाग को तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के उद्धरण जिसको उन्होंने रेखांकित किया है दोनों की तुलना करने की मांग की है इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जो उत्तर मैंने प्रस्तुत किया है वह गुजरात सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को देखते ही गोली मारने के कोई आदेश नहीं दिए गये थे।

13 मार्च को प्रश्न संख्या 2834 के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ मैंने इस प्रकार कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने घाषणा में निहित कार्यकारी को अवैध करार दिया है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारी जा सकती है। परन्तु कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारने का इह प्रकार का कोई आदेश पुलिस आयुक्त द्वारा जारी नहीं किया गया था।

सम्बद्ध तथ्य यह है कि पुलिस आयुक्त अहमदाबाद ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत 27 जनवरी, 1974 को अहमदाबाद, शहर की सीमा में कर्फ्यू लगाया था। इस आदेश में पुलिस की कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों कौ देखते ही गोली मारने का अधिकार नहीं था क्योंकि इस प्रकार का प्राधिकार कानून के विरुद्ध होता। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जारी किये गये आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय है। कर्फ्यु लाग् होने के बाद गुजरात सरकार के सूचना विभाग ने "महत्वपूर्ण घोषणा" के नाम से एक घोषणा की थी। इस घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ ये कहा गया था कि कर्फ्यू के समय के दौरान अपने घर से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार जाने की सम्भावना है। गुजरात उच्च न्यायालय का मत था कि महत्वपूर्ण घोषणा में निहित कार्यकारी निदेशों को जहां तक जनता के सदस्यों के लिए बनाये रखने का सम्बन्ध है, यह धमकी, कि कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन रने के लिए कर्फ्यू तोडने वाले किसी व्यक्ति को गोली मारी जा सकती है, विधि विरुद्ध है।

[श्री एफ० एच० मोहसिन]

जो सूचना मैंने 6 मार्च को अतारांकित प्रश्न संख्या 2093 के लिए दी थी वह वास्तव में सही है, क्योंकि राज्य सरकार अथवा पुलिस आयुक्त द्वारा कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालें को गोली मारने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। यह स्थिति बाद के उस उत्तर में भी विस्तार से स्पष्ट कर दी गई थी जब मैंने 13 मार्च को इसी विषय पर दिया था। अतः सदन को गुमराह करने के मेरे प्रयत्न का कोई सवाल गहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय ने उक्त उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य सरकार अथवा पुलिस कमिशनर ने कर्फ्यु का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियो पर गोली चलाये जाने का कोई आदेश नहीं दिया था। किन्तु गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि से स्पष्ट विदित होता है कि ऐसे आदेश जारी किय गये किन्तु इसके लिए कोई विधान नही बताया। गुजरात उच्च न्यायालय ने बताया है कि "प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि कफ्यू लगाने पर समाचारपत्रों और रेडिओ ने आवश्यक घोषणा के अन्तर्गत जनता के लिय यह घोषणा की कि कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को गोली मार दी जायगी ।

इसी प्रकार का एक अन्य गम्भीर मामला है। सरकार ने इस बात का भी खण्डन किया था कि बिहार में भी ऐसे आदेश जारी नहीं किये गये थे । किन्तु टाइम्स आफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार गया में जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने 13 अप्रैल को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाल व्यक्तियों को गोली मार दिये जाने के आदेश जारी किये थे ।

इन तथ्यों से मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में मंत्री महोदय ने विशेषाधिकार का हनन किया है तथा यह मामला विशेषाधिकार समिति को सोंपा जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The Hon. Minister has tried to contradict breach of privilege. But the arguments placed by him are not convincing.

In his original reply the Hon. Minister should have stated that no such orders were issued by the Police Commissioner and that the announcement made by the All India Radio. He should have stated that states Governments and the Government Agencies were being instructed not to issue and broadcast such executive orders. But all there points were mentioned in reply to the first question on the subjects. Certain points were made clear in reply to another question taken up after seven days and some of the points are added in reply to the privilege motion. May I know whether Goovernment are allowed to submit information in piecemeal? He should express regret first in this matter.

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय तथा आवश्यक घोषणा में भारी अन्तर है। इस प्रकार की घोषणा करने का आशय यह हो सकता है कि जनता घरों से बाहर न आये। इस बात की अभी जांच होनी है कि क्या वास्तव में कोई ऐसे आदेश जारी किये गये थे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मार दी जाए। अभीतक किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि इस प्रकार के आदेश जारी किये गये थे। जब मंत्री महोदय ने सभा में कहा है कि ऐसा कोई आदेश जारी नही किया गया तो मेरे विचार से जहां विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह तो अत्यन्त स्पष्ट है कि आकाशवाणी द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। उच्च न्यायालय ने बताया है कि महत्वपूर्ण घोषणा में कार्यकारी निदेश दिया गया था । क्या मंत्री महोदय पर विश्वास करना चाहेंगे कि एक कार्यकारी निदेश को आदेश के समान नहीं माना जा सकता । उच्च न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस प्रकार का कार्यकारी निदेश दिया गया था ।

प्रश्न उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में है। यह तो सुस्पष्ट है कि मंत्री महोदय दोनों प्रश्नों के दोनों उत्तरों में गुजरात सरकार द्वारा पास किये गये अविवेकी आदेश को छुपाने के आशय से सदन को धोखा दे रहे हैं।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मूल बात तो यह है कि पुलिस कमिशनर या गृह-सचिव जैसे कार्यकारी अधिकारी द्वारा ही ऐसा आदेश दिया जाना चाहिए। आकाशवाणी से घोषणा की गई थी कि अमुक आदेश जारी कर दिया गया है और इस लिये यह मान लिया गया कि यह आदेश जारी हो गया है।

आकाशवाणी द्वारा की गई घोषणा और वास्तविक आदेश में असंगति हो सकती है। परन्तु गृह मंत्री ने बताया है कि कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया अतः मंत्री महोदय द्वारा दिय गये उत्तर में कोई असंगति नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : गुजरात उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। इसमें इन बातों पर ध्यान दिया गया है जो वस्तुतः घटित नहीं हुई। अन्यथा वह ऐसा निर्णय नहीं देता। हो सकता है सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी न किया हो। किन्तु सरकार ने विश्व को ऐसा संकेत दिया है कि ऐसा होने जा रहा है और आकाशवाणी ने अपने अधिकार से स्वतंत्र रूप से ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। इसलिये आकाशवाणी द्वारा की गई घोषणा वास्तव में सरकार के आदेश के समान है। मंत्री महोदय को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए और सदन से क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री सेक्कियान (कुम्बकौणम) : प्रश्न संख्या 2093 में पूछा गया है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय की जांच करली है जिसमें कर्फ्यू आदेश जारी करने के साथ कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया जायेगा, को अवैध बताया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? उच्च न्यायालय ने बताया है कि हमारे मनम में ऐसी कोई शंका नहीं है कि कार्य-कारी निदेश ने जनता के मन में यह खतरा पैदा कर दिया है कि केवल कर्फ्यु का उल्लंघन करने मात्र से उसे गोली से उड़ा दिया जा सकता है।

निर्णय के आधार पर यह स्पष्ट है कि मंत्री महोदय ने सदन को धोखा दिया है। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : अकाशवाणी से सदव यही कहा जाता है कि पुलिस कमिशनर के निर्देश से यह महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही है। अतएव इस बात का प्रश्न ही नही उठता कि विशिष्ट आदेश जारी नही किया गया है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यदि यह घटना भल से हुई है तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। 10 मार्च, 1974 से 15 मार्च 1974 तक अहमदाबाद में प्रायः प्रतिदिन कर्फ्यू लगा रहा। उसके बारे में बार बार घोषणाएं तीन भाषाओं में की जाती रही। ऐसी सभी घोषणाओं को पुलिस अथवा सरकार की ओर से किया गया। 27 जनवरी को मुख्य मंत्रीने गुजराती में अपने प्रसारण में चेतावनी दी कि सेना को बुलाया जा रहा है। उन्होंने शान्ति की अपील नहीं की अपितु यह चुनौती दी कि यदि अमुक कानून का उल्लंघन किया गया तो देखते ही गोली मार दी जायगी। इस बारे में घोषण बार बार की गई। यदि यह सरकारी आदेश नहीं था तो आकाशवाणी द्वारा घोषण क्यों की गई। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाने के युक्त है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : उच्च न्यायालय ने काल्पनिक मामले पर निर्णय नहीं दिया है। शिकायत करने वाले तथ्य तथा आंकड़े पेश किये है तथा सरकार के विरुद्ध आरोप

[श्री समर गुह]

लगाया है । विशेषाधिकार के प्रश्न पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले शिकायतकर्ता द्वारा निकाल गये कागजातों को जिनमें आरोप है, प्राप्त किये जाने चाहिएं। गुजरात रेडियो को जारी किया गया विशिष्ट आदेश या अनुदेश के लिये भी कहा जाना चाहिए । तत्पश्चात् सरकार की ओर से समाचार पत्रों को भी सूचना भेजी गई है। हमें उस समाचार की एक प्रति मिलनी चाहिए कि उसे किसने भेजा था । इन तीनों चीजों के मिले बिना अध्यक्ष यह निर्णय नहीं निकाल सकते कि इससे विशेषाधिकार का उन्मूलन हुआ अथवा नहीं ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : हो सकता है आकाशवाणी से गलती हो गई हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति का दोष हो प्रश्न तो यह है कि क्या इसमें मंत्री महोदय का दोष है अथवा नहीं । सदस्यों के भाषणों से स्पष्ट है कि मंत्री महोदय ने गलती नहीं की है । वह निर्दोष है और सभा को उन्होंने सही बात बताई है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : सदस्यों को पता है कि आकाशवाणी की घोषणा ही याचिका का कारण बनी । याचिका ने यह दावा नहीं किया कि उक्त घोषणा पुलिस कमिश्नर अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा की गई थी । न तो याचिका में और न ही न्यायालय के निर्णय से इस बात का संकेत मिलता है। महा न्यायाधिवक्ता का मत है कि ये महत्वपूर्ण घोषणाएं कोई डरावा नहीं है अपितु य जनता की सुरक्षा के लिय जारी की जाती है

उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन किसी ऐसी अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया है जिसमें यह घोषणा की गई कि केवल कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वाले को गोली मारी जा सकती है ।

जैसा कि मैं गुजरात सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पहले भी कह चुका हूं **(व्यवधान)** । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू था ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बताया गया था । यह सच है कि 6-3-1974 को मैं निर्णय की समूची प्रति हमारे सामने नहीं था । यदि यहि 6-3-1974 को दिये गये मेरे उत्तर से कोई भ्रम पैदा हुआ हो गया था तो मुझे उसके लिये खेद है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें कोई भ्रम नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय ही भ्रम में हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न उठाया गया तथा उस पर चर्चा कर ली गयी है । यदि सभा मंत्री महोदय की अभिव्यक्ति से संतुष्ट है कि यदि कोई भ्रम पैदा हुआ, तो उन्हें इसके लिये खेद है, तो इस मामले को यहां समाप्त किया जा सकता है । किन्तु यदि सभा सन्तुष्ट नहीं ...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप के व्यवस्था के प्रश्न को बाद में सुनूंगा। पहले मुझे इसे पूरा करने दीजिये। यदि सभा की सन्तुष्टि नहीं हुई है, तो मुझे इसका अध्ययन करके सभा को बताना पड़ेगा ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : हमारी सन्तुष्टि हो गयी है । अब यह पर्याप्त है ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये । यह कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसका निर्णय सभा में बहुमत से किया जाता है ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे विचार करके अपने को संतुष्ट करना होता है **(व्यवधान)** यदि आप बोलना चाहते हैं, तो प्रत्येक सदस्य को बोलने दीजिए । सदस्यों को यह भी मालूम नहीं है कि उनका हित किस में है ।

अध्यक्ष पीठ सभा की सहमति से प्रत्येक काम कर सकता है । यदि सभा इसे समाप्त करने के लिये सहमत है, तो यह मामला समाप्त होता है ... **(व्यवधान)** 'नहीं' अथव 'हां' मत कहिये । यदि आप सभी निर्णय कर लेते हैं, तो यह मामला यहीं समाप्त किया जाता है और यदि आप 'नहीं' कहते हैं, तो इस मामले पर विचार करना होगा और फिर मुझे इस पर विचार भी करना होगा ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : इसकी आवश्यकता नहीं है ।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala): You may decide it yourself or it may be decided by the House. You are creating confusion.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : " ... उन सदस्यों से प्रार्थना करे जो अनुमति दिय जाने के पक्ष में हैं, कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायें और यदि तदनुसार कम से कम 25 सदस्य खड़े हो जाते हैं, तो अनुमति दे दी जाती है ।

अब आप के लिये यह अनिवार्य है कि आप मुझे सभा की अनुमति प्राप्त करने की अनुमति दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आप ने व्यवस्था का प्रश्न उठा लिया है । अब मुझे निर्णय देने दीजिये । और यह मामला उठाया गया है...

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह बहुत ही उचित बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने व्यक्तव्य दे दिया है और सदस्य भी अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं । अब तो यह देखना है कि यदि सभा इस से सहमत नहीं होती है, तो क्या मुझे यह देखना चाहिये कि उठायी गयी बात ठीक है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : यदि हार्दिक क्षमा याचना की जाय ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ... और खेद व्यक्त किया जाये, तो मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को अपील करूंगा कि वह इस मामले पर जोर न दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : किन्तु मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि उनका सभा को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उन से उन से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि देश में कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में देखते ही गोली मारने का आदेश नहीं दिया जायगा ।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा सभा को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था तथा जो कुछ हुआ है उसके लिये हम खेद है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) आदेश, 1974

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 150(ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 6717/74]**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवेक्षकों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम 1974, भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षकों (की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनिमय 1974, और भारतीय बन सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1974

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 309 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 310 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षकों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 311 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—6718/74]

सदस्यों की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBERS

सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेई और भारत सिंह चौहान ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एक घोषणा करनी है ।

मैंने पुलिस अधीक्षक, भोपाल से अध्यक्ष के नाम प्राप्त दिनांक 16 अप्रैल, 1974 के निम्न तौर की सभा को सूचना देनी है :—

"सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेई और भारतसिंह चौहान, सदस्य, लोक सभा, को पुलिस अधीक्षक भोपाल द्वारा जारी किए गए व्यवस्था संबंधी आदेशों के उल्लंघन में मध्य प्रदेश विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा

पुलिस अधिनियम की धारा 32 के अधीन 16 अप्रैल, 1974 को 14.5 बजे भोपाल में गिरफ्तार किया गया।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मुझे रिहा कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस सूचना कल प्राप्त हो जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् जी, आप को श्री वाजपेयी की गिरफ्तारी की सूचना तो मिली है, परन्तु आपको सदस्यों की रिहाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जेल में हैं अथवा जेल से भाग आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में श्री वाजपेयी ही कुछ बता सकते हैं।

अब श्री ज्योतिर्मय बसु लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

123 वां तथा 114 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) खादी ग्रामोद्योग आयोग के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 44 और 45 पर 123 वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 1962–72 के दौरान सीमा शुल्क के बारे में लोक लेखा समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा क्रियान्विति की समीक्षा के सम्बन्ध में समिति के 89 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 114 वां प्रतिवेदन।

बिहार और गुजरात की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SITUATION IN BIHAR AND GUJRAT

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 और 9 अप्रैल, 1974 को गया में कुछ छात्रों ने धरना, जलूसों, आदि का आयोजन किया था। 10 अप्रैल को छात्रों ने लगभग सभी सरकारी कार्यालयों के सामने धरना दिया और सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में जाने से रोका। धरने ने बैंकों और टेलीफून केन्द्र के चारों ओर अधिक गम्भीर रूप धारण किया और उस दिन टेलीफून केन्द्र और बैंकों में कोई काम काज नहीं हो सका। 10 अप्रैल, 1974 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/341/342 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अधीन 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 11 अप्रैल, 1974 को टेलीफून केन्द्र के चारों ओर धरना तीव्र हो गया था। जिला प्राधिकारियों ने धरना देने वालों को तितर-बितर करने और टेलीफून केन्द्र में काम को सामान्य बनाने का प्रयत्न किया किन्तु उनका प्रयत्न बेकार रहा। टेलीफून केन्द्र में काम करने वाले थोड़े से कर्मचारियों को भोजन भी नहीं पहुंचाया जा सका।

[श्री उमाशंकर दीक्षित]

12 अप्रैल को जब सब-डिवीजनल आफिसर (टेलीफून) टेलीफून केन्द्र गये और अन्दर जाने की कोशिश की तो बड़ी भीड़ ने, जो केन्द्र के सामने जमा हो गई थी, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। एस० डी० ओ० (टेलीफून) ने प्राधिकारियों से सहायता मांगी। सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट और पुलिस उप अधिक्षक भीड़ को हटाने के उद्देश्य से टेलीफून केन्द्र पर गये ताकि एस० डी० ओ० (टेलीफून) अपने कार्यालय में प्रवेश कर सके। प्रदर्शनकारी, जिन्होंने एस० डी० ओ० (टेलीफून) को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से रोका था, गिरफ्तार कर लिये गय। भीड़ हिंसा पर उतर आई और भारी पथराव करने लगी। हिंसक भीड़ को, जो आसपास की गलियों और उप गलियों में घुस गई थी, तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। भीड़ द्वारा भारी पथराव और सड़क के दोनों ओर के मकानों की छतों से बोतल और ईंटें फेंकने के कारण बड़ी संख्या में कांस्टेबल जख्मी हुएं। भीड़ पुनः सड़क पर आ गई और भारी पथराव शूरू कर दिया। शहर से पुलिस उप-अधीक्षक, टाऊन इन्सपैक्टर, बिहार सैनिक पुलिस के दो उप-निरीक्षकों तथा एक सूबेदार और 20 होमगार्डों समेत 48 पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए। पुलिस की एक गाड़ी को आग लगा दी गई। पथराव को नियंत्रित करने अथवा हिंसक भीड़, जिसके सार्वजनिक सम्पत्ति को गम्भीर क्षति पहुंचाने की सम्भावना थी, को तितर-बितर करने में लाठी चार्ज और अश्रूगैस का प्रयोग प्रभावहीन रहे, तो टेलीफून केन्द्र के निकट तीन स्थानों पर गोली चलानी पड़ी। दो स्थानों पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा और तीसरे स्थान पर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अब तक की गई प्रारम्भिक जांच से मालूम होता है कि आठ राउंड गोली चलाई गई। गोली चलने के परिणामस्वरूप दुर्भाग्यवश 8 व्यक्ति मारे गए और 10 व्यक्तियों को चोट आई।

2. मार्च, 1974 के तीसरे सप्ताह में बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की कुछ टुकड़ियां उनको उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गया में देखते ही गोली मारने का कोई आदेश नहीं दिया गया और सभी तीन बार गोली घटनास्थल पर उपस्थित मैजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन चली। राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा बिहार पुलिस नियमावली के सम्बद्ध नियमों के अधीन गोलीकाण्ड की जांच की जायेगी। जिला मंजिस्ट्रेट, गया ने गया में पुलिस गोलिकाण्ड में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को 1,000.00 रुपये और प्रत्येक जख्मी को 500.00 रुपये का अनुग्रहात भुगतान स्वीकृत किया है।

3. गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि बुलसर में कोई दंगे नहीं हुए थे। तथा पि 11 अप्रैल की रात्रि को दो सम्प्रदायों के सदस्यों के बीच झगड़े के परिणामस्वरूप कैरा जिले के बोरसद में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली चलाने से 5 की दुःखद मृत्यु हुई तथा 10 घायल व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल किया गया। 8, 9 तथा 10 अप्रैल को कैरा जिले के आनन्द और वल्लभ विद्यानगर के पास के कस्बे में हिंसा, लूट, आगजनी इत्यादी की घटनाएं हुई थी। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस के गोली चलाने के परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्थिति सामान्य है तथा इन सभी नगरों में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में हैं।

सरकार गया तथा गुजरात के अन्य स्थीति की इन घटनागों पर गहरा दुख प्रकट करती है तथा मारे गए व्यक्तियों के शोक-संतप्त परिवारों के लिए पूर्ण सहानुभूति प्रकट करती है।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक आशा करता हूं कि सदन के सभी वर्ग हिंसा त्यागने के लिये बिहार, गुजरात तथा अन्य स्थानों में छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों से मेरी हार्दिक अपील में मेरा साथ देंगे तथा शान्ति और सामजस्य कायम रखने तथा हमारे प्रजातांत्रिक समाज के मौलिक मूल्यों की मर्यादा बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेंगे ।

Shri Ishwar Chaudhary (Gaya) : On a point of order, Sir, Just now the Minister has said that he never speaks a lie. I challenge him. I had been to Gaya for the last three days. Moreover I belong to Gaya area. Two hundred rounds of bullets were fired and the announcement of 'shoot-at-sight' was made. The people there were tear gassed and lathi-charged and beaten brutely. The children and students were chased and beaten in the streets. There are still strains of blood in the streets there. The *holi* of blood was played on the 16th and on the night of 13th. . . (*Interruptions*).

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये । मैंने श्री ईश्वर चौधरी को बीच में ही रोक दिया है क्योंकि मेरा विचार यह नहीं है कि उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

मैं स्थिति के बारे में बता रहा हूं जैसा कि मैंने इसे समझा है। वह गृह मंत्री द्वारा बताये गये तथ्यों को गलत बता रहे हैं ।

अभी उसी दिन कार्य मंत्रणा समिति में इस बात के बारे में चर्चा की थी। मैंने कहा था कि नियमों के अनुसार वक्तव्य देने के पश्चात कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । हम सभी उससे सहमत हो गये थे । मेरे विचार में संसदीय कार्य मंत्री ने सभा को बताया था कि यदि आप यह महसूस करते हैं कि वक्तव्य के पश्चात चर्चा किये जाने की आवश्यकता है, तो हम चर्चा के लिये सहमत हो जायेंगे, किन्तु कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक के पश्चात ही यह चर्चा की जायेगी । इसलिए हमें इसे यहीं समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : माननीय मंत्री ने एकतरफा बात को कम किया है । इसे कल समाचारपत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा । दूसरे पक्ष की बात क्या है । यदि तथ्यों को तरोड़ा मरोड़ा गया है और सभा को गुमराह किया गया है, तो इसका उपचार क्या है ? क्या हमें इस बारे में चर्चा की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : ये आरोप निराधार हैं और इन्हें कार्यवाही वृतान्त में भी शामिल नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम कल इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री बाजपेयी ने कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल कर दिया जायेगा । मेरे विचार से सभी बातें चर्चा में आयेंगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपया यह भी सुनिश्चित करिये कि आकाशवाणी द्वारा भी मेरे कथनों का विवरण दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल कर लिया गया है । इन्हें "महत्व-पूर्ण घोषणा" शीर्षक भी देने दिया जाये । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य संतुष्ट नहीं हुए हैं। अतः उन्हें इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा । यह बात काफी होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने पुनः जो कुछ कहा है वह पूरी तरह झूठ के समान ही है । मैं "झूठ" शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि वे इससे नाराज़ हो जाते हैं । मैं उन्हें एक अवसर देना चाहता

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

हूं कि वह अपने वक्तव्य को सुधार लें। क्या यह सच है या नहीं कि गया के जिलाधीश ने समाचारपत्रों को यह बता कर इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था और इसलिए मंत्री महोदय को यहीं और अभी अपने वक्तव्य को सुधारना चाहिये। अन्यथा मैं एक विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

श्री विक्रम महाजन : क्या अब हम चर्चा करने जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न न पूछा जाये। मैं अब इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

चूंकि मैंने अपना निर्णय दे दिया है कि हम इस पर चर्चा करेंगे और हम 4.30 बजे म० प्र० पुनः मिलेंगे और इसके लिए समय निश्चित करेंगे, अब और किसी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

हिन्दुस्तान मोटर्स के एक तिहाई साम्य पूंजी शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जनरल मोटर कम्पनी को कथित अनुमति देना

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं सभा को इस समाचार के बारे में बताना चाहता हूं कि अमरीका की जनरल मोटर्स, जो एक प्रसिद्ध और बहु-राष्ट्रीय कम्पनी है, को हिन्दुस्तान मोटर्स के एक तिहाई शेयर दिये जाने की अनुमति दी जा रही है। इन इक्विटी शेयरों का मूल्य 6.58 करोड़ रुपये होगा। इससे यह कम्पनी जनरल मोटर्स में इक्विटी शेयर रखनेवाली सब से बड़ी कम्पनी हो जायेगी।

मैं इस मामले की ओर सरकार का ध्यान इस लिये दिलाना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना सरकार की औद्योगिक नीति सम्बन्धी सिद्धान्तों और मार्गदर्शक अनुदेशों और पूर्व परम्पराओं के बिलकुल विपरित है। सरकार का कहना है कि विदेशी कम्पनियों को इस देश में भारतीय कम्पनियों के साथ सहयोग करने की अनुमति दी जाती है, परन्तु उन्हें वर्तमान कम्पनियों के इक्विटी शेयर खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती जिस प्रकार जनरल मोटर्स को दी जा रही है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : कुछ और उदाहरण भी हैं। इस की अवश्य ही निन्दा की जानी चाहिये जैसा कि अन्य उदाहरणों की पहले निन्दा की गयी थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस उदाहरण की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय एक वक्तव्य देकर यह स्पष्ट करें कि सरकार अपने वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उल्लंघन क्यों कर रही है।

टैलको कम्पनी देश में ट्रक का निर्माण करती है। उसे सरकार ने कुछ समय पूर्व कहा था कि वह मरसीडीज ट्रक बनाने में जर्मनी के डायमलर बैंज से अपना सहयोग समाप्त कर दे। किन्तु इस मामले में हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा ट्रक बनाने के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अमरीका की जनरल मोटर्स को एक तिहाई इक्विटी शेयरों को खरीदने की अनुमति दी जा रही है। क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास मंत्रालय मे एक समिति

बनायी थी जिस ने अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों से यह भी कहा है कि प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिये विदेशी इक्विटी सहयोग प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। उस प्रतिवेदन और उस सिफारिश का क्या हुआ ? क्या इसे दबा दिया गया है ?

प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिये बिड़ला बन्धुओं द्वारा हिन्दुस्तान मोटर्स में ट्रकों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु यदि आवश्यकता पड़े, तो प्रौद्योगिकीय समझौता किया जा सकता है। किन्तु सरकार "प्रौद्योगिकी" के बहाने इस विदेशी बहु-राष्ट्रीय दत्य को यहां आने और वह इस कम्पनी के एक तिहाई इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने की अनुमति क्यों देने जा रही है ?

यह बहुत ही गम्भीर मामला है जो सरकार की मूल नीति को प्रभावित कर रहा है। सरकार को हमें बताना चाहिये कि इस सौदे के पीछे वास्तविकता क्या है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने जनरल मोटर्स संबंधी प्रस्ताव के, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, बारे में निर्णय कर लिया है कि जनरल मोटर्स . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अब यह किस चरण में है ?

श्री टी० ए० पाई : यह विचाराधीन है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या एकाधिकार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी ?

श्री टी० ए० पाई : हम कोई भी अनियमित बात नहीं करेंगे। यह बात सही नहीं है कि हम ने इस बारे में निर्णय कर लिया है।

मैं सभा के सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : वे केवल लाबी बना रहे हैं **(व्यवधान)**।

श्री टी० ए० पाई : हिन्दुस्तान मोटर्स की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपये है और चुकता पूंजी 13.62 करोड़ रुपये की है जिसमें से 31 प्रतिशत पर सरकारी वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण है।

हिन्दुस्तान मोटर्स कम्पनी अम्बेसेडर कार का निर्माण करती है। उन्होंने ट्रकों का निर्माण करने के हेतु कोई सहयोग नहीं किया है। उसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता 15,000 बेडफोर्ड ट्रकों के निर्माण करने की है। किन्तु वह 2,500 से अधिक ट्रक नहीं बना पाई है क्योंकि इन ट्रकों की बिक्री नहीं हो पाती, क्योंकि इनके इंजन का कार्यसंचालन संतोषजनक नहीं है।

व्यापारिक प्रयोग में आने वाली मोटरगाड़ियों के लिये देश को टेलको और अशोक लेलैण्ड पर निर्भर रहना पड़ता है। हमने टेलको को अपनी क्षमता 24,000 से बढ़ाकर 36,000 करने और अशोका लेलैण्ड को 5,400 से बढ़ाकर 10,000 करने की अनुमति दे दी है। अतः इस का अर्थ यह हुआ कि क्षमता के इस विस्तार से 46,000 ट्रक उपलब्ध हो जायेंगे। हम यह देखने का प्रयास करते रहे हैं कि अन्य एककों में लाइसेंस प्राप्त क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं किया जा सका और उसकी बजाये नये सिरे से पुंजी निवेश क्यों किया गया है ?

[श्री टी० ए० पाई]

मैं अपने मामले की वकालत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि उसकी गैर जिम्मेदारना ढंग से आलोचना की जाये। सरकार इस बात पर पूरी तरह से विचार करेगी कि इससें पश्चिम बंगाल में रोजगार में कितनी वृद्धि होती है। इससे देश के निर्यात में 7 करोड़ रूपये की वृद्धि होने की संभावना है। सरकार के समक्ष प्रस्ताव यह है कि उन्हें 6 करोड़ के मूल्य की इक्विटी रखने दी जाये। परन्तु यदि आप चाहते है कि हम सम्पूर्ण अपेक्षित मशीनरी विश्व से टेंडर मंगवा कर ही खरीदे तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। टेलको के विस्तार पर भी लगभग 12 करोड़ रुपयेकी विदेशी मुद्रा खर्च आयेगी। यह मामला भी सरकार के विचाराधीन है कि 6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की अनुमति दी जाये या नहीं। तथ्य तो यह है कि हम जो भी निर्णय करेंगे वह भारत सरकार के हित में ही किया जायेगा और अभी तक अन्तिम रूप से कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। समाचारपत्रों में प्रकाशित यह समाचार सही नहीं है कि सरकार ने इसके बारे में निर्णय ले लिया है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय का यह उत्तर तो हमने सुन लिया कि मामला अभी सरकार के विचाराधीन है, अभी उस पर निर्णय नहीं किया गया है। हमारे देश में निरन्तर इस बात पर बल दिया जा रहा है कि विदेशी सांझेदारी को घटाया जाये और देश की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। फ्रांस के एक लेखक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यदि बहु राष्ट्रीय निगमों को इसी प्रकार पनपने दिया गया तो आगामी दस वर्षों में सम्पूर्ण योरुप अमरीका की कालोनी बन जायेगा।

फिर दूसरा पहलू यह है कि जब टेलको को मशीनों आदि के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा दी जा सकती है तो फिर हिन्दुस्तान मोटर्स को इसी प्रकार की अनुमति देने में क्या ऐतराज है। यह सम्पूर्ण नीति का प्रश्न है कि बहु राष्ट्रीय निगमों को हमें अपने देश में पनपने देना है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा मुख्य उद्देश्य तो सदन की कार्यवाही चलाने का है। श्री गुप्त द्वारा नियम 377 के अन्तर्गत यह चर्चा उठाई गई और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया। यह ठीक है कि यह विषय काफी गंभीर है और काफी सदस्य इस पर बोलने के लिए उत्सुक हैं परन्तु प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत मैं इसे पूर्ण चर्चा का विषय नहीं बनने दे सकता। अब हमें इसे यहीं समाप्त करना चाहिये।

श्री एस० एम० बानर्जी (कानपुर) : हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सदन को इस पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं मंत्री महोदय से प्रथम तो यह जानना चाहता हूं कि वह हिन्दुस्तान मोटर्ज को विदेशी मुदा देने को तैयार क्यों नहीं है? दूसरे टेल्को और अशोक लेलैण्ड की निर्मित क्षमता कितनी है और तीसरी यह की जब सम्पूर्ण योरुप और यहां तक की अमरीका में बहू राष्ट्रीय निगमों की आलोचना हो रही है, तो अचानक हमारी सरकार के उनकी ओर आकृष्ट होने का क्या कारण है? . . . **(व्यवधान)**

श्री टी० ए० पाई : हमने न बहु राष्ट्र निगमों को कोई निमंत्रणहि दिया है और न ही हमने यह निर्णय किया है कि उन्हें हमारे विचारार्थ अपने प्रार्थनापत्र नहीं भेजने चाहिये। हम यह बात पूरी तरह से समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम कई बार इतने शक्तिशाली

हो जाते हैं कि वह सरकारों को ही बदलने या गिराने की शक्ति एकत्रित कर लेते हैं। हम इससे भली भांति अवगत हैं। हम इस बात का निर्णय सदन पर छोड़ देंगे कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिये।

टेलको का मरसीडीज़ के साथ सहयोग करार चला आ रहा था परन्तु अब वह समाप्त कर दिया गया है परन्तु फिर भी पुंजीनिवेश उनकी हिस्सेदारी 14 प्रतिशत की है। कई बहु राष्ट्रीय कम्पनियों की पुंजी हमारे देश में लगी हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि महत्व की बात यह होती है कि कितनी पुंजी लगी हुई है और हमारे देश से कितनी पुंजी बाहर जाती है। अत: अगर यदि हमें इस प्रश्न के बारे में सदन की अनुमति के अनुसार ही निर्णय करना है तो हमें देश में पुंजीनिवेश की सम्पूर्ण नीति के बारे में विचार करना होगा। सरकार इस मामले पर विचार करते समय राष्ट्र नीति की ओर पूर्ण ध्यान देगी और केवल इस दृष्टि से निर्णय नहीं किया जायेगा कि उससे किसी विशेष व्यापार गृह को लाभ हो रहा हो।

पाठ्य पुस्तकों के निर्यात में कथित घोटाला

श्री वसन्त साठे : समाचारपत्रों में यह समाचार देखने को मिला है कि हमारी सरकार को पाठ्य पुस्तकों के निर्यात कार्य में लगे एक गिरोह से 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। गैर कानूनी तौर पर चल रहा यह निर्यात व्यापार इंग्लिश लेंगवेज बुक सोसायटी, लन्दन और मेक ग्रा मिल कोगाकुशाह लिमिटेड, जापान से आयात की जा रही कम मूल्य की पुस्तकों से सम्बद्ध है। आज वास्तविक स्थिति यह है कि विज्ञान रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान आदि से सम्बद्ध पुस्तकों को देश से बाहर भेजा जा रहा तथा अश्लील साहित्य को देश में ही खपाया जा रहा है। यह गिरोह दिल्ली में ही इतना सक्रीय कार्य कर रहा है। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्य-वाही करनी चाहिये। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ बतायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आज वह इस के बारे में कुछ नहीं बतायेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ ग्लूकोस दिल्ली के अस्पतालों में भी पाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मंत्री महोदय कल वक्तव्य दे चुके हैं।

अनुदानों की मांगे 1974-75

DEMANDS FOR GRANTS, 1974-75

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

उदाध्यक्ष महोदय : सर्वश्री एस० एल० सक्सेना, श्री एस० एन० सिंह, डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय और आर० वी० बड़े ने अनुदानों की मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव दिये है। अगर वह चाहे तो अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

[**श्री नवल किशोर सिंह** पिठासीन हुए।
SHRI NAVAL KISHORE SINHA *in the chair.*]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की वर्ष 1974-75 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत कि गई

The following Demand for Grants for the Year 1974-75 for the Ministry of Petroleum and Chemicals were moved

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पुंजी
70	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय .	58,58,000	2,00,47,68,000

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किएं गएं

मांग	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम		कटौती की राशि
70	9	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	तेल शोधनशालाओं की क्षमता बढाने में विलम्ब ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये ।
,,	10	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	नयी तेल शोधनशालाए स्थापित करने में असफलता ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये
,,	11	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	देश में उर्वरकों की बढती हुयी मांग के अनुसार उनका उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये
,,	12	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	सोड़ा एश की मांग के अनुसार उसका उत्पादन बढाने में विलम्ब ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये ।
,,	13	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के कार्यकरण में सुधार करने में विलम्ब ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये ।
,,	14	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश में नए पावर एलकोहोल सयंत्रों के संबंध में सम्भावनाएं होते हुए भी उन्हें स्थापित करने में असफलता ।	राशि में 100 रुपये घटा दियें जायें
,,	15	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल आसानी से उपलब्ध कराने में असफलता ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये ।
,,	16	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	किसानो के लिए डीजल की उपलब्धि कराने में असफलता ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये ।
,,	17	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	वर्तमान उर्वरक संयंत्रो की क्षमता बढाने में विलम्ब ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये ।

मांग	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती की राशि
70	18 डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने में विलम्ब ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये ।
,,	19 डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	हिमालय के क्षेत्रों तथा गंगा के तटीय क्षेत्रों में तेल की खोज करने के प्रति उपेक्षा ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये
,,	20 डा० लक्ष्मीनारायण पांण्डेय	मध्य प्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धि के बावजूद भी एक और उर्वरक संयंत्र लगाने प्रति उपेक्षा ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये ।
,,	21 डा० लक्ष्मीनारायण पांण्डेय	पैट्रोल तथा मिट्टी के तेल के बढ़ते भाव को रोकने में असफलता ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जाये ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने तेल के बारे में इस प्रकार की नीतियां बनाई जिनसे उनका अपना हित होता और तेल का उत्पादन करने वाले देशों का अहित । इस स्थिति में परिवर्तन उस समय देखा गया जब अरब देशों में अपने हितों के प्रति जागरूकता आई और उन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियो को चुनौती दी । अरब देशों को इस जागरूकता के फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में तेल संकट आ खड़ा हुआ । भारत सरकार ने भी गत 20 वर्षों में तेल के बारे में किसी प्रकार की कोई स्वतन्त्र नीति नहीं बनाई थी । हम मुख्यता विदेशी तेल कम्पनियो पर ही आश्रित रहे । आज स्थिति यह है की साम्राज्यवादी शक्तियां इस तेल संकट का सामना करनें में समर्थ है, परन्तु भारत की स्थिति काफी गंभीर है ।

मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश में तेल के संसाधनों की कमी नहीं है और इस तथ्य की पुष्टि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की पुनरीक्षण समिति द्वारा 1971-72 में की जा चुकी है । आयोग द्वारा इन संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रयत्न भी किये गये है । तेल विशेषज्ञों का विचार है कि पश्चिम बंगाल के बोदरा क्षेत्र में कुल तेल संसाधन है । आसाम के त्रिपुरा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की संभावना है परन्तु परियोजना प्रबन्धक इस संभावना को स्वीकार नहीं करते । अत: उनके द्वारा इस के खोज कार्य में विशेष रूचि नहीं ली जा रही है । मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को भी लिखा था । उन के आदेशानुसार एक सतर्कता समिति भी नियुक्त की गई थी, परन्तु उसने अभी अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । मालवीय समिति का मत भी यही था, कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की उदासीनता के कारण तेल संसाधनों का पूरी सर्तकता के साथ पता नहीं लगाया जा रहा है । अत: मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये ।

मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ विदेशी कम्पनियों ने भारत सरकार से उन क्षत्रों में तेल की खोज करने की पेश कश की है जिन क्षेत्रों को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छोड़ दिया गया था । तेल कम्पनीयों ने अपनी पेशकश में यह भी कहा है खोज कार्य का सारा खर्चा वह अपने पर लेने को तैयार है परन्तु यदि खोज में तेल उपलब्ध हो जाये तो केवल उसका कुछ भाग उन्हें दे दिया जाये । अब आप ही बताइयें कि इससे क्या तात्पर्य निकाला जा सकता है । इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि आयोग द्वारा इस कार्य

[श्री बीरेन दत्त]

लिए ईमानदारी से कार्य नहीं किया गया है। चीन ने तेल का खोज कार्य हमारे से बाद में आरम्भ किया था परंतु अब उस देश मे इतना तेल का उत्पादन इतना हो रहा है कि साम्राज्यवादीदेश भी उनसे जलने लगे है। मेरे विचार से हमें अपने नौकरशाहो यथा परियोजना प्रबन्धकों आदि की अपेक्षा अपने तेल विशेषज्ञों के मत को अधिक महत्व देना चाहिये। अब समय आ गया है जबकि हमें अपनी तेल सम्बन्धी नीति में आधारभूत परिवर्तन करने होंगे। प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश को कच्चे तेल के आयात के लिए वर्ष 1973-74 में 300 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा और 1974-75 में 1,300 करोड़ रुपया खर्च किये जाने का अनुमान है। प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि देश में अपनी आवश्यकता के केवल एक तिहाई तेल का ही उत्पादन किया और शेष दो तिहाई तेल आयात करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट है कि हमें कितनी अधिक विदेशी मुद्रा इस पर खर्च करनी पड़ती है। इस कार्य के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों के सहयोग की बात भी चल रही है। ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ बहुराष्ट्रीय निगम भी इस क्षेत्र में अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहे है। परन्तु हमें उनकी भूमिका से पूर्णतया सतर्क रहना होगा।

अब टीयूब तेल सम्बन्धी नीति को ही लीजिये। सरकार का विचार था कि शायद इससे तेल की खपत कुछ कम हो जायगी, परन्तु इसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली। देश में चारों ओर चोर बाजारी का बोलबाला है। भट्टी का तेल भी आज उपलब्ध नहीं है उसके बारे में भी अनेक हेर फेर चल रहे है और उद्योगों को उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। परिणामस्वरूप अनेक विकास कार्य रूके पड़े हैं। परन्तु ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय को इसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनके मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

देश में मिट्टी के तेल की भारी कमी है। देश के करोड़ों लोग आज अंधेरे में रह रहे हैं। तेल की सप्लाई में 25 प्रतिशत या उससे भी अधिक की कमी कर दी गई है। कुछ राज्यों पर तो इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। स्थिति दिन प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है। सरकार को तेल की कमी को पूरा करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये।

इस मंत्रालय का संबंध कुछ अन्य कार्यक्षेत्रो से भी है। ऋषिकेश को एन्टीबायटीक प्लांट काफी देर तक बंद रहा। इस बात की पूर्ण जांच की जानी चाहिये कि इस संयंत्र द्वारा घटीया किस्म की औषधियों का उत्पादन क्यों किया गया। इस संयंत्र द्वारा औषधियों बोतलों में भर कर प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों को सप्लाई की जा रही है। प्राईवेट कम्पनियां उन्हें अपने नाम से बेच कर भरपूर मुनाफा कमा रही है। सरकार को इस ओर उपयुक्त ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि गरीब रोगियों को सस्ते दामों पर औषधियां उपलब्ध कराई जा सके।

प्रतिवदन से एक बात और स्पष्ट होती है कि गत वर्षों की तुलना में देश में उर्वरक के उत्पादन में काफी कमी हुई है। यह और भी आश्चर्य की बात है कि नंगल उर्वरक परियोजना का उत्पादन भी निर्धारित क्षमता से कम हुआ है और वह भी बिजली के अभाव के कारण। उर्वरक की चोरबाजारी के फलस्वरूप बेचारे किसानों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को भरसक प्रयत्न करना चाहिये कि देश के मुख्य उर्वरक कारखानों यथा ट्राम्बे, गोरखपुर, नामरूप और नंगल आदि को बिजली की अपेक्षित सप्लाई उपलब्ध होती रहे ताकि कृषि उत्पादन पर उसका कुप्रभाव न पड़े। यदि फसल अच्छी होगी तो उसका प्रभाव उद्योग और व्यापार पर भी पड़ेगा। अतः सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तरपूर्व) : तेल स्वभाव से ही एक विस्फोटक पदार्थ है परन्तु अभी तक इसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया था परन्तु 1973 से इसके मूल्य में जो वृद्धि हुई है उससे निश्चय ही यह विस्फोटक पदार्थ माना जाने लगा है। 1973 में जो तेल संकट विकासशील देशों के समक्ष आया उससे स्थिति पूर्णतया बदल गई। तब से पेट्रोलियम मंत्रालय हमारे यहां अलग रूप से कार्य करने लगा।

तेल संकट ने हमारे समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत कर दी। अब समय आ गया है जबकि हमें इस तेल संकट का सामना विश्व स्तर पर करना होगा। हमें अपनी तेल सम्बन्धी नीति की सुरक्षा के लिए, एक उचित व अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय तेल कूट नीति बनाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अधिवेशन तेल संकट पर विचार करने के लिए न्यूयार्क में हो रहा है। कुछ देशों द्वारा तेल का प्रयोग आर्थिक युद्ध के शस्त्र के रूप में किया जा रहा है इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके मूल्य तथा वितरण व्यवस्था आदि पर विचार किया जायेगा। अब भारत को इसके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नीति अपनानी पड़ेगी वह कहां तक तथा किस प्रकार तेल उत्पादक देशों पर निर्भर रह सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने ही तेल संसाधनों का भरसक लाभ उठा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें तेल के बारे में पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपनी अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि यह भी संभव है कि कुछ आन्तरित समस्याओं के कारण तेल उत्पादक देशो में ही आपसी फूट पड़ जाये। अतः मंत्रालय को इन सब बातों के बारे में पूर्णतया सतर्क रहना होगा।

सरकार द्वारा मिट्टी के तेल की खपत कम करने के लिए कुछ कदम उठाये गये है। तेल शोधन स्तर पर ही इस का उत्पादन कम कर दिया गया है। परन्तु इस प्रकार के सभी प्रयास आंशिक प्रतीत होते है। इनके स्थान पर सरकार को व्यापक और समेकित नीति अपनानी चाहिये। मंत्रालय की अनुदानों के अनुसार 1974-75 में 1,300 करोड़ रुपये के मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया जायगा परन्तु प्रश्न यह है कि यह रुपया कहां से आयेगा। मेरा विचार है कि इस मामले में हमारी नीति का आधार ठोस होना चाहिये। यह रूख केवल निर्यात प्रधान उद्योगों के बारे में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण उत्पादन ढांचे के बारे में अपनाया जाना चाहिये।

हमें बताया गया है कि एक ईंधन नीति समिति का गठन किया गया था। परन्तु आज दस मास गुजर गये हैं परन्तु इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हमें समझ नहीं आती कि इस समिति द्वारा किस प्रकार के सुझाव दिये जायेंगे। यदि हमें मिट्टी के तेल का उत्पादन और खपत कम करनी है तो हमें इसके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध करवाना पड़ेगा। हमें इसके लिए कौन सी तकनीक अपनानी पड़ेगी। इस सम्पूर्ण समस्या के बारे में व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है और उचित विचार विमर्श के लिए हमें औद्योगिक विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इस्पात तथा योजना मंत्रालय इन सभी में अपेक्षित तालमेल स्थापित करना होगा। समाचार पत्रों में यह देखने को मिला था कि सरकार द्वार एक ऊर्जा बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई थी परन्तु इस के सदस्य कौन कौन होंगे, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे विचार से ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमें यथाशीघ्र एक व्यापक नीति बनानी चाहिये।

हमारे देश में किये जा रहे कच्चे तेल के उत्पादन के 7.20 लाख टन से बढ़कर 11.40 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। इससे हमें काफी लाभ होने की संभावना है। यह भी अंदाज है कि हमारा रक्षित भंडार भी 175 लाख टन हो जायेगा। यदि हम अपने 11-12 लाख टन तेल के प्रतिवर्ष के उत्पादन को बनाये रखने में सफल भी हो जाते हैं तो भी हमें विदेशों से तेल मंगवाने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इसके लिए भी हमने अनेक प्रकार के प्रयत्न किये हैं। अभी पन्द्रह दिन पूर्व ही हमने इराक के साथ 2.8 लाख टन तेल का निर्यात करने का करार किया था। हमें आशा है कि इस करार के कई अच्छे परिणाम निकलेंगे और हमें लाभ होगा। परन्तु विदेशी कम्पनियों के साथ हमारे पूर्व करार इतने सफल नहीं रहे है। आयल इंडिया के आसाम सम्बन्धी करार के साथ यही बात हुई और फिर यही बात मद्रास तेलशोधक कारखाने के बारे में भी दोहराई गई। हम यह नही चाहते की मथुरा और कोचीन तेल शोधक कारखानों के साथ भी ऐसा ही हो। हम यह चाहते हैं कि कच्चे तेल की सप्लाई के सम्बन्ध में इराक के साथ हमारा करार पैसे की दृष्टि से नहीं अपितु अन्य सभी पहलुओं से भी हमारे ही हित में हो।

इस प्रकार के समाचार हमारे समक्ष आये हैं कि देश में उत्पादित कच्चे तेल के बारे में मंत्रालय वर्ष भर शांत रहा। अभी तक हमें यह नहीं मालूम कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से सम्बद्ध मालवीय समिति

[श्री राजा कुलकर्णी]

को सिफारिशों का क्या हुआ। सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध समिति के एक प्रतिवेदन में आयल इंडिया की जांच करने की मांग की गई थी। इस कम्पनी के 1971 के लेखे अभी तक चले आ रहे है उन्हें बंद नहीं किया गया है। सरकार को इस सम्पूर्ण मामले की जांच करनी चाहिये। इसी प्रकार जब सरकार ने एस्सो कम्पनी को अपने हाथ में लिया तो उसके ढंग से लोगों के मन में कुछ भ्रम पैदा हो गया। ऐसा समझा जाने लगा है कि कम्पनी को आवश्यकता से अधिक मुआवजा दिया गया है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण नेफ्था के मामले का लिया जा सकता है। इसका मूल्य 1973 में दो बार बढ़ा। इसी वर्ष 2 माच से इसे पुनः 445 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। वृद्धि करते समय सरकार ने यह नहीं सोचा कि इसका रोजगार तथा पेट्रो-रसायन एककों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के कृत्य मंत्रालय की समस्याओं के प्रति उदासीनता के प्रतीक लगते है।

औषधियों के मूल्यों के बारे में भी सरकार की नीति कमजोर रही है। 1970 में 23 या 25 बल्कि औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई थी परन्तु कुछ ही समय बाद पुनः यह मामला भी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंप दिया गया। आज 18 मास बीत जाने के बाद भी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उद्योगों को आज अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमें आशा है कि नीति सम्बन्धी कोई भी निर्णय लेते समय मंत्रालय द्वारा इन सभी बातों की ओर उचित ध्यान दिया जायगा और साथ ही संसद सदस्यों को भी विश्वास में लिया जायेगा।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और साथ ही मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने तेल के लिए कई प्रकार के करार किये हैं। इस मंत्रालय का कार्यक्षेत्र निश्चय ही बहुत व्यापक है तथा हमारे देश का विकास काफी हद तक इसी मंत्रालय पर निर्भर करता है।

तेल संकट आज केवल हमारे देश तक ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में व्यापक है। अतः हमें इसके बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये। यह नीति अन्तर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में बनाई जानी चाहिये। इसके बारे में हमें इस प्रकार की दोहरी नीति अपनानी चाहिये कि वर्तमान संकट का मुकाबला करते हुये अब देश को ऐसी स्थिति में लाने में सुफल हो जाये कि हमें विदेशों पर अधिक निर्भर न रहना पड़े।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया इन दोनों संस्थाओं को तेल छिद्रण कार्य की जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया था। भरसक प्रयत्नों के उपरान्त 1972 में 2.6 प्रतिशत और 1973 में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर कच्चे तेल के आयात में वृद्धि होती रही। पांचवीं योजना में हमारी आवश्यकता 400 से 420 लाख टन होगी जबकि हमारा उत्पादन 180 लाख टन होगा। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि देश में तेल के निक्षेपों की खोज के लिए अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये।

आयल इंडिया लिमिटेड, जिसमें कि भारत सरकार के 50 प्रतिशत हिस्से है, 30 लाख टन से भी कुछ अधिक किया जा रहा है। परन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण देश में व्याप्त है, अपना अस्तित्व बनाने रखने में सफल नहीं रहा क्यों कि इसका कार्य आयल इंडिया की तुलना में कहीं कम है। आयल इंडिया ने अरूणाचल प्रदेश में तेल निकाल कर अच्छा कार्य किया है। हमें आशा है कि यहां कुओं से और अधिक तेल उपलब्ध होगा।

आसाम एक ऐसा क्षेत्र है जहां दिन रात प्राकृतिक गैस जलाई जाती है। इसका न तो उपयोग ही किया जा रहा है और न ही इसे बिजली आदि के रूप में बदला जा रहा है। मंत्री महोदय के अनुसार इस ऊर्जा के कुछ भाग का उपयोग बिजली आदि बनाने के लिए किया जा रहा है। फिर भी सरकार को इस ओर अपेक्षित ध्यान देने की आवश्यकता है।

नामरूप तापीय परियोजना को दी जाने वाली गैस का मूल्य भी अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही बढ़ा दिया गया है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कच्चे तेल की रायल्टी को 15 रुपये प्रति टन से बढ़ा कर 30 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।

तेल के लिए छिद्रण करने और निकालने के बारे में आज से दो वर्ष पूर्व भी मैंने एक चर्चा में कहा था इसकी खोज गहरे समुद्र में की जानी चाहिये । हाल ही में बम्बई के गहिरे समुद्र के पास यह उपलब्ध हुआ है । ऐसा विचार भी व्यक्त किया गया कि कोई विदेशी कम्पनी इसका विरोध भी करेगी । परन्तु मंत्री ने ठीक ही कहा गया है कि हमें ऐसा विरोध करने वाली कम्पनी का विरोध करना होगा । हमें किसी को भी अपने जलक्षेत्र में से तेल निकालने की अनुमति नहीं देनी चाहिये ।

अब मैं एक आध शब्द मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहूंगा । गुहाटी तेल शोधक कारखाने द्वारा मिट्टी के तेल का शोधन किया जाता है । परन्तु किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप के फलस्वरूप यह कारखाना शीघ्र ही बंद हो जाता है । मिट्टी का तेल उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास किया जाना चाहिये । वहां के व्यापारियों को प्राकृतिक प्रकोप के समय लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : आज देश के समक्ष सब से महत्वपूर्ण समस्या विदेशी मुद्रा का अभाव है । पिछले 10 वर्षों से तेल का उत्पादन एक ही स्थान पर रूका हुआ है । हमारी शोधक क्षमता पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उर्वरक रसायन औषध आदि के उत्पादन के लिए हमें तैयार तेल उत्पाद करने पड़ते है । इसका हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और साथ ही इसी के कारण अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है । हमें आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर शीघ्र ध्यान देंगे और गत दस वर्षों की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ।

तेल शोधन हमारे कार्यक्षेत्र का एक पहलू है । कोयाली तेल शोधक के विस्तार की बात की जाती है । इसी सन्दर्भ में मथुरा तेल शोधक का नाम भी आता है परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए अभी कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है । मंत्री महोदय को इसके लिए कुछ ठोस कार्यवाही करनी पडेगी क्योंकि पहले केवल अधिकारी ही नहीं अपितु मंत्रीयों द्वारा भी इस दिशा में काफी उदासीनता बरती गई है । इसी उदासीनता के परिणामस्वरूप हमें उर्वरक के उत्पादन में बड़ी हानि हुई है । यदि हम 10 लाख टन उर्वरक का आयात करते है तो उसका उपयोग हम खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कर सकते है । यदि इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत हो तो उसका उपयोग हम खाद्यान्नो के आयात के लिए भी कर सकते है

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अब तक गुजरात से बाहर की ही संस्था रही है । इसने कभी भी गुजरात से एकात्मकता स्थापित नहीं की और यही कारण है कि गुजरात के लोग भी इसके प्रति उदासीन रहे । समस्या यह भी रही है कि राज्य के योग्य व्यक्तियो का उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है । यह स्पष्ट है कि यदि सरकार द्वारा राज्य में एकात्मकता की ओर ध्यान दिया जाता है तो उससे काफी लाभ होने की संभावना है । वहां के लोगों की मुख्य शिकायत यह है कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाता । इसी सन्दर्भ में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं । हमारे देश में सर्वोत्तम मछली पकडने के क्षेत्र है उनके आस पास ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां काफी तेल पाया जा सकता है। यदि सभी उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग किया जाये तो उससे काफी लाभ हो सकता है और विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकती है ।

जहां तक उवरक का प्रश्न है, म समझता हूं कि इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मंत्री महोदय को तुरन्त कदम उठाने चाहिये । उर्वरक उपलब्ध न होने के कारण किसान हाहाकार मचा रहे हैं । जब उनके धैर्य की सीमा टूट जाती है तो वह दंगों पर उतारू हो जाते है । मेरे चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार के कई दंगें हो चुके है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर भी अपेक्षित ध्यान देना चाहिये ।

आज भी हमारे देश में पुरानी पड़ गई औषधियों का निर्माण करने पर रुपय खच किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा पूर्णतया बेकार जा रही है । आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इन दवाईयों के प्रभाव की ओर उचित ध्यान देना चाहिये । इसके साथ ही किसी प्रकार की नकली दवाईयो के उत्पादन पर ऊचित रोक रखने के लिए भी कार्यवाही की जानी चाहीये । इस ओर शीघ्रही ध्यान देने की आवश्यकता है ।

[श्री डी० डी० देसाई]

हमारे देश में कीटनाशक दवाइयों की काफी कमी है। कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकती है और उन से काफी विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि सरकार को इसके विकास के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिये।

भारी रसायनों तथा कास्टिक सोडा, सोडा एश, और सल्फा आदि पर आधारित रसायनों के उत्पादन में कुछ त्रुटियां हैं। इनके उत्पादन की वृद्धि करने के लिए भी कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। यह बात सर्वविदित है कि रसायनों के उत्पादन पर जितनी कम लागत आयेगी, उतनी ही उनकी कीमत भी कम होगी। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): Sir, oil crisis has seriously affected not only our industrial production but the agricultural production also. According to the agreements made by the Government, it is learnt that 9.55 million tonnes of crude, 2.80 millon tonnes of crude and 3.85 million tonnes of crude will be imported from Iran, Iraq and Saudi Arabia respectively. But Government have not divulged the price at which this crude will be imported. May I know the reasons for the same?

Government have also made an agreement with U.S.S.R. for the import of crude. In this case also they have not mentioned the price. I would like to invite the attention of the House to a news item appeared in 'Navbharat Times' of to-day regarding the announement of increase in the price of imported crude by all the three foreign oil companies.

It has been reported in the April issue of 'Yojana' that in 1973 India's foreign exchange outgo on account of crude oil and finished products amounted to Rs. 470 crores. It is estimated that during the current year the cost of such imports would be not less than Rs. 1300 crore. This would mean that the country would have to spend as much as two-thirds of its export earnings on oil imports alone.'

In reply to an unstarred question of 16th April the hon. Minister that the precise import of the final agreement on the per barrel cost to the oil companies would be known only when the agreement has been finalised. But he has also stated that however, Burmah Shells and Caltex have intimated increase in prices on provisional basis in anticipation of the revision of this agreement. Are these not contradictory to each other?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Barooah): This agreement is made between the foreign companies and the oil producing countries.

Dr. Laxminarain Pandeya: As I have stated earlier on the basis of this agreement the prices of oil are likely to be increased in future. Any price rise would seriously affect our agricultural production. So far as the availability of fertiliser for the ensuing kharif crop is concerned, it will fall short of the effective demand by 17 per cent as has been stated in the Economic Times of 20th March. In this context I would like to know whether Government are in position to ensure increased production of fertilisers by setting up new fertiliser projects and starting production in the projects like Korba coal based plant expeditiously. How many fertiliser projects are proposed to be set up in the country?

It is also desirable to educate the farmers in regard to utilisation of correct type of fertiliser for a particular soil. It will bring about saving in fertilisers to a great extent.

I also suggest expansion of existing fertiliser plants. In view of the availability of necessary raw material fertiliser plants can easily be set-up in Rajasthan, Meethapur and certain other places. We are not able to utilise full capacity of our fertiliser

plants due to want of naphtha and yet Government have decided to export naphtha. It is all because of lack of co-ordination between the various departments of the Government. I would like to know from the hon. Minister as to who has been held responsible for delay in installation of Refrigeration compresser imported from West Germany for Baroda Petro-chemical complex. What is amount of loss and who will have to bear this loss?

Drug manufacturing companies in Rishikesh and Madras are facing labour trouble and heavy loss. These companies have been producing several drugs like penicillin which are sold in large quantity in our country. Yet these are running in loss. On the other hand foreign drug manufacturing companies are earning heavy profits. We have to import vitamin 'C' or Ascarbic acid which were decided to be produced under Petro-chemical Corporation. May I know the time by which these drugs would be produced indigenously to save foreign exchange?

In reference to the memorandum submitted by the Indian Chemicals Manufacturing Association may I know whether it is not possible to make some adiustment regarding the prices?

Shri D. K. Borooah: It has been done.

Dr. Laxminarain Pandeya: I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that due to inadequate supply of furnace oil, furnace oil based industries are suffering heavy losses.

I also feel that adequate attention has not been paid to research work. The exploration in coastal areas has not been carried on to the depth which is desirable. Although the O.N.G.C. have taken up the work of survey and drilling in some areas mostly in the coastal areas have not been touched so far where there are all chances of striking oil. I suggest that another **Sagar Samrat** should be obtained, if necessary, and the exploration work should be undertaken on a large scale to meet the oil requirements of the country. With proper utilisation of the services of our engineers and technologist we can increase our oil production to a level at which we will not have to depend on the foreign countries.

I also suggest that all the recommendations of the Malviya Committee on the working of O.N.G.C. should be implemented to improve its working.

The alcohol based industries are facing serious crisis to-day. Although there are 65 factories in the country, production in most of them is not going on well. Special attention should be paid to the production of alcohol so that the factories based on it could function properly.

So far as the Mathura Refinery is concerned an expert committee has suggested that it should not be set-up at Mathura as it will not be safe from the defence point of view. A big defence unit is stationed there. I suggest that it should be set-up at Gwalior or some other suitable place in Madhya Pradesh.

Shri Genda Singh (Padrauna): Sir, I did not intend to speak on this item but now I think that certain vital points are necessary to be raised.

[श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए । / SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair.*]

When Shri Borooah and Shri Shahnawaz Khan who are good friends of the farmers, look over the charge of this department, we hoped that they will try to increase the production of fertilisers and see that they are made available to the farmers at a reasonable prices. But these hopes have been belied as the farmers are not getting fertilisers at reasonable prices. Black marketing is going on in the sale of fertilisers on large scale and the poor farmers are suffering on this account. It is

[Shri Genda Singh]

high time that the hon. Minister take some concrete steps to ensure proper distribution of fertilisers to the farmers at fair prices. I also suggest that stringent action should be taken against the persons and the officers involved in corruption.

I request the hon. Minister that he should get the second phase of the Gorakhpur fertiliser factory approved from the cabinet. The performance of this factory has been praise worthy. It has been producing fertilisers above its rated capacity. If this factory is expanded according to the plan it will render good service to the people of this region. It will help in increasing the production of sugar-cane. Government will also earn some revenue in the form of excise duty.

*श्री ई० आर० कृष्णन (सलम) : महोदय ! वर्ष 1974-75 के दौरान अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर 1300 करोड़ रुपयों के खच होने की सम्भावना है । गत तीन वर्षों से आयातित अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि होती जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार भारत में तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है । यदि तेल का यही भाव रहा तो पांचवीं योजना के दौरान देश को 8226 करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा इसके लिए खर्च करनी होगी । यदि मूल्य में 13 डालर प्रति बैरल की वृद्धि हुई तो 10316 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी । यह आंकड़े स्वयं पेट्रोलियम मंत्रालय ने योजना आयोग को दिये थे ।

जहाँ तक देश में अशोधित तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है वर्ष 1971 में 71.85 लाख टन और 1972 में 73.75 लाख टन अशोधित तेल का उत्पादन हुआ किन्तु 1973 में यह उत्पादन केवल 71.98 लाख टन रह गया । जैसे जैसे तेल उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है तथा विदेशों में अशोधित तेल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में अशोधित तेल के उत्पादन में कमी होती जा रही है । इस स्थिति के क्या कारण ह ?

यह खद का विषय है कि सरकार ने मालवीय समिति की बहुत सी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया । इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा जिससे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

मंत्री महोदय अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि इण्डियन आयल मार्केटिंग डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक श्री कमलजीत सिंह तथा आयल इण्डिया के चेयरमैन ने अचानक त्यागपत्र क्यों दे दिये हैं । सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने हाल में इण्डियन आयल कम्पनी के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । इस समिति की सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा ?

मेरा सुझाव है कि सरकार बर्मा शैल कम्पनी तथा कालटेक्स को अपने अधिकार में ले किन्तु उनको कोई मुआवजा न दे क्योंकि इन विदेशी कम्पनियों ने देश से पहले ही करोड़ों रुपया कमा लिये हैं । मेरा यह भी सुझाव है कि गर-सरकारी क्षत्र के चारों तेल शोधक कारखाने के प्रबन्धको सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये ।

जिस प्रकार विदेशी तेल कम्पनियां तेल के मूल्य में वृद्धि कर रही हैं उससे ज्ञात होता है कि सरकार पर उनका भारी प्रभाव है । इस मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रस्तावित तट दूर छिद्रण काय में सरकार का विचार विदेशी तेल कम्पनियों के साथ सहयोग करने का है । मैं सरकार की इस नीति का समथन नहीं कर सकता ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

तेल मूल्य समिति का प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जाएगा तथा तीन वर्ष पूर्व नियुक्त की गई टकस समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ? मुझे खेद है कि सरकार ने तेल संकट का मुकाबला करने के लिये अभी तक कोई उपयुक्त योजना नहीं बनाई । क्या सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिससे धीरे-धीरे तेल के आयात में कमी हो सके ?

इन परिस्थितियों में दक्षिण भारतीय राज्यों का औद्योगिक विकास रुक गया है । माल डिब्बों की कमी के कारण उन्हें अपेक्षित मात्रा में कोयला नहीं मिल पाता । मेरा सुझाव है कि इन राज्यों को अपेक्षित मात्रा में कोयला और मट्टी तेल सप्लाई किया जाये ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान तमिलनाडु में उत्पन्न एक अन्य समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । 1966 के पेट्रोलियम उत्पाद पूर्ति और वितरण आदेश के अन्तर्गत तमिल नाडु सरकार को तेल कम्पनियों के लिये मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिये निदेश देने का अधिकार दिया गया था । यह अधिकार 1972 के आदेश के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस मामले की जांच करें तथा तुरंत आवश्यक कदम उठायें ।

वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि मिट्टी के तेल के उत्पादन में कमी तथा इसके मूल्य में वृद्धि खपत कम करने के उद्देश्य से की गई है । तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल बिल्कुल उपलब्ध नहीं है । यह मंत्रालय अपने इस दायित्व का निर्वाह करने में असफल रहा है कि सामान्य जनता को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराई जायें ।

मद्रास तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली गैस से मद्रास सिटी में वातावरण दूषित हो गया है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा मद्रास तेल शोधक कारखाने में कुकिंग गैस भी बनाई जानी चाहिये ।

जहाँ तक उर्वरकों के उत्पादन का सम्बन्ध है नाइटरोजन उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 19.38 लाख टन है जबकि 1973-74 में इसका उत्पादन 10.50 लाख टन हुआ । वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार बिजली की कमी तथा श्रम समस्याओं के कारण 1,00,000 टन उत्पादन कम हुआ है । इस सन्दर्भ में मुझे संदेह है कि पांचवीं योजना में 60 लाख टन की क्षमता के विस्तार की योजना क्रियान्वित होगी तथा ऐसा प्रतीत होता है कि पद केवल कागजों तक सीमित रहेगी ।

यद्यपि रसायनिक उर्वरक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का बहुत कम उपयोग हुआ है फिर भी भारतीय उर्वरक निगम ने काफी लाभ अर्जित किया है । मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह लाभ केवल मूल्यों में वृद्धि करके किया गया है न कि उत्पादन में वृद्धि करके । सरकार केवल बड़े किसानों को ही लाभान्वित करती रही है छोटों को नहीं । मुझे यह भी भय है कि सरकार इन कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं करना चाहती जिससे उर्वरकों का मूल्य कम न हो जाए । सरकार ने वर्ष 1973-74 में 12.89 लाख टन रसायनिक उर्वरक का आयात किया । इस वर्ष उर्वरक की मांग और भी अधिक होगी तथा पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध न होने के कारण कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

दिनांक 23 मार्च, 1974 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में श्री शाहनवाज खां ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में उत्पादित उर्वरक के वितरण कार्य को राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा । मेरा अनुरोध है कि इस आश्वासन को वास्तव में क्रियान्वित किया जाये । राज्य सरकारों को उर्वरक का न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिये । तमिलनाडू जैसे राज्यों को, जो अन्य कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न सप्लाई करते हैं, अधिक उर्वरक दिया जाना चाहिये ।

[श्री ई० आर० कृष्णन]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० 1961 में स्थापित किया गया था तथा इसकी प्रदत्त पूंजी 34.05 करोड़ रुपया थी । सरकार ने इस संस्थान को पर्याप्त ऋण भी दिया है फिर भी इसे 1971-72 में 4.87 करोड़ रुपयों तथा 1972-73 में 3.70 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ । मद्रास स्थित सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री को भी लगातार घाटा हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की स्थिति में कब तक सुधार होगा । मंत्री महोदय यह भी आश्वासन दिलायें कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उत्पादित औषधियां जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जायेंगी ।

तूतीकोरीन तेलशोधक कारखाना परियोजना, पेट्रो-केमीकल काम्प्लेक्स, मनाली आदि परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के बहुत दिनों से विचाराधीन हैं । कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मत है कि केन्द्रीय सरकार कच्छातीवू द्वीप में तेल की खोज का कार्य स्वयं आरम्भ कराये । मेरा अनुरोध है कि इन परियोजनाओं के बारे में मंत्री महोदय अनुकूल निर्णय करें ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): People in rural areas particularly in Rajasthan, are not getting kerosene. I know that there is shortage of kerosene but can the Government not make even one litre of Kerosene available during the span of 12 months! I think the distribution system is defective. People in urban areas get kerosene for cooking food but the students in rural areas do not get kerosene for lighting their houses to study. Arrangements should be made to make kerosene available to the people in rural areas.

The tractors of the farmers in rural areas are lying idle as they are not getting diesel and agricultural production is being affected severely. Before the coming kharif crop, arrangements should be made to make diesel available to the farmers.

It is true that there is an acute shortage of petroleum products in the country. Our Government is making efforts to increase their production but I would like to submit that more surveys should be conducted. In an earlier survey of oil deposits in Jaisalmer, the exploitation of oil was not considered economic but now when the price of oil has gone up considerably, the exploitation in Jaisalmer could be economic.

This Ministry should make arrangements to produce cheap and pure drugs.

So far as the fertilisers are concerned, one cannot understand as to why a fertiliser plant is not being sanctioned for Rajasthan as there is a great demand for it. A factory should be set up in Rajasthan for the by-products of the Mathura Refinery so that the people of Rajasthan may benefit. In regard to fertiliser factory at Saladipura, it is not known why there is delay in setting up that factory which can produce 2000 tonnes of sulphuric acid per day.

According to the General Manager of Fertilisers Corporation, Shri R. S. Kachwai, there are large deposits of pyrites at Saladipura in Rajasthan which can be utilised for 30 years. If a factory is set up at Saladipura, it can supply fertilizers to Haryana and Punjab.

I have to say something about the distribution system of fertilizers in Rajasthan. There is a fertilizer factory at Kota but the farmers do not get the fertilizers produced there. The distribution system should be improved and fertilizers should be distributed at the nearest points. The fertilizers produced in private sector should be distributed through cooperatives, the Agriculture Department or through the Department under the hon. Minister. The private sector should not be allowed to appoint their own agents for the purpose because they charge very high prices.

Similarly, there are large deposits ot rock phosphates at Jhamarkota in Rajasthan. An early decision should be taken in regard to exploitation of the mineral.

Now I come to the gypsum mines in Bikaner. A controversy is going on between the State Government and the Central Government. A Japanese Firm is exporting gypsum of good quality leaving behind the bad quality of gypsum. These mines should be taken over by the Central Government and the beneficiary industries can be set up after their take-over.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : हमें औषध उद्योग के विकास के सम्बन्ध में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का कार्यकरण देखना है । देश के औषध उद्योग पर विदेशी फर्मों का इतना अधिक प्रभाव है कि केवल 87 लाख रुपये के मामूली पूंजी-निवेश से आज उनके पास देश में 200 करोड़ रुपये की आस्तियां हैं । रायल्टी, लाभांश और प्रधान कार्यालय के व्यय के रूप में उन्होंने करोडों रुपये अपने देशों को भेज हैं ।

एक ओर तो विदेशी फर्मों की यह स्थिति है और दूसरी ओर सरकारी उपक्रमों को वर्ष प्रति वर्ष हानि हो रही है । यदि हमारे उद्योगों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाये तो आगामी पांच वर्षों में वे पनप सकते हैं । आई० डी० पी० एस० और एच० ए० एल० की अपनी योजनाएं हैं परन्तु सभा यह जानना चाहेगी कि इन योजनाओं को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है ?

जब बिड़ला बन्धुओं ने अपनी लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से 10 प्रतिशत अधिक क्षमता का उपयोग किया तो उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया परन्तु जब विदेशी फर्में 200 से 1,000 प्रतिशत तक अधिक क्षमता का उपयोग करती हैं तो उनके विरुद्ध कोई फौजदारी की कार्यवाही नहीं की जाती है । यदि फाइजर को टेट्रासाइक्लीन का उत्पादन करने देने के बजाय इसका आयात किया जाये तो हम प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं ।

जब आई० डी० पी० एल० ने मेसर्स होचस्ट की नावलजीन के मुकाबले में एनालजीन का उत्पादन कर लिया तो पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने होचस्ट को उसके रक्षित उपयोग के लिये 150 टन एनालजीन बनाने की अनुमति दे दी ताकि आई० डी० पी० एल० या एच० ए० एल० का एकाधिकार न हो जाये । विदेशी फर्मों के प्रति पक्षपात क्यों किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने विदेशी फर्मों को भारतीय फर्मों का शोषण करने के लिये प्रोत्साहित किया, यहां तक कि विदेशी फर्मों को ऐसी साधारण दवाइयां बनाने के लिये अनुमति पत्र दिये गये जिन्हें छोटे या मध्यम दर्जे के उद्योगों में बनाया जा सकता था ।

मंत्रालय ने हाल ही में 2 करोड़ रुपये का उत्पादन करने वाली छोटी या बड़ी विदेशी और भारतीय फर्मों को समान आधार पर रखने का निर्णय किया और उनसे कहा गया कि वे अत्यधिक खपत वाली प्रत्येक औषधी के उत्पादन को फार्मूलों के साथ सम्बन्ध करें। यदि उन विदेशी फर्मों के साथ ऐसा किया जाता तो ठीक था जिनके पास अनुमति पत्र हैं परन्तु भारतीय फर्मों के साथ ऐसा करके हमारे उद्योग को दबाया जा रहा है ।

एच० सी० शाह एन्ड एसोसियेट्स जैसी छोटी फर्मों को अत्यधिक खपत वाली औषधियों का उत्पादन करने के लिये किसी ने किसी बहाने से आशय-पत्र नहीं दिया जाता है। अतः विदेशी फर्मों के कार्यकरण की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जानी आवश्यक है। ओ० पी० पी० आई० पर रोक लगाई जानी चाहिये क्योंकि वह देश में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देती है ।

अब मैं अपने औषध उद्योग के विकास के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । राज्य व्यापार निगम और आई० डी० पी० एल० के माध्यम से आने वाला कच्चा माल छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर दिया जाना चाहिए ।

[श्री के० एस० चावड़ा]

छोटी फर्मों के लिये उनके वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों के आधार पर उनका 50 प्रतिशत कोटा पृष्ठांकित किया जाना चाहिय ।

विदेशी फर्मों को कानूनी आधार के बिना दिये गये अनुमति पत्र रद्द किये जाने चाहिएं ।

विदेशी फर्मों के सभी प्रस्तावों को उन्हें लाइसेंस देने अथवा विस्तार करने की अनुमति देने से पूर्व विज्ञापित किया जाना चाहिए ।

सभी भारतीय निर्माताओं को 5 प्रतिशत अनिवार्य नियति से मुक्त किया जाना चाहिये ताकि आयात लाइसेंस के मामले में उन्हें दंडित न किया जा सके ।

औषधियां पुरानी हो जाने के कारण भारतीय फर्मों की बेकार पड़ी सक्षमता का नई औषधियों के उत्पादन में उपयोग किया जाना चाहिये ।

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन में यह नहीं बताया गया कि हमारे देश की कच्चे तेल की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जायगा ।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए ।
SHRI VASANT SATHE *in the chair*]

हमारा लक्ष्य सदैव आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का रहा है । परन्तु उक्त प्रतिवेदन में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

कई वर्ष तक विचार करने के बाद हमने 'सागर सम्राट' नामक तैरता हुआ प्लेटफार्म खरीदने का निर्णय किया। हम इस प्रकार का एक दूसरा प्लेटफार्म क्यों नहीं खरीदते जबकि सर्वेक्षण से पता चला है कि समुद्र में तेल का काफी भण्डार है ?

प्रतिवेदन से पता चलता है कि रूसी विशेषज्ञों की सहायता से तेल की खुदाई के लिये एक संयुक्त तकनीकी आर्थिक योजना बनाई गई थी । सभा को बताया जाना चाहिये कि उस योजना का क्या हुआ ?

इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिटुमेन विपणन निगम की स्थापना की जायेगी। मेरा अनुभव है कि ड्रम मिलने में कठिनाई होती है और यदि ड्रम मिल जाते हैं तो परिवहन की कठिनाई होती है । अतः एक सुझाव दिया गया था कि ड्रमों के बजाय हम उसका बड़ी मात्रा में परिवहन करें । ड्रमों के निर्माण के लिये विशेष प्रकार का इस्पात आयात करने पर 10 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। यह 10 करोड़ रुपये की कीमती विदेशी मुद्रा बेकार जा रही है क्योंकि उपयोग के बाद ड्रमों को काट दिया जाता है ।

आई० डी० पी० एल० फैनासाइटिन, सल्फोनोमाइड, विटामिन बी12, निमोटिनैमाइड जैसे आधारभूत लवणों का निर्माण करता है। आई० डी० पी० एल० ये औषधियां एकाधिकार औषध निर्माणिता गृहों को 1966 या 1967 में निर्धारित किये गये मूल्यों पर बेचता है। ये गृह 400 गुना या इससे अधिक लाभ कमाते हैं । आई० डी० पी० एल० को प्रतिवर्ष करोड़ो रुपये की हानि हो रही है, और फिर भी पता नहीं मंत्रालय इस मामले में क्यों

उदासीन है? कच्चे माल के मूल्य शत प्रति शत बढ़ गये हैं, फिर भी, आई० डी० पी० एल० के आधारभूत लवणों के मूल्य वही हैं। इनके मूल्यों में वृद्धि करके इन पर लाभ कमाने दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सरकारी क्षेत्र अच्छा काम कर रहा है ।

ऋषिकेश स्थित एंटीबायोटिक औषधियां बनाने वाले कारखाने को कांच की शीशीयों तथा जलेटिन के कैपसूलों की जरूरत पड़ती है। कैप्सूल केवल बिड़ला बन्धुओं द्वारा बनाये जात है । यदि वे इनके बनाने में विलम्ब कर तो ऋषिकेश के उत्पादन को बेचा नहीं जा सकता। मेरा सुझाव है कि कुछ युवा इंजीनियरों और उद्यमियों को शीशीयां और कैपसूल बनाने का काम सौंपा जाये जो वही कैपसूल बनायें और उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके ।

अगस्त 1968 में रेलवे लेखा सेवा के एक अधिकारी को नियुक्ति ल्यूब इंडिया में वित्त निदेशक के पद पर की गई। फरवरी, 1972 में उसकी नियुक्ति भारतीय तेल निगम में ऊंचे वेतन वाले पद पर की गई। उस अधिकारी ने रेलवे चिकित्सा नियमों के लिए अपना विकल्प दिया, परन्तु उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिये ल्यूब इंडिया से गलत तरीक से हजारों रुपये वसूल किये। उसने महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ता भी वसूल किया हालांकि उसका वेतन 3000 रुपये प्रतिमास था। मंत्री महोदय को इस मामले की जांच करनी चाहिये ।

ल्यूब इंडिया और आई० ओ० सी० के उत्पादों को खुले रूप से बेचा जाता है। फिर भी 15,000 से 20,000 रुपये तक मनोरंजन के लिये रखे गये हैं। इसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है ।

बड़ौदा स्थित इंडियन पेट्रो-केमिकल्स निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है । मंत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर दें ।

मंत्री महोदय ने उर्वरकों के उत्पादन के लिये बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है । वह ऐसा प्रबन्ध करें कि देश में उर्वरक आसानी से मिल सके और खाद्यान्नों का उत्पादन कम न हो ।

पेट्रोल का मूल्य उसके उपयोग को कम करने की दृष्टि से बढ़ाया गया था । यह बताया जाये कि मूल्य बढ़ाने से पहले और बाद में पेट्रोल का कितना उपयोग था ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : The Ministry of Petroleum and Chemicals is responsible for the production of drugs which are necessary to protect the lives of the people. This is a laudable object but food is necessary for life. It seems that the Ministry is not interested in growing more food as there is shortage of fertilizers. If the farmers have to purchase fertilizers at black-market prices, how can they sell foodgrains at the fixed prices?

The people in rural areas do not get kerosene for the purpose of lighting their huts. All the facilities are given to the urban people. In the urban areas, for cooking purpose, people can use kerosene oil or gas or even electricity but in rural areas kerosene oil is not available even for lighting a hut.

The hon. Minister comes from a state where kerosene oil is available in abundance and we had hoped that he would see to it that it becomes available in other states also but, in fact, during his term we are getting less kerosene oil.

So far as fertilizers are concerned the farmers are complaining that due to its non-availability, the production of foodgrains is going down. We are spending a lot of money on the import of oil and foodgrains. If we spend some foreign exchange on the import of fertilizers, there would be no need to import foodgrains. The hon. Minister may please consider this matter seriously.

[Shri D. N. Tiwary]

So many drug manufacturing units have been set up during the last 10-12 years but still we are not self-sufficient in the production of any item. No doubt, there has been increase in the population but we are not in fact utilizing the production capacity in full.

There should be some code of conduct for the officers in the Ministry. If a small officer is responsible, he should be punished. But if the Head of a Department is corrupt, he should be dismissed. But sincere and loyal officers must be given full protection otherwise they would be disheartened.

The Barauni Fertilizer Factory was set up long ago, but production has not started there as yet. Sindri factory has been running in loss continuously. If the machinery of that factory has become outdated, that should be replaced, remodelling alone would not do.

There is an old refinery at Barauni. Its production capacity has been increased to 4 million tonnes. But the actual production is only 2-4 million tonnes. What is the reason for this shortfall?

An assurance was given that a petrochemical plant would be set up in Bihar, but it has not come up as yet. It is not understood as to why Bihar is not getting adequate supplies of oil and diesel. Whatever quota is due to the state on the basis of population must be given to it.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I oppose the demands of grants of this Ministry. Now-a-days, oil, petroleum, diesel, fertilizers and drugs have become essential items of life. But, unfortunately, we are facing acute shortage of these commodities.

As regards kerosene oil, it is not available to the people at fair price but if one is prepared to pay more he can get it in any quantity. Then, now can it be paid that the commodity is in short supply? The main trouble is with the distribution system. It is high time that the distribution system is improved so that rural people may get supplies.

The distribution system of petrol and diesel should also be improved.

Due to increase in price of crude by the oil producing countries, the price of petrol has increased so much that taxi fares have gone very high and the use of taxis has become prohibitive from the middle class people. The Government should re-consider the petrol prices.

In the sphere of distribution of kerosene oil, some quota should be fixed for scheduled caste people, as it would provide employment to some of them.

The manufacture of fair drugs is on the increase. The Government should take some concrete steps to put an end to this evil.

The distribution of fertilizers is not being done properly and the factories are charging more than fixed price. The Government should take over the distribution of fertilizers. It should be ensured that the farmers get fertilizers at proper time. If adequate supplies of fertilizers and diesel oil are made to the farmers at fair prices, they can produce so much foodgrains that it may not be necessary to seek help from any country. It is also necessary that farmers get remunerative price for their produce.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausar) : In the context of demands for grants in respect of Ministry of Petroleum and Chemicals, I want to lay stress on the importance of fertilizers.

The installed capacity of our existing factories is not being fully utilised. In view of steep increase in oil prices and depleting foreign exchange reserves, effective steps should be taken to increase the production of fertilisers to tide over its present

shortage in the country. It is equally essential to improve the machinery of distribution so that fertilisers could be made available to the farmers in time and in adequate quantity at fair prices. The Government should pool the entire production of fertilizers in the private sector and distribute it through its own agencies.

There is a great deal of black marketing in fertilisers. I would like to know as to how many dealers have been suspended on the basis of complaints received by Government. The dealership of such dealers as indulge in corrupt practices should be terminated.

There is good scope for increasing the production of fertilizers in Rajasthan, because zinc, pyrite, lignite, rock phosphate and other raw materials are available in large quantities there. But in spite of that the Government is very reluctant to set up fertilizer factories in Rajasthan. The fertiliser Corporation of India has not yet submitted its report in regard to establishing factories to produce complex fertilizers at Udaipur and Saladipura, though the project was envisaged in 1969. It appears that the Government is not acting with that degree of urgency which is required. It is, therefore, suggested that steps be immediately taken to set up fertiliser plant at Saladipura in Rajasthan during the current plant period.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

41वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य यंत्रणा समिति का 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

जाली कार परमीट कांड*

FORGED CAR PERMIT CASE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जाली कार परमिट देने का आरोप सरकार ने बताया है । सरकार ने जनता को दो वर्गों में बांट दिया है । एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है और दूसरा वर्ग जन साधारण है । साधारण व्यक्ति, स्रोतों के होते हुए भी कठिनता से ही कार प्राप्त कर पाता है । परन्तु विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के लिये कोई नियम अथवा विनियम नहीं है। ऐसे लोगों को बैंक भी गारन्टी दे देते हैं।

कारों के वितरण के वर्तमान नियम 1959 से चले आ रहे हैं। शासक दल के लोग इनसे लाभ उठाकर धन कमा रहे हैं । एक ही बैंक ने कारों को खरीद के लिये 14 लाख रुपये की गारंटी दी है । किन्तु साधारण वर्ग के लोगों के लिये यह आवश्यक है कि वे जमानत के तौर पर 2000 रुपये जमा करायें । विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के लिये यह आवश्यक नहीं है ।

इस समय एक नई कार पर 3000 रुपये से 4000 रुपये तक का मुनाफा है । यह इसलिये है कि सरकार बढते हुए काले धन को प्रोत्साहन दे रही है । यदि काला धन न हो तो कारों पर इतना अधिक मुनाफा नहीं होता और चोर बाजारी कम हो जाती ।

1971 में 25657 और 1972 में 25757 कारों का उत्पादन हुआ । प्रतिवर्ष दो प्रतिशत कारें, अर्थात् 500 कारें चोर बाजार में बिकती हैं ।

*आधे घंटे की चर्चा ।

*Half-an-hour discussion.

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

ये लोग इस लिये सम्पन्न हो रहे हैं कि सरकार कोई राष्ट्रीय समेकित परिवहन नीति नहीं बनाती। कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आवश्यकता को पूरा करने के लिये ही सरकार ने प्राथमिकताएं निर्धारित की है। मोटार कारों का उनकी लाइसेंस-शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है। अन्य निर्माताओं की तरह सब मोटार गाडी उत्पादक अपनी लाइसेंस-शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं और उनके ये उत्पादन सीधा चोर बाजार में जा रहे है।

2,10,000 स्कूटरों की मांग है और 1,12,000 स्कूटरों का उत्पादन होता है। यह इसलिए हो रहा है कि चोर-बाजारी के अधिक अवसर मिल सकें।

बताया गया है कि मध्य प्रदेश में एक भूतपूर्व मंत्री और वर्तमान सदन में एक कांग्रेसी विधायक, श्री के० बी० एल गुप्त ने एक परमिट से दो फियट कारें खरीदी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे सम्भव हुआ?

चोर-बाजारी करने वाले सरकार के प्रश्रय से ही कार्य कर रहे हैं और फल-फूल रहें हैं। यह नियम किस प्रकार बनाये गये है? एक व्यक्ति अनेक कारें बुक करवा सकता है। इस पर कोई प्रतिबन्धन नहीं है। परन्तु एक साधारण व्यक्ति ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि कार बुक कराने के लिये वह हजारों रुपये का भुगतान नहीं कर सकता।

हाल ही में लखनऊ में एक डीलर ने 100 नयी जीपें बेची है जिनका सत्ताधारी दल ने प्रत्येक जीप के लिये 6000 रुपये दे कर हाल के चुनावों में प्रयोग किया था। यह सब कुछ सरकार की सांठ-गांठ से चल रहा है।

1971 के चुनावों में भी लगभग 700 जीपों का घोटाला हुआ था जो रक्षा कोटे में से सत्ताधारी दल को दी गई थी। दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स के अध्यक्ष ने रातों रात एक किराया-खरीद कंपनी की स्थापना की और उन्हें ये जीपें दी गई, बाद में ये जीपें चोर बाजार में बिकने के लिए चली गयी, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में चोर बाजारीयों के नाम नहीं बताए हैं क्योंकि इससे कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, बहुत सी कारें उन व्यक्तियों के नाम आबंटित की गई है जो अस्तित्व में ही नहीं है, 28 फरवरी के अतारांकित प्रश्न संख्या 1242 के उत्तर में अस्पष्ट उत्तर दिया गया है। हम उन अपराधियों के नाम जानना चाहते हैं जो इस जालसाजी में अन्तर्ग्रस्त हैं। सरकार उनको बचाने का प्रयत्न कर रही है।

विदेशी कारों का आयात भी एक गंभीर मामला है। अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने ऐसी कारों को खरीदा है। मंत्री महोदय बताएं कि वे किस किस के वाहनों के निर्माण को प्राथमिकता देना चाहते हैं। क्या यह छोटी कार होगी या मारुति कार होगी अथवा सार्वजनिक वाहन होगा? मारुति कार का वितरक बनने के लिए तीन लाख रुपया मांगा जा रहा है। जो यह तीन लाख रुपया देगा उसके पास निश्चय ही काला धन होगा और वह यह पैसा उस कार को चोर बाजार में बेचकर कमायेगा। इसका मतलब यह है कि आप काले धन को प्रोत्साहन दे रहे हैं मैं इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर चाहता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बारे में अंतिम निर्णय लिया गया है कि कार के मूल्य का प्रत्येक छह महीने बाद पुनरीक्षण किया जायगा? कार के निर्माता इसका लाभ उठा रहे हैं। दूसरे क्या सरकार ने कारों का निर्माण करने वाले कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला कर लिया है? दिल्ली में कारों की जालसाजी चल रही है चाहे वे यहां बनी कारें हैं अथवा राज्य व्यापार निगम द्वारा बेची जानी वाली कारें हैं। क्या कारों के स्थानपर सार्वजनिक वाहनों के निर्माण पर अधिक ध्यान देने के बारे निर्णय किया गया है?

मैं उन संसद सदस्यों और मंत्रियों के नाम जानना चहता हूं जिन्होंने कारें खरीदी हैं परन्तु उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The number of false permits has increased due to shortage of cars. This has resulted in the enhancement of car prices and it is being sold in blackmarket. The genuine customers cannot get vehicles whereas black marketeers can purchase them with the help of black money. Although the quality of Ambassdor car has deteriorated, its price is increasing. What action has been taken by the Government in this respect? We want to know the names of persons who are involved in the false permit racket and what action is being taken against them. Taking into consideration the malpractices going on in the sale of cars, the solution lies in the nationalization of this industry. Will the Government make in this direction?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): May I know whether due to the shortage of cars in comparison with the demand, the distribution system has broken down and it has resulted in the malpractices? How many cases of malpractices have been reported to him? Does he intend to bring a change in the distribution system? In view of the increase in the production of cars, will licences to manufacture cars in the private sector be issued? If the people working abroad intend, to bring old cars in India, will they be permitted to do so? How many persons have been given agency for sale of Maruti cars and how much amount they have deposited and when the car will come out for sale?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : श्री बसु का यह कहना सही है कि कारों की मांग इसके उत्पादन से अधिक है तथा कारों और स्कूटरों की प्रतीक्षा सूची लम्बी है। उनका यह कहना भी ठीक है कि कार केवल कुछ खास व्यक्तियों के लिए ही है तथा इसकी कमी के कारण कारों को चोरबाजार में बेचा जा रहा है। इन सब का समाधान उन्होंने नियंत्रण बताया है। उनके अनुसार नियंत्रणव्यवस्था का भी दुरूपयोग किया गया है।

प्रबंधकों को 2 प्रतिशत कारों का जो कोटा मिलता था, उसे समाप्त करके डाक्टरों तथा नर्सों के लिए यह कोटा रखा गया है। वे अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक कारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। वे जितनी कारों का निर्माण करते हैं उनका हिसाब रखा जाता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उन को पता है कि स्कूटरों का निर्माण लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक हो रहा है?

श्री टी० ए० पाई : उन्हें अपनी क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक निर्माण करने की अनुमति दी गई है। (**व्यवस्थान**) यह सच है कि स्कूटरों के लिए भी प्रतीक्षा सूची लम्बी है। पहले प्रीमियर प्रेसीडेण्ट तथा हिंदुस्तान कारें ऊंचे मूल्य पर बिकती थी परन्तु अब उनका मूल्य कम हो गया है। जिस किस्म की कारें बनती हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं परन्तु इस बारे में मैं अधिक चिन्तित नहीं हूं। यदि कारें ठीक चलती हैं तथा उनके इंजन सही काम करते हैं तो यही पर्याप्त है। कारों की अच्छी किस्म की ओर हमारा ध्यान अधिक है। हिंदुस्तान कार निर्माताओं ने इंजन बदलने का प्रस्ताव दिया था जिस पर लगभग 10 करोड रुपया खर्च आयेगा परन्तु हमने इसको अस्वीकार कर दिया। मैं किसी भी बाहरी दबाव से अपनी नीति नहीं बनाता हूं। मैं नीति राष्ट्रीय हीत को ध्यान में रखकर बनाता हूं। कार चाहे गैर-सरकारी क्षेत्र में बने या सकारी क्षेत्र में, किसी ने तो उसका प्रयोग करना ही है। यदि कारों का प्रयोग समाज को विभिन्न वर्गों में बांटना है तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यदि हम एक ही किस्म की एकही डिजाइन की तथा बड़ी संख्या में कारें बनाते तो इनके मूल्यों में कमी की जा सकती थी। परन्तु फिर भी चाहे कार बनाने वाले तीनों कारखानों की कारों का मूल्य संतोषजनक नहीं है फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि प्रीमियर को इस वर्ष इंडोनेशिया से 2,000 कारों के निर्यात का आदेश

[श्री टी० ए० पाई]

मिला है हमें इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए । कार उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को अभी नहीं लिया जा रहा है अभी हम कार को क्वालिटी में सुधार करने जा रहे हैं और वितरण प्रक्रिया में भी सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जिन सदस्यों ने भी भाषण दिया है, उन्होंने संसद सदस्यों द्वारा इस विशेष सुविधा का दुरुपयोग किये जाने का उल्लेख किया है । अगर मैंने यह बात कही होती तो, मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले उठाये जाते । इन विनियमों का उल्लंघन करने के बारे में जिन सदस्यों के नामों का उल्लेख किया गया है, उनके विरूद्ध हम कार्यवाही कर रहे हैं । (व्यवधान) मैंने मन्त्रालय का कार्यभार संभालने के बाद अध्यक्ष महोदय से बराबर इस बात का अनुरोध किया है कि संसद सदस्यों को कार का, स्कूटर का आबंटन करने का विशेषाधिकार वह स्वयं संभालें । अब जो व्यवस्था की गई है, उससे हम प्रसन्न है । अब यह व्यवस्था अध्यक्ष महोदय के अधीन है । अगर मेरा मन्त्रालय यह टिप्पणी करता है कि अमुक सदस्य ने एक साल पहले कार ली थी, तो वह दुबारा कार नहीं ले सकता । मैं नहीं चाहता कि संसद सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाये जांय और इस सदन की प्रतिष्ठा कम हो । यह बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसद सदस्य की सिफारिश पर कोई भी व्यक्ति कार या स्कूटर प्राप्त नहीं कर सकता ।

नियमानुसार परमिट प्राप्त करने के दो साल के अन्दर कार का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता । कुछ व्यक्ति अपने नाम में रजिस्ट्रेशन रखते हैं और अन्य व्यक्तियों को कार का उपयोग करने देते हैं । परन्तु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है । इस सबका एक साथ उत्तर है बडे पैमाने पर उत्पादन करना । वर्ष 1980 तक स्कूटरों का उत्पादन बढकर चार लाख स्कूटरों तक पहुंच जायगा ।

वेतन में वृद्धि और कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने के कारण प्रत्येक जनवरी और जून के महीने में मूल्यों में संशोधन करना पडता है । निर्माताओं की यह शिकायत है कि लागत लेखा शाखा द्वारा सिफारिश की गई कीमत देने के हम अनिच्छुक हैं । व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का समर्थक हूं कि इस प्रकार की नियंत्रण व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए ।

कारों के आबंटन के मामले में कुछ श्रेणी के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है और कुछ अन्य लोगों को 4,000 रु० जमा करने पड़ते हैं । मेरे विचार में कुछ विशेष श्रेणी के लोगो को कारों का बिना पारी के आवंटन करना उचित नहीं है ।

देश को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ करने के प्रश्न पर अधिक ध्यान देना चाहिए और अधिक संख्या में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन करना चाहिए । पिछले वर्ष हमने यह निर्णय किया कि 47,000 या 48000 कारों के कुल उत्पादन में से 5 प्रतिशत के बजाय 15 % कारों को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए आवंटित किया जाना चाहिए । हम यह भी सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि टैक्सी चालकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे ।

बेरोजगार शिक्षित युवकों को टक्सी चालक के रूप में काम देने की हमारी योजना है । परन्तु उन्हे भारी ब्याज अदा करना पड़ता है और पेट्रोल की कीमत में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है । हम वाणिज्यिक वाहनों के निर्माताओं पर इस बात के लिए भी जोर डाल रहे हैं कि वे अधिक संख्या में बसों का निर्माण करें जिससे राज्य सडक परिवहन निगमों की मांग पूरी की जा सके ।

जाली परमिट जारी किये जाने का मामला भी उठाया गया । मेरा मन्त्रालय पूरे साल में 20,000 कारों और स्कूटरों का आवंटन करता है । सितम्बर, 1973 से दिसम्बर 1973 के बीच तीस जाली परमिटों का मामला सामने आया है और इसमें पन्द्रह आदमियों का हाथ बताया जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : उन व्यक्तियों के नाम बताये जांय, जो चोर बाजारी करके देश की अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुचा रहे है।

श्री टी० ए० पाई : पुलिस 15 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र तैय्यार कर रही है। उनके हस्ताक्षरो की भी जांच की जा रही है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हस्ताक्षरों की जांच किये बिना नामों को नहीं बताया जा सकता।

श्री टी० ए० पाई : उन पन्द्रह व्यक्तियों में दो व्यक्ति मेरे मंत्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक है। यह बताया गया है कि उन्होंने परमिट के फार्म सप्लाई किये। आठ व्यक्ति वितरकों से सम्बन्धित है और पांच आदमी सेल्समैन या वितरक से सम्बद्ध है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वितरकों के नाम बताये जांय।

श्री टी० ए० पाई : मैं वितरको के नामों का उल्लेख करके मामले को और दुसह नहीं बनाना चाहता। मैं उन्हें अकेले में नाम बता सकता हूं।

35 कारों में से 33 कारों की डिलीवरी हो चुकी थी। 33 कारों को न्यायालय के माध्यम से पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था। उन 33 कारों को इस आश्वासन पर वापस दे दिया गया है कि आवश्यकता होने पर वे कारों को उपस्थित करेंगे। जिन्होंने कारें खरीदी है, उन्होंने भी अपराध किया है। इनमें छः सरकारी कर्मचारी है। परन्तु ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं ही नहीं। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती। वे नाम नकली थे। हमारे मन्त्रालय ने ही इस बारे में शिकायत की थी इसलिए हम चाहते है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

हमने आवंटन के नियमों में भी परिवर्तन किया है। जब परमिट जारी किया जाता था, तो एक परमिट निर्माता को भेजा जाता था और उनकी दूसरी प्रतिलिपि ग्राहक को भेजी जाती थी। निर्माता ग्राहक से पत्र द्वारा पूछता था कि किस प्रकार की कार और किस विक्रेता के माध्यम से चाहिए। सामान्यतः कार तब तक आवटित नहीं की जाती थी जब तक निर्माता का पत्र कार विक्रेता को नहीं मिल जाता था। इस मामले में परमिट दिखाकर ही कारों का आवंटन कर दिया गया। आवंटन प्रक्रिया को अधिक सुदृढ कर दिया गया है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये।

मारुति कार के बारे में भी प्रश्न उठाये गये। यह जोर दिया जाता रहा है कि इसका परीक्षण किया जाय। मारुति कार को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है।

जब आशय पत्र जारी किया गया, तब यह कहा गया था कि छः महीने के अन्दर कार का नमुना तैयार कर दिया जायगा।

श्री ज्योतिर्मय बसू : फ्रान्स की रेनाल्ट कम्पनी के साथ जो सहयोग करार किया जा रहा था, उसका क्या हुआ? परियोजना का प्रारूप तैयार करने के लिए 15 लाख रुपये खर्च किये गये थे।

सभापति महोदय : यह अच्छा ही है कि हम विदेशों के साथ सहयोग-करार न करें।

श्री ज्योतिर्मय बसू : प्रधान मन्त्री के पुत्र का मामला होने के कारण इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं की गई।

श्री टी० ए० पाई : ग्यारह व्यक्तियों को आशय पत्र दिये गये थे। चार व्यक्तियों के मामलों में उनका नवीकरण कर दिया गया।

नमुने की कार परीक्षण पर रूकी उतरी है। यह 10,000 किलोमिटर चलाई जा चुकी है। यह भारत में निर्मित सभी कारों से सस्ती होगी।

सभापति महोदय : इसका वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा ।

श्री टी० ए० पाई : औद्योगिक लाइसेंन्स के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री के पुत्र को प्रधान मंत्री का पुत्र होने के कारण निरुत्साहित न किया जाय और सस्ती अच्छी कार सडक पर शीघ्र आनी चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेई (ग्वालियर) : आपको मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ।

सभापति महोदय : मुझे प्रश्न पूछने और हस्तक्षेप करने का अधिकार है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : यह आपत्तिजनक बात है। अगर आपको बहस में भाग लेना है, तो सभापति की कुर्सी छोडकर सदन में आइए ।

सभापति महोदय : मैं नियमानुसार कार्यवाही कर रहा हूं। मैं स्पष्टिकरण चाहता था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था कि क्या उन्हें इस बात को जानकारी है कि मारुति को उसके उत्पादन के लिए डिस्ट्रीब्युटरशिप लेने हेतु 3 लाख रुपये नकद लेखा बाह्य धन के रुप में दिया जा रहा है। वे कई गुना काला धन वसूल करेंगे।

अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के उद्यम को लगाने के लिये उपयुक्त है, तो मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं परन्तु एक कम्युनिस्ट होने के नाते 20 करोड रु० की पूंजी वाले कारखाने की प्राइवेट क्षेत्र में स्थापना का मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि लोग तीन लाख रुपये इकट्ठे कर रहे है ...

श्री टी० ए० पाई : विरोधी पार्टियों के सदस्यों से इस प्रकार के आरोप सुनने को मिलते रहते है। परन्तु मेरे मन्त्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि कौन डीलर हैं कितने डीलर शिप दी और पैसा इकट्ठा किया आदि आदि । (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपकी संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री टी० ए० पाई : जहां तक संयुक्त जिम्मेदारी का प्रश्न है, मैं इससे नहीं पुकार सकता। डीलर ने सफेद धन दिया है या काला धन। इसकी जांच करना तो वित्त मंत्रालय और कर-विभाग का कार्य है।

थोड़ी सी पूंजी और लगाकर प्रीमियर प्रेजीडेन्ट के उत्पदान को 14,000 से बढ़ाकर 18,000 करने का प्रयास किया जा रहा है । इससे कारों की मांग के दबाव में कमी होगी और इस कार का निर्यात करना भी सम्भव हो सकेगा। यह कार इटली की फियट और जापान की टोयोटा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। अगर अन्य देशों में इसकी मांग बढ़ती है, तो वह हमारे उत्पादन के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 18 अप्रैल, 1974/28 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, April 18, 1974/ Chaitra 28, 1896 (Saka)

भा०स०मु०ना० —वि० 8—15 लोक सभा।44—19-8-74—490.